खण्ड-289, अंक-3
बुधवार, 23 आषाढ़, शक संवत् 1893
(14 जुलाई, 1971 ई0)

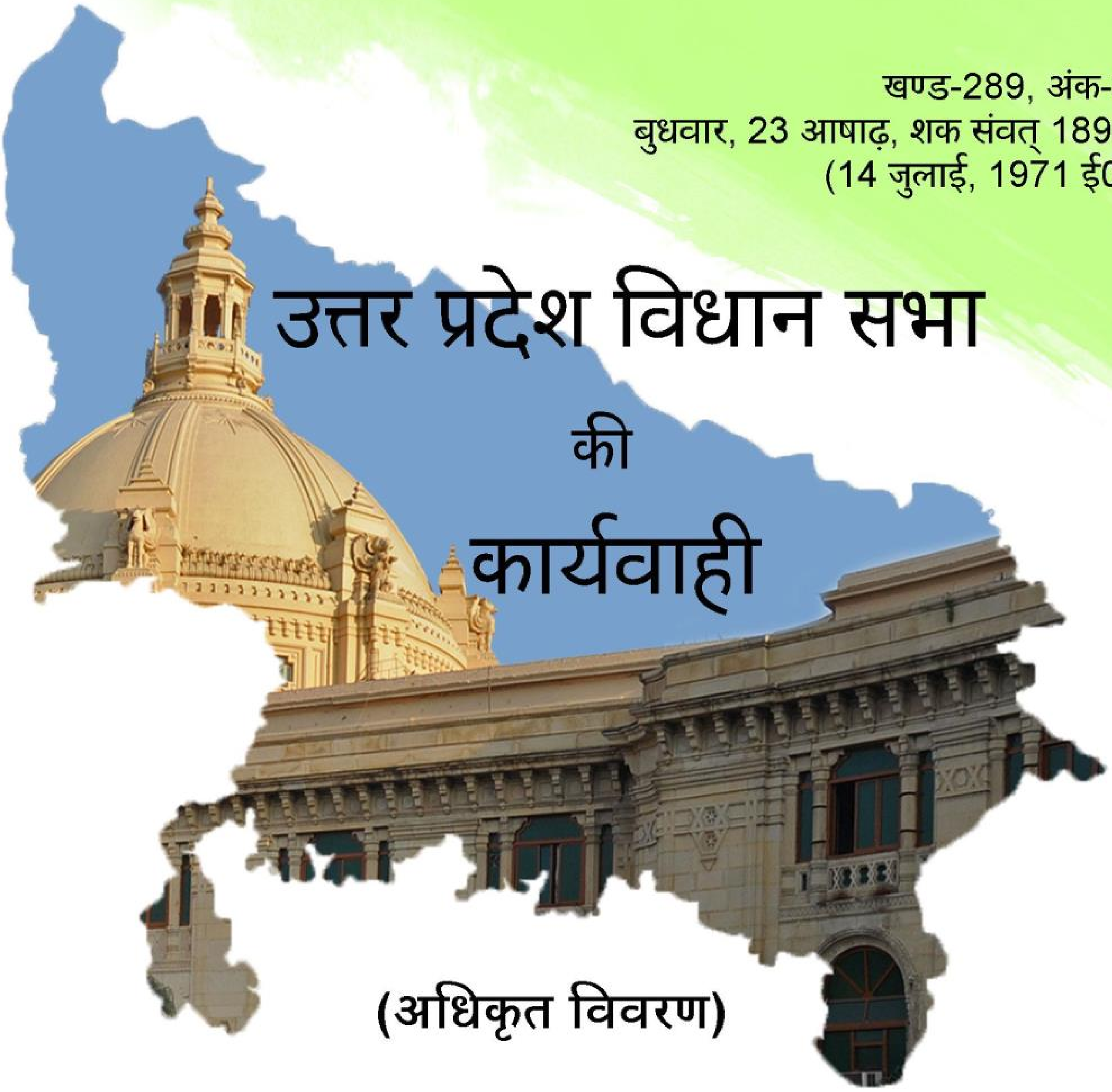

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 289 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	३०१–३०५
गिरफ्तार पंचायत मंत्रियों की रिहाई के लिए प्रार्थना (जारी) ..	३०६
प्रश्नोत्तर	३०६–३४६
विविध विषय	३४६–३४७
गिरफ्तार पंचायत मंत्रियों की रिहाई के लिए प्रार्थना	३४७–३४९
नगर महापालिका कर्मचारी संघ के सदस्यों द्वारा भूख-हड़ताल के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	३५०
श्री लक्ष्मणस्वरूप की गिरफ्तारी के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के बारे में जानकारी (जारी)	३५०–३५१
नेत्र रोग के बहुव्यापक प्रकोप तथा औषधि के न मिलने के संबंध में वक्तव्य ..	३५१–३५५
श्री लक्ष्मणस्वरूप की गिरफ्तारी के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के बारे में जानकारी	३५५–३५७
कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संक्रमणकालीन उपबन्ध) विधेयक, १९७० (वापस)	३५७
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९६९ (पारित)	३५८–३६७
उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (बनाये रखने के लिए) विधेयक, १९७० (पारित)	३६७–३७६
उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७१ के विचारार्थ लेने पर आपत्ति	३७६–३८१
उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण (जारी रखने का) विधेयक, १९७१ (पारित)	३८१–३८८
नियम ५१ तथा ५६ के अन्तर्गत सूचनाएं	३८९–३९१
सीतापुर में पी० ए० सी० के सूबेदार की पुत्री मंजुलता के अपहरण के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	३९२–३९७
नोटिस आफिस के द्वार खुलवाने तथा एक व्यक्ति द्वारा विधान भवन के सामने अनशन करने के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न	३९८–३९९
नत्थियां	४००–४०९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १४ जुलाई, १९७१

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३८७

अजब सिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वरदयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याणसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
(बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बलराज)
कृष्णमगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशवचन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)

गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह 'जूदेव', श्री
चन्द्रमोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह, राजा
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर
(उर्फ डा० मुन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जमरनाथ, श्री
जगबीर सिंह, श्री
जमाबार, श्री
जयनारायन सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगरसिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजन रायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनरायन वन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री
(जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमउद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री
(उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहालसिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारीदेवी गुप्ता, श्रीमती

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्यारे लाल, श्री
प्रकाशनारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलरामसिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल यादव, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवतदयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदनमोहन मिश्रा, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहरलाल, श्री
मंजर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूदहसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातमप्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरजध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताजमोहम्मद खां, श्री
मुल्तानसिंह, श्री
मुस्तफाकामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूदअली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री
(उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथसिंह वर्मा, श्री
रघुवीरसिंह यादव, श्री
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर

राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध , श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरनसिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवरसिंह, श्री
राम कुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल सण्ड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरण, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप ल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
र मबचन यादव, श्री
(जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
रामरतन प्रसाद पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामबिलास, श्री
राम शिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
रामहरख, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुरसिंह, श्री
लालसा, श्री
लालूराम, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेवसिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास,श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीरबहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्तीचरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पाडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री

शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिवमहेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेर सिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरूलाल, श्री
शेरअली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेषनारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्यामकिशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्यामसुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्यामसूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तूराम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
'हंसराज', उर्फ हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, श्रीमती
हरनारायण श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहरबख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुमसिंह परिहार, श्री (जिला आगरा, फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
होती लाल अग्रवाल, श्री

गिरफ्तार पंचायत मंत्रियों की रिहाई के लिये प्रार्थना

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

श्रीमन्, एक प्रार्थना है। कल माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि विरोधी दल के लोग सहयोग दें पंचायत मंत्रियों की समस्या का सामाधान करने के लिए लेकिन पंचायत विभाग के जितने प्रेसीडेन्ट और सेक्रेटरी हैं वे सब जेल में बन्द हैं और हमको ऐसा पता चला है कि सब लोगों को छोड़ देंगे तो कुछ बातचीत हो जाय। लेकिन वह उनके डेपुटेशन से भी नहीं मिले। मैं प्रार्थना करता हूं कि वह सब पंचायत मंत्रियों को छोड़ दें और सबसे नहीं, कम से कम उनके डेपुटेशन से मिल कर बात कर लें जिससे कोई रास्ता निकल सकें। माननीय मुख्य मंत्री जी शायद इस पर कुछ कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों के बाद उत्तर देना चाहेंगे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १४ जुलाई, १९७१

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

गेहूं की खरीद की दरों में वृद्धि

**१--श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़), श्री परमाई लाल (जिला हरदोई) तथा मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

क्या सरकार प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का प्रोत्साहन मूल्य प्रदान करने की दृष्टि से गेहूं की सरकारी खरीद की दरों में वृद्धि करने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कितनी और यदि नहीं तो क्यों?

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)--

जी नहीं। गेहूं का खरीदारी मूल्य भारत सरकार द्वारा कृषि मूल्य आयोग की संस्तुति पर राज्य सरकारों से परामर्श करके निर्धारित किया गया है और इस बात का ध्यान रखा गया है कि किसानों को प्रोत्साहक मूल्य मिले।

श्री कल्याण सिंह--

जिस समय कृषि मूल्य आयोग द्वारा गेहूं की कीमतें निश्चित की जा रही थीं तो उत्तर प्रदेश शासन ने क्या दरें प्रस्तावित की थीं?

श्री यादवेन्द्र सिंह--

जो पिछले वर्ष दर थी वही दर प्रस्तावित की गई थी।

श्री कल्याण सिंह--

श्रीमन्, मेरा निश्चित प्रश्न है कि क्या दरें प्रस्तावित की थीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

उस सम्मेलन में तो प्रस्ताव यह फूड कमीशन की ओर से था कि गेहूं बहुत पैदा हुआ है इसलिए इसकी कीमत घटा दी जाय और उन्होंने करीब-करीब ४–५ रुपये कीमत घटा कर रखने के लिए प्रस्ताव किया था। उत्तर प्रदेश ने इस पर खासा विवाद किया और यह कहा कि जितना मूल्य है यदि वह बढ़ाया नहीं जा सकता तो उससे कम तो किया ही नहीं जाना चाहिए और जो पुरानी दर है उसी पर गेहूं खरीदा जाय। यह बात हुई थी।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो मूल्य निश्चित किया गया है उसके निश्चित करने में क्या इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जो कृषि के लिए अन्य उपयोगी सामान हैं उसके उत्पादन के सिलसिले में, उसकी कीमतें बढ़ा दी गयी हैं, तो क्या पिछली कीमतों के आधार पर सरकार ने इन कीमतों को भी बढ़ाने का कोई प्राविधान किया है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

यह इकोनामी का जनरल प्रिन्सिपल है कि जब प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो कास्ट आफ प्रोडक्शन घट जाती है। यह बात सही है कि दाम बढ़े हुए हैं लेकिन इतना प्रोडक्शन बढ़ने से दाम नहीं बढ़ाए गए।

श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि इसके पूर्व कास्ट आफ प्रोडक्शन कृषि का क्या था और इस समय कृषि का प्रोडक्शन की कास्ट क्या है ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री बेनीसिंह)—

जो हमारी कीमतें तय होती है वह आल इंडिया बेसिस पर होती है। जो हमारा खाद्य कमीशन है वह सारे देश का एक ढांचा निकाल कर कृषि के प्रोडेक्शन का हिसाब लगाकर कीमत तय करता है। उसने ७४ पैसा तय किया था। सब चीजों को उसने सामने रखकर इन कीमतों को तय किया था। अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग नहीं हुआ था।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो सम्मेलन दिल्ली में हुआ था उससे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको यह लिखकर भेजा था कि सस्ती दर पर गल्ला खरीदा जाय ?

श्री बेनी सिंह—

इसकी मुझे जानकारी नहीं है। आप कहेंगे तो पता लगा लिया जायगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मूल्य तो वह बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है लेकिन निर्धारित मूल्य पर कृषकों का अनाज खरीदा जाय इसकी व्यवस्था सरकार ने क्या की ?

श्री बेनीसिंह—

शुरू-शुरू में तो खाद्य निगम ने अपने एजेन्ट के जरिए से खरीदारी शुरू की लेकिन बाद को जब आमद ज्यादा हुई तो पी०सी०एफ० के जो स्टोर है उन सबसे कहा कि वे सब आ जायं और कारपोरेशन से कहा गया कि वह खुद भी परचेज करे। वह काम कुछ समय तक चला लेकिन जब हमने देखा कि किसानों का नुकसान हो रहा है और पूरा पैसा भी नहीं मिल रहा है और वर्षा की दिक्कत भी सामने आ गई तो पक्की सड़कों पर बड़ी मंडियों पर जो हमारी मार्केटिंग सोसाइटीज हैं, सीड स्टोर हैं उनके जरिये से पर्चेज करने की कोशिश की। यह हो सकता है कि इसमें कुछ कमीबेशी हुई हो।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उन्हें इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि निर्धारित मूल्य पर किसानों का गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है और फूड कारपोरेशन के कर्मचारी गेहूं की कीमत को गिराने के लिए उस की जो क्वालिटी है, उस को नीच गिरा कर बताते हैं और आप की स्टेट के जो अधिकारी हैं, उनकी भी शिकायतों की परवाह न करके मनमानी करते हैं? क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो शिकायतें उन्हें फूड कारपोरेशन के कर्मचारियों के विरुद्ध मिली हैं, उनकी जांच कराने की क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री बेनी सिंह—

बात बहुत हद तक सही है। शिकायतें मिली हैं, उनकी जांच भी हुयी, दिक्कतें हुयी हैं। हमने फूड कारपोरेशन को भी लिखा है, सी० आई० डी० को भी मामला दिया है और प्रबन्ध कर रहे हैं कि इसको रोक सकें। पुलिस और जिलाधीश को भी लिखा गया है। फूड कारपोरेशन के कर्मचारियों के विरुद्ध उनके अधिकारियों को भी लिख रहे हैं और कहीं-कहीं उन्होंने उनके विरुद्ध कार्यवाही भी की है।

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायन सिंह (जिला देवरिया)—

मुझे भी ऐसी शिकायतें मिली हैं। देवरिया जनपद में पडरौना सेन्टर ५ जुलाई को खुला जबकि पश्चिमी जिलों और प्रदेश के बाकी हिस्सों में बहुत पहले से गेहूं खरीदा जा रहा है। पडरौना में तो २०० क्विन्टल गल्ला भी नहीं खरीदा गया है और ७२ रुपया प्रति क्विन्टल जो निर्धारित किया गया है, वह भी किसानों को नहीं मिल रहा है। यही नहीं वहां पर अनेक प्रकार की शिकायतें मिली हैं तो क्या माननीय मंत्री जी कोई दूसरा प्रबन्ध कराने की सोच रहे हैं?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

हमें भी शिकायतें मिली हैं। एक और दूसरा सेन्टर खोल दिया गया है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सम्मेलन के पहले केन्द्रीय सरकार से रेट मुकर्रर करने के सम्बन्ध में कोई पत्र-व्यवहार भी हुआ है?

श्री बेनीसिंह—

हुआ जरूर होगा। इस समय मुझे सूचना नहीं है। प्रदेशीय सरकार और केन्द्रीय सरकार में पत्र व्यवहार हुआ ही करता है।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या सरकार ने बीज के लिए गेहूं के लेने में उसके मूल्य में कोई वृद्धि की है, यदि हां, तो क्या?

श्री बेनी सिंह—

जो बीज के लिए गेहूं देना चाहेंगे हम खरीदेंगे एग्रीकल्चर स्टोर्स पर, सीड स्टोर्स पर या कोआपरेटिव की शाप्स पर, जहां पर उन्हें ७६ रुपये मिलेगा १२ १/२ परसेंट Premium Charges और इसके ऊपर भी ३-४ रुपया और पड़ेगा। इस प्रकार सब मिलाकर अच्छी रकम उन्हें मिल जायेगी।

श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी हर जिलाधीश को ऐसे अधिकार देंगे जिनसे वे क्वालिटी इन्स-पेक्टर्स के खिलाफ उनके गलत कार्यों के लिए कार्यवाही कर सकें ?

श्री बेनी सिंह—

दे दिए गये हैं और उन पर कुछ कार्यवाही भी हो रही है।

श्री कल्याण सिंह—

यह देखते हुए कि रबी की फसल बहुत अच्छी हुयी है और गेहूं की पैदावार भी अच्छी हुयी है और जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वह बहुत कम है। तो क्या किसानों की फसलों के मूल्य बढ़ जाय, इस प्रोत्साहन को ध्यान में रखते हुये सरकार इस बात की छूट देगी कि किसान जितना गल्ला बेचना चाहे उतना गल्ला सरकार खरीदने को तैयार होगी ?

श्री बेनी सिंह—

यह घोषणा तो हमने कर दी है कि जितना अच्छा गेहूं खाने लायक मिलेगा उसे हम साल भर तक बराबर खरीदेंगे। हमने उस में इतनी ही कमी की है कि जितना हम ने फूड adulteration ऐक्ट के मुताबिक कम करना था वह पूरा कर दिया है और बाकी जितना हमें खाने लायक गेहूं मिलेगा वह हम पूरा खरीदेंगे। अगर किसान को कहीं और ज्यादा कीमत मिले तो वह बेच सकता है लेकिन कीमत उस की गिरने न पाये इस लिये हम खरीदते रहेंगे।

(बहुत से सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

इस तरह से यह सवाल खत्म नहीं हो पायेंगे, इसके ऊपर किसी और रोज में इजाजत दे सकता हूं अगर आप चाहें।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

यह प्रश्न बहुत जरूरी है, प्रदेश में गेहूं के दाम ४० रुपया क्विन्टल हो गये हैं, बिल्कुल गलत बताया जा रहा है, गेहूं का कोई खरीदार नहीं है, यह सरकार क्या किसानों की रक्षा करेगी....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

तो मैं अब आगे बढ़ता हूं.....

श्री रामधारी शास्त्री—

यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है सारे प्रदेश के किसानों का भाग्य अधर में लटका हुआ है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं आप को बहुत अच्छा सुझाव दे रहा हूं....आप सुनें तो.....

श्री बाकेलाल (जिला देवरिया)—

उस तरफ समाजवादी लोग बैठे हैं, किसान देश का तड़प रहा है, उसका गेहूं बरबाद हो गया और जो बचा है उसको कोई खरीद ही नहीं रहा है, वह कहते हैं कि खरीदा जा रहा है, यह गलत है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

इसमें चूंकि माननीय सदस्यों की दिलचस्पी अधिक है इसलिये मैं दो-ढाई घंटे की इजाजत दे दूंगा। आप भेज दें मैं ढाई घंटे की बहस की इजाजत दे दूंगा। सवालों से यह चीज साफ नहीं होगी।

(व्यवधान)

तो मैं अब आगे बढ़ता हूं, इस पर ढाई घंटे की बहस कल हो जायगी।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

हमारा अनुमान है कि ढाई घंटे में भी हमारा नम्बर नहीं आयेगा क्योंकि इस तरफ तो आपकी नजरेइनायत नहीं होती....

श्री अध्यक्ष—

मुझे क्या अगर सब लोग राजी हों तो सारे प्रश्न छोड़कर इसी प्रश्न को १ घंटे तक ले लिया जाय।

कई सदस्य—

ढाई घंटे की बहस अलग से ही ठीक रहेगी।

माध्यमिक शिक्षक संघ की मांगें

**२—रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक १० अप्रैल, १९७१ को माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रादेशिक शिष्ट मण्डल मुख्य मन्त्री से मिला था? यदि हां, तो माध्यमिक शिक्षक संघ की क्या मांगें थीं? मुख्य मन्त्री उनमें से कितनी मांगें पूरी करने जा रहे हैं?

शिक्षा मन्त्री (डाक्टर रामजी लाल सहायक)—

माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा मुख्य मन्त्री को प्रस्तुत ज्ञापन में जो मांगें की गई थीं उनका ब्यौरा निम्न त् है :—

मांग	स्थिति
१—महंगाई भत्ते में माध्यमिक शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों के साथ समानता दी जाय।	१—शासन ने यह निर्णय ले लिया है कि सहायता प्राप्त उच्चतर तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को सरकारी कर्मचारियों की दर से वर्तमान महंगाई भत्ता दे दिया जाय।
२—जे० टी० सी० वेतन-क्रम के अध्यापकों को सी० टी० वेतन-क्रम दिया जाय।	२—इस पर विचार किया जा रहा है।
३—माध्यमिक शिक्षकों का वेतन राज्य कोषागार से वितरित किया जाय।	३—ऐसा करना संभव नहीं है। तथापि हाई-स्कूलों व इन्टर कालेजों के शिक्षकों को समय से वेतन दिलाने के उद्देश्य से एक अध्यादेश प्रख्यापित कर दिया गया है।

मांग	स्थिति
४—पुनरीक्षित वेतनमानों में विज्ञान अध्यापकों का वेतन निर्धारित किया जाय।	४—इस संबंध में कार्यवाही की जा रही है।
५—राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों तथा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमानों के न्यूनतम स्तरों में जो असमानता है उसे दूर किया जाय।	५—ऐसा करना संभव नहीं है।

श्री रामगोपाल संड—

मान्यवर, मंत्री जी ने पहली मांग के विषय में बताया कि माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को राज्य कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिया जायगा।

वह कब से दिया जायेगा। दूसरे उन्होंने यह बताया है कि जे० टी० सी० ग्रेड को सी० टी० ग्रेड में बदलने पर सरकार विचार कर रही है। इस पर यह सरकार और पिछली सरकार दो वर्षों से विचार कर रही है। दो बार हमारे मान्यवर रामजीलाल सहायक, शिक्षा मंत्री बने। इस पर वे कब निर्णय लेंगे?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

शासन ने निर्णय ले लिया है और जब बजट पारित हो जायेगा उसके आदेश निर्गत कर दिये जायेंगे।

श्री रामगोपाल संड—

जे० टी० सी० ग्रेड को सी० टी० ग्रेड में सरकार कब बदल देगी? उसकी आज्ञा कब प्रसारित करेगी? क्योंकि मंत्री जी इस कुर्सी पर दोबारा आये हैं इसलिये मैं उन्हें इसके लिये स्मरण दिलाता हूं।

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

इस पर विचार जारी है। हमारे वित्तीय साधन जहां आज्ञा देंगे उस पर हम निर्णय ले लेंगे।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या शिक्षा मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो राज्य कोषागार से वेतन वितरण की बात है तो क्या उस पर आपने बैंक से वितरण किया है। जिस प्रकार से सारा सरकारी रुपया एक ही स्रोत में जमा होता है उसी प्रकार से सारा रुपया विद्यालयों का फीस द्वारा ही ८० प्रतिशत जमा होता है, उस को भी बक में जमा करायेंगे और एक ही स्रोत से वितरण कराने की कृपा करेंगे?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

यह मैं समझता हूं कि कोषागार से वितरण में अधिक खर्च पड़ेगा क्योंकि वहां स्टाफ अधिक बढ़ाना पड़ेगा। केवल जमा करने से काम नहीं चलेगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय मंत्री जी से जब शिष्ट मंडल मिला था तो उसने शिक्षा मंत्री जी से यह भी शिकायत की थी कि जो व्यवस्था नियमित वेतन देने की आपने कर रक्खी है वह ठीक रूप से काम नहीं कर रही है और बहुत जगह जो कोष स्थापित हुए हैं उनमें इन्स्पेक्टर दिलचस्पी नहीं लेते हैं और हस्ताक्षर नहीं करते हैं बल्कि उनको प्रबन्धकों के हाथ में छोड़ दिया गया है। ऐसी स्थिति में मंत्री जी क्या सदन को आश्वस्त करेंगे कि वे ऐसी व्यवस्था अवश्य कर देंगे कि वेतन वितरण के जम्मेदार इन्स्पेक्टर होंगे, प्रबन्धक नहीं ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

यह एक नई प्रणाली आरम्भ हुई है और जब नई प्रणाली आती है तब उसमें कुछ न कुछ गलत चीज निकलती है। उसका परीक्षण हो रहा है और उसका इलाज भी निकाला जा रहा है।

श्री रामगोपाल संड—

शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि विज्ञान के अध्यापकों के बारे में विचार किया जा रहा है और हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट के अध्यापकों को न्यूनतम वेतन राजकीय विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापकों के वेतन के समान कर रहे हैं, तो यह फैसला शिक्षा मंत्री जी कब तक ले लेंगे ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, वित्त विभाग से विज्ञान के अध्यापकों के वेतन के बारे में लिखा-पढ़ी हो रही है। आरम्भ में जब कमी थी, विज्ञान के अध्यापकों की, तो वृद्धि करके वेतन दिया जाता था। इस विषय पर बहस जारी है। वे कहते हैं कि हम मिला कर वेतन दें। लिखा-पढ़ी चल रही है। मैं समझता हूं कि जल्दी ही निर्णय हो जायेगा।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि क्या उनका विभाग अब यह परीक्षण कर चुका है कि शिक्षकों को नियमित रूप से वेतन देने का जो सरकार का निर्णय है उस पर सरकार को कुछ अधिक रुपया देना पड़ेगा या जितनी ग्रान्ट पहले वे दे देते थे उसमें नियमित वेतन वे दे लेंगे ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

अभी इसका जवाब देना मुश्किल होगा। अभी तो कुछ दिन हुए हैं। कुछ दिनों बाद इसका सही जवाब दिया जा सकेगा।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

क्या शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि उनके जो ये आदेश हैं वे सहायता प्राप्त अवकाश प्राप्त अध्यापकों पर भी लागू हुए थे। यदि नहीं तो क्यों ? क्या उनके लिये कोई आदेश प्रसारित करेंगे ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

यह तो पेंशन का सवाल आ गया। पेंशन के बारे में तो सर्विस बुक, करैक्टर रोल आदि की बात आ जाती है। तो इसमें तो यह सवाल आता नहीं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

जो अनुदान की राशि बैंक में जमा हो जाती है और फीस का ८० प्रतिशत जमा हो जाता है उससे वेतन दिया जाता है। बहुत से विद्यालयों में अनुदान इतना कम है कि फीस और अनुदान मिलाकर भी अध्यापकों का वेतन और पिछला बकाया पूरा नहीं हो पाता। इसलिए क्या

मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जो अनुदान विभिन्न विद्यालयों को मिल रहा है उस पर एक बार फिर विचार किया जाय और यह तय किया जाय किसी को बहुत ज्यादा मिल रहा है, किसी को बहुत कम मिल रहा है, सब को ठीक कर दिया जाय ताकि अनुदान और फीस मिल कर अध्यापकों को सही वेतन मिल सके ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

इस पर विचार जारी है और अनुदान दिये जाने के मानक को तब्दील किये जाने पर विचार हो रहा है।

मुरादाबाद में साम्प्रदायिक दंगों में हानि

**३---श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फरवरी-मार्च, १९७१ में अलीगढ़ व मुरादाबाद में साम्प्रदायिक दंगों में कितनी जन एवं धन की हानि हुई जिन व्यक्तियों को क्षति हुई उन्हें सरकार ने क्या सहायता दी ?

गृह उप मंत्री (श्री राम कृष्ण द्विवेदी)---

प्राप्त सूचना के अनुसार मार्च, १९७१ में अलीगढ़ में हुए साम्प्रदायिक दंगों में १५ व्यक्तियों की मृत्य हुई। १४,२७,८८० रुपये की क्षति आंकी गई। दंगा पीड़ितों के सहायतार्थ शासन द्वारा ७,५०,००० रुपया स्वीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रधान मन्त्री कोष से एक लाख रुपया दंगा पीड़तों के सहायतार्थ प्रदान किया गया।

मार्च, १९७१ में मुरादाबाद में हुए दंगे में १० व्यक्तियों की मृत्यु हुई। १,११० रुपये की आर्थिक क्षति आंकी गयी। २५,००० रुपये की सहायता प्रधान मंत्री कोष से प्रदान की गयी।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन दंगों में पुलिस कप्तान और जिलाधीश की अलीगढ़ में लापरवाही पायी गयी जिससे उनके ऊपर कार्यवाही की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मैं समझता हूं कि यह मामला सब-जूडिस है क्योंकि अलीगढ़ में एक कमीशन बैठा हुआ है और इन मामलों की जांच कर रहा है। इसलिए इस समय कुछ कहना सम्भव नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद जिले में जो साम्प्रदायिक दंगे हुए उनकी जांच किस अधिकारी के जरिये से की जा रही है और उसमें क्या प्रगति है ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

विभिन्न केसों के विभिन्न पहलुओं की हमारे स्क्वाड्स जांच कर रहे हैं। माननीय सदस्य को किसी केस विशेष की जानकारी करनी हो तो लिख कर दे दें, उसकी जानकारी करा दी जाएगी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

मैंने तो यह पूछा है कि कौन अधिकारी जांच कर रहा है, कमिश्नर, जिलाधीश या कोई जज साहब, कौन साहब जांच कर रहे है ?

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

मुरादाबाद के केस अलग-अलग हैं। अलग-अलग केस की अलग-अलग अधिकारी जांच कर रहे हैं।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन, व्यवस्था का प्रश्न है। मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि सब-जुडिश है। सब-जुडिश तब होता है जब जुडीशल कमीशन जांच करे। डिप्टी मिनिस्टर साहब ने कहा कि स्क्वैड जांच कर रहा है। क्या बात है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैंने अलीगढ़ के मामले में कहा था कि वहां कमीशन बैठा है। मुरादाबाद में मैंने नहीं कहा।

एक सदस्य—

कमीशन के कौन-कौन सदस्य हैं।

श्री अध्यक्ष—

इसमें कमीशन कहां है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि अलीगढ़ शहर में दंगे में जो मकान, दूकानें आदि जलायी गयीं, किस एजेन्सी के जरिए से उनका असेसमेंट कराया गया है जो ७ लाख का नुकसान बताया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिलाधिकारियों के जरिये इसका पता लगाया गया है।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

क्या मुख्य मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद में जिस दिन यह घटना हुई उस दिन गिरफ्तारियां हुई या नहीं और अगर गिरफ्तारियां हुयीं तो किस-किस दिन कितने-कितने आदमी गिरफ्तार किये गये।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

किस दिन कितने लोग गिरफ्तार हुये यह तो इस अवसर पर नहीं बताया जा सकता है लेकिन कुल ९ व्यक्ति गिरफ्तार हुये हैं?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

मुरादाबाद में प्रथम दिन कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई यह मैं जानना चाहता था। यदि प्रथम दिन ही काफी लोग इसमें पकड़ लिये जाते तो इसका इतना उग्र रूप नहीं होता। जिस दिन पुलिस स्टेशन पर ईंटें फेंकी गई उस दिन की क्या मुख्य मन्त्री जी जांच करवायेंगे, अगर उसकी जांच अभी तक नहीं करवाई गई है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आप इसकी स्पष्ट रूप से लिखित जानकारी करवायें तो इसकी निश्चित रूप से जांच करवाई जायेगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

जिन १५ व्यक्तियों की अलीगढ़ के दंगों में मृत्यु हुई है क्या मुख्य मन्त्री जी उनके नाम बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मान्यवर, मैं समझता हूं कि एक साम्प्रदायिक सद्भाव के विचार से जन हित में इस प्रकार से नामों का बताना अच्छा नहीं होगा। समाचार पत्र भी इस प्रकार से नामों को नहीं छापते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बतलायेंगे कि जो ये दंगे अलीगढ़ और मुरादाबाद में हुये उनके रोकथाम के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

जब दंगे हो जाते हैं और उनके रोकथाम के लिये जो व्यवस्था आवश्यक होती है वह यहां पर भी की गई।

अधिकतम जोत सीमा में संशोधन

**४---श्री रामलाल राही, (जिला सीतापुर) श्री मही लाल (जिला मुरादाबाद) तथा श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भूमि की अधिकतम जोत सीमा बाग-बंजर सहित मिलाकर ३० एकड़ रखने हेतु उसे सीलिंग ऐक्ट में संशोधन उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है? यदि हां, तो कब तक ?

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री काजी जलील अब्बासी)---

यह मामला शासन के विचाराधीन है। अन्तिम निर्णय लेने में समय लगेगा। तिथि निर्धारित करना सम्भव नहीं है पर आवश्यकता से अधिक विलम्ब न होगा।

श्री रामलाल राही---

सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत जोत सम्बन्धी सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में शासन कब से विचार कर रहा है और उसने इस सम्बन्ध में कौन सा फैसला किया है ?

राजस्व मन्त्री (श्री उदित नारायण शर्मा)---

मान्यवर, इस सम्बन्ध में जितने भी पहलू हैं सभी पर विचार किया जा रहा है। इससे सम्बन्धित यह पहलू है कि जो सीमा निर्धारित की जावेगी उसमें बागों को शामिल करेंगे या नहीं। दूसरी बात यह है कि जो परिवार होगा उसका क्या आकार होगा। तीसरा यह कि जो जमीन सीलिंग में आवेगी उसकी किस्म का भी लिहाज रक्खा जावेगा या नहीं। इसमें क्षेत्रीय असमानताओं का पहलू भी आता है। सिंचित और असिंचित जमीन का भी सवाल है। तो इन सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

अध्यक्ष जी, मैं मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब पिछली साझा सरकार थी और चौधरी साहब मुख्य मन्त्री थे, उस समय इस सदन में ठीक से मुझे याद नहीं है लकिन गवर्नर के भाषण में आया था कि ३० एकड़ तक सीलिंग करने का विचार है। उसमें इस सरकार के मन्त्री भी बैठे थे, तो अब शर्मा जी को कठिनाई क्या हो रही है, आपके मंत्रियों ने तो इस मामले में के सभी पहलुओं पर पहले ही सोच लिया है और ३० एकड़ आप करने जा रहे थे लेकिन पार्टी के दबाव.....

श्री अध्यक्ष—

आप बहस न कीजिये। प्रश्न पूछिए।

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं प्रश्न कर रहा हूं। जब आपने पहले ही ३० एकड़ के बारे में तय कर लिया था तो अब क्या बाहर या अन्दर के दबाव के कारण उससे हिचक रहे हैं ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

श्रीमन्, हमारी पार्टी ने जो विचार किया था उससे वह पिछड़ नहीं रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल के भाषण में जो था क्या उसको किसी ने कार्यान्वित किया। उसको कार्यान्वित करनें का कार्य चल रहा है। जब से यह सरकार आई है उस समय से फाइल पर लिखा हुआ रक्खा है कि इसके लिये एक कैबिनेट सब-कमेटी मुकर्रर की जायगी। सब-कमेटी १५ दिन पहले मुकर्रर कर दी गई है और वह विचार कर रही है।

श्री अनन्त राम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार को पता है कि इस आशय का एक बिल एक माननीय सदस्य ने दिया है और वह जब विचारार्थ आवेगा तो क्या सरकार उसका समर्थन करेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, जिनका गैर सरकारी प्रस्ताव आया है उनसे हमने कहा है कि सरकार इसी तरह का कानून बनाने जा रही है, इसलिये वह इसको वापस ले लें।

श्री मही लाल—

क्या माल मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे, जैसा कि उत्तर में कहा गया है, आवश्यकता से अधिक विलम्ब नहीं हुआ है, तो क्या वह इसी सत्र में अपना संशोधित विधेयक प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे।

दूसरा प्रश्न यह है कि माननीय मन्त्री जी निजी रूप से कितनी भूमि पर सीलिंग लगाने की बात सोच रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यहां निजी का सवाल नहीं है।

श्री महीलाल—

व्यक्तिगत रूप से माल मन्त्री जी का क्या विचार है।

श्री उदितनारायण शर्मा—

जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, इस सत्र में उस विधेयक को पेश करना शायद सम्भव न होगा। वैसे हम कोशिश करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

उनको उत्तर देने दें।

श्री उदितनारायण शर्मा—

दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि मन्त्री की कोई व्यक्तिगत राय नहीं हो सकती।

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)---

क्या गवर्नमेंट यह बतलाने की चेष्टा करेगी कि मौजूदा डिप्टी चेयरमैन श्री सुब्रामन्यम की ओर से कोई सुझाव उनके पास आया है ?

श्री उदितनारायण शर्मा---

मेरी जानकारी में नहीं है.....

श्री चरण सिंह---

क्या माननीय माल मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् ६९ में चीफ मिनिस्टर्स कांफरेन्स ने यह रिकमेंडेशन की थी कि जो सीलिंग सन् १९६०-६१ में सारे देश में लागू की गई थी उसको घटा दिया जाय ?

श्री उदितनारायण शर्मा---

हमारा भी उसको घटाने का इरादा है। इसलिए मैंने देखा है या नहीं उसका कोई असर नहीं पड़ता। अगर वह नहीं भी होता तो भी हमारे घटाने का इरादा है।

श्री चरण सिंह---

क्या माननीय मन्त्री जी को मालूम है कि तामिल नाडू में १५ एकड़ पर सीलिंग लागू की गई है और उसकी रोशनी में प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि सीलिंग घटाई जाय ?

श्री उदितनारायण शर्मा---

मान्यवर, मैंने यह निवेदन किया कि मैं इस बात पर इस वक्त कुछ नहीं कह सकता। प्लानिंग कमीशन की सिफारिश को देखते हुए सामूहिक रूप से जो निर्णय लिया जायेगा तभी कुछ बतलाया जा सकेगा।

श्री चरण सिंह---

मैं यह दरियाफ्त करना चाहता था कि माननीय मन्त्री जी ने कहा कि उनका घटाने का विचार है तो क्या ३० एकड़ से नीचे ले जाने का उनका विचार है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मान्यवर, इन विषयों पर समिति की रिपोर्ट जल्दी ही आयेगी और यदि हमारे लिये सम्भव हुआ तो हम इसी सत्र में विधेयक पेश करने से चूकेंगे नहीं। यह बात बराबर कही गई है प्लानिंग कमीशन से, चाहे लिखा पढ़ी हुई हो या नहीं, और केन्द्रीय सरकार से भी कि सीलिंग के सम्बन्ध में पुनर्विचार करना चाहिये और यहां भी बराबर विचार हो रहा है उस जमाने से जब कि चौधरी साहब हमारे मुख्य मन्त्री थे। हम चाहते हैं कि उस किस्से को जल्दी से जल्दी खत्म करें और हो सके तो कोई विधेयक ले आवें। हमारा इरादा है कि जिस समय रूरल एरिया में सीलिंग ले आवें तो उसी समय इस बात की भी आवश्यकता है कि अरबन एरिया में प्रापरटी पर सीलिंग लगे। उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। बार-बार कहा जाता है कि शहरी क्षेत्र में कोई सीलिंग नहीं हो रही है और जो होती है वह देहाती क्षेत्रों में होती है। यह जो आपत्ति उठाई जाती है वह सही है। हमने भारत सरकार को लिखा है। हमने भारत सरकार को जो सिफारिश चरण सिंह जी कर चुके थे उसकी ताईद करते हुये लिखा है कि अरबन प्रापरटी पर पांच लाख की सीलिंग कर दी जाय। यह भी लिखा है कि यदि भारत सरकार शीघ्र कानून बनावे तो ठीक है अन्यथा हमको इजाजत दे कि हम इस तरह का कानून बना सकें।

श्री रामकुमार शास्त्री--

सरकार ने जो समिति नियुक्त की है उसमें कितने सदस्य हैं और क्या यह बताने की भी कृपा करेंगे कि उसके सदस्य कौन-कौन हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

माननीय सदस्य आकर मुझसे पूछ लें, मैं उन्हें नाम बता दूंगा.....

(व्यवधान)

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। क्या माननीय मन्त्री जी किसी प्रश्न के उत्तर में यह कह सकते हैं कि माननीय सदस्य मेरे कमरे में आकर पूछ लें, मैं नाम बता दूंगा ?

श्री महीलाल--

श्रीमन्, अभी मन्त्री जी ने उत्तर दिया कि वे मन्त्री जी के कमरे में चले जायं, वे उनको समिति के सदस्यों के नाम बता देंगे, तो क्या वे यहां सदन में किसी प्रश्न का उत्तर न देकर इस तरह का उत्तर दे सकते हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

मान्यवर, मैंने यह बात इसलिये नहीं कही थी कि मैं समिति के सदस्यों के नाम यहां सदन में बताना नहीं चाहता था, वह मैंने इसलिये कहा था कि इस समय मेरे पास सूचना नहीं थी उसकी। अब अगर आप आदेश देंगे तो मैं ५ मिनट में फाइल मंगा कर आपको बता दूंगा।

(व्यवधान)

श्री महीलाल--

श्रीमन्, मेरे प्रश्न को देखने की कृपा करें, मेरा निश्चित प्रश्न था, उससे सम्बन्धित सभी सूचना माननीय मन्त्री जी को लाना चाहिये था, एक अधूरा उत्तर देना सदन का अवमान है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

श्रीमन्, मैं समझता हूं माननीय राजस्व मन्त्री जी का यह इरादा कतई नहीं था कि वे नाम यहां सदन में न बतायें। वे यह भी कह सकते थे सूचना की आवश्यकता है, किन्तु उन्होंने यह कह दिया कि माननीय सदस्य आ जायें वे बता देंगे। कैबिनेट की एक सब-कमेटी बनी हुई है, उसमें कुछ मिनिस्टर हैं, कुछ अधिकारी हैं। अभी बताने में, बिना फाइल देखे, कोई नाम रह जायेगा या कोई गलती हो जायेगी तो माननीय सदस्य यह कहेंगे कि गलत सूचना दी गई। माननीय राजस्व मन्त्री जी ने कहा है कि मंगा कर सूचना दे देंगे, उसमें क्या आपत्ति हो गई।

श्री चरण सिंह--

माननीय मन्त्री जी ने फरमाया कि उनका इरादा सूचना को हाऊस से छिपाने का नहीं था, मैं उनसे सहमत हूं। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि कभी-कभी मिनिस्टर यह बात कहने का हक रखते हैं कि उनके कमरे में आकर माननीय सदस्य इंफारमेशन कलेक्ट कर लें। लेकिन वह उस सूरत में होता है जब कि कोई लम्बी फेहरिस्त हो या लम्बी सूचना हो जो यहां न दी जा सकती हो। यह तो एक छोटी सी सब कमेटी है, १०-१२ नाम मुश्किल से होंगे, वह सूचना यहां होना चाहिये थी। अब अगर गलती से वह नहीं है तो गलती स्वीकार करना चाहिये थी।

श्री उदित नारायण शर्मा--

श्रीमन्, प्रश्न को देखने की कृपा करें। उस प्रश्न को देख कर किसी को यह ध्यान भी नहीं आ सकता कि यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कमेटी है, उसके कौन-कौन सदस्य हैं।

श्री अध्यक्ष--

राजस्व मन्त्री जी ने जब अपना जवाब दे दिया कि हमने एक कमेटी बैठा दी है, अगर कमेटी बैठा दी है तो दूसरा पूरक प्रश्न कर सकता है कि कमेटी में कौन सदस्य ह। यह एक्सपेक्टेशन करना चाहिए। अगर एक्सपेक्टेशन नहीं किया तो भूल मान लेनी चाहिए, मैं मंगा देता हूं मेरे पास मौजूद नहीं है। खैर ठीक है, आखिर में आपने कहा कि मेरे पास नहीं है मैं मंगा देता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं प्रश्नकर्ता हूं आपने मुझे एक अवसर भी नहीं दिया।

(व्यवधान)

श्री राम लाल राही--

क्या माननीय राजस्व मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे, जैसे उन्होंने अपने उत्तर में बताया है कि हमने एक समिति गठित कर दी है, माननीय मुख्य मन्त्री जी उस समिति को ऐसा पत्र लिखेंगे कि वर्तमान सदन जो चल रहा है उसी टाइम तक वह रिपोर्ट दे दे और जल्द कोई विधेयक आ जाय?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मैंने आपसे निवेदन किया, मान्यवर, हम इस बात की चेष्टा कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस विधेयक को ले आएं। यही कहा।

श्री महीलाल--

क्या माननीय माल मन्त्री जी.....

(व्यवधान)

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायन सिंह--

वह कितने सवाल पूछेंगे? हम लोगों को भी प्रश्न पूछने का मौका दें।

श्री महीलाल--

क्या माननीय माल मन्त्री जी अपनी स्मृति के आधार पर यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समिति में मन्त्रिमंडल के कौन-कौन माननीय सदस्य हैं?

श्री उदितनारायण शर्मा--

मैंने निवेदन किया कि उसमें सूचना की आवश्यकता है और यह बता दिया गया कि उसमें केवल मंत्रि-परिषद् के सदस्य हैं, कुछ थोड़े अफसर हैं। उनके नाम पांच मिनट में आ जायेंगे। आपको बता दिये जायेंगे।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायन सिंह—

मान्यवर, मेरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भूतपूर्व मुख्य मन्त्री चौधरी चरण सिंह को २३५ विधायकों ने इस सम्बन्ध में लिखकर दिया था.....

(व्यवधान)

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, बहुत शोरगुल हो रहा है। यह बिलकुल अस्पष्ट है कि प्रश्न क्या है और किस प्रश्न का उत्तर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठ जांय। यह तो माननीय मंत्री जी ने बता दिया कि शहरी सम्पत्ति के लिये भी सीलिंग का प्रयत्न हम करेंगे। उसके बाद आपको शान्त हो जाना चाहिए.....

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायन सिंह—

मान्यवर, मैं यह पूछ रहा हूं कि जो २३५ सदस्यों से कागज भूतपूर्व मुख्य मन्त्री को दिया गया था, क्या वे उस कागज को सदन में रखने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

इसके बारे में वे उत्तर दे चुके हैं। अब आप शांत हो कर बैठ जांय।

(घोर व्यवधान)

श्री शिव कुमार पांडेय—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। एक समय में केवल एक आदमी को ही बोलना चाहिए। अन्यथा कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या बहस चल रही है।

श्री अध्यक्ष—

जो प्रश्न है और जिसका वह प्रश्न है उसी को पहले बोलने का अवसर दिया जाता है।

एक सदस्य—

आप उन्हीं को अवसर देंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे?

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपया शांत रहें.....

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

वाराणसी में असिंचित भूमि

*१—श्री राम किशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद में कितनी भूमि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में असिंचित थी और कितनी सिंचित थी? असिंचित भूमि को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के निमित्त चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस जनपद के लिये क्या प्राविधान है?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामलखन)—

प्रश्न का प्रथम भाग—

वाराणसी जनपद में चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के प्रारम्भ में असिंचित भूमि ४,१७,६१७ एकड़ थी तथा विभिन्न श्रोतों से सिंचित भूमि ४,१६,०६५ एकड़ थी।

प्रश्न का द्वितीय भाग—

असिंचित भूमि को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए चतुर्थ पंच वर्षीय योजना-काल में जो योजनायें प्रस्तावित है उनका विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४०० पर)

गोरखपुर के लक्ष्मीपुर और नौतनवां क्षेत्र में नलकूपों का सर्वेक्षण

*२—श्री रामलगन दुबे (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जनपद के विकास हेतु लक्ष्मीपुर और नौतनवां में राजकीय नलकूपों के लगाने के लिये नलकूप डिवीजन के द्वारा सर्वेक्षण किया गया है? यदि हां, तो कितने नलकूपों के लिये और किन-किन स्थानों पर और सरकार नलकूपों की व्यवस्था कब तक कर देने का विचार कर रही है?

श्री राम लखन—

जी हां। भारत सरकार के केन्द्रीय अन्वेषणात्मक संस्थान द्वारा गोरखपुर के लक्ष्मीपुर तथा नौतनवां विकास क्षेत्र में एक अन्वेषणात्मक नलकूप लगाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और इस नलकूप के लिए संलग्न सूची में दिये गये स्थानों का सर्वेक्षण किया गया है। इस अन्वेषणात्मक नलकूप के लिए स्थान का अन्तिम रूप से चुनाव अभी नहीं हुआ है। इस अन्वेषणात्मक नलकूप के निर्माण के बाद ही क्षेत्र में नलकूपों के निर्माण का प्रश्न उठेगा।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४०१ पर)

बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया में मार्गों के हेतु मुआवजा

*३—श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती) तथा रामकरनसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा लेटरल रोड, बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया जिले में मार्गों का निर्माण हो रहा है? यदि हां, तो इसमें से किस-किस जिले में कितना-कितना मुआवजा किस रेट से कितने-कितने जमीन का किसानों को दिया गया है और कितना बाकी है और अस्थायी भूमि कितने समय तक के उन्हें कितने एकड़ ली गई है? क्या यह सही है कि जो जमीन किसानों से ले गई है उसका उन्हें मुआवजा नहीं मिला उल्टे उन्हें उसका लगान देना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार मुआवजा दिलाने और लगान वापस दिलाने की व्यवस्था करेगी?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राज बिहारी सिंह)—

जी हां, बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर व देवरिया जिलों में लेटरल रोड का निर्माण हो रहा है। जिलेवार वांछित सूचना सदन की मेज पर रक्खे विवरण में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४०२ पर)

श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे जो यह जमीन ३ वर्ष के लिये ली गई थी वह किस सन् में ली गई थी? और वह तीन वर्ष कब पूरे हो गये?

श्री राजबिहारी सिंह---

इसमें किसी एक जिले की बात नहीं है। यह १९६३ से १९६६ तक तीन वर्षों में प्रत्येक जिले की अस्थायी और स्थायी भूमि ली गयी है।

श्री सुखपाल पांडेय---

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि इन तीन सालों में कितनी-कितनी जमीन, कब-कब किस जिले में ली गयी ?

श्री राजबिहारी सिंह---

श्रीमन्, जिलेवार सूची तो बहुत लंबी है, आपकी इजाजत हो उसे पढ़ दूं। बहराइच में ९८७ एकड़ सन् १९६५-६६ में ली गयी है। गोरखपुर में १०६.५ एकड़ और देवरिया में १६५ एकड़, सन् १९६६ में ली गयी है तथा गोंडा और बस्ती में ४९० एकड़, ६५ से ६८ तक ली गयी है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो जमीनें एक्वायर की गयी हैं वे किस रेट पर की गयी हैं और कितने किसानों को उस रेट से मुआवजा दिया जा चुका है?

श्री राजबिहारी सिंह---

अलग-अलग जमीन अलग-अलग रेट पर ली गयी हैं। यह सिद्धान्त तय किया गया है कि बाजार भाव से प्रत्येक व्यक्ति को मुआवजा दिया जायगा।

तहसील कैसरगंज में नालियों की सफाई का भुगतान

*४---श्री वासुदेव सिंह (जिला बहराइच)---

क्या सिंचाई मन्त्री जांच कराकर बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले की तहसील कैसरगंज के अन्तर्गत राजकीय नलकूपों की नालियों की सफाई एवं मरम्मत १९७० में नहीं हुई फिर भी उसका भुगतान कर दिया गया ? यदि हां, तो कब कितना धन दिया गया ?

श्री रामलखन---

जिला बहराइच के कैसरगंज तहसील के नलकूपों पर गूलों की सफाई दैनिक मजदूरों द्वारा कराई गई जिस पर कुल खर्च १,१७५ रु० हुआ।

खैरोला माइनर का निर्माण तथा सिंचाई

*५---श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)---

क्या विधान सभा की बैठक १६ दिसम्बर, १९७० को नत्थी (ख) में प्रश्न संख्या ४२ व ४३ के उत्तर के क्रम में क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतावेंगे कि ८१,१२३ रुपयों की लागत से जिस खैरोला माइनर का निर्माण हुआ इससे कितनी भूमि सिंचित की जा रही है ?

नोटः---तारांकित प्रश्न ३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री रामलखन—

खैरौला माइनर के निर्माण का कार्य वर्ष १९७०–७१ में भी चालू रहा। पिछली खरीफ की फसल तक कोई सिंचाई नहीं हुई और पिछली रबी की फसल में १८ एकड़ भूमि की सिंचाई हुई।

*६—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सिंचाई मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस निर्माण कार्य के उन दस ठेकेदारों के नाम व पते क्या हैं और यह योजना किस आधार पर किस अधिकारी द्वारा किस उद्देश्य से प्रारम्भ की गई ?

श्री रामलखन—

प्रश्न का प्रथम भाग

सूचना संलग्न है (संलग्नक 'क')

प्रश्न का द्वितीय भाग—

खैरौला नहर के निर्माण कार्य की योजना ज्योलीकोट विकास खण्ड के प्रथम सोपान के विकास कार्यों में सम्मिलित थी और इस योजना का प्रारम्भ सहायक अभियन्ता द्वितीय उप-खण्ड तराई, सिंचाई खण्ड हल्द्वानी द्वारा खैरौला ग्राम की भूमि की सिंचाई हेतु किया गया था।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४०३ पर)

बाढ़ संबंधी राहत कार्य में गबन

*७—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५५–५६ में बाढ़ सम्बन्धी राहत कार्य के दौरान बलिया जनपद स्थित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग कार्यालय से सम्बद्ध भारी रकम के गबन का मामला सरकार के प्रकाश में आया है और मामले से सम्बद्ध कोई ओवरसियर ग्राम भदौली बुजुर्ग, जिला फैजाबाद का निवासी अब तक निलम्बित है ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री रामलखन—

यह ठीक है कि वर्ष १९५५–५६ में महुला गढ़वाल तटीय बांध से सम्बद्ध माप में लगभग ५,००० रु० की गड़बड़ी थी। एक अधिदर्शक श्री विक्रमादित्य सिंह को जो ग्राम भदौली बुजुर्ग, जिला फैजाबाद के निवासी हैं, ११ दिसम्बर, १९५७ को निलम्बित किया गया था।

इस मामले में जांच समाप्त की जा चुकी है तथा अंतिम आदेश पारित किये जा रहे हैं।

सड़क बनाने की योजना

*८—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में गोरखपुर-देवरिया रोड पर स्थित स्थान मोतीराम अड्डा के कुछ उत्तर से निकलने वाली सड़क मोतीराम अड्डा से लक्ष्मीपुर बरही होते हुए बोहावार तक जाने वाली सड़क को आगामी बजट में बनवाने की योजना है ? यदि हां, तो कब से एवं कितने मील तक ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री महमूद अली खां)—

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण की इस समय कोई योजना नहीं है।

एटा डिपो में राजकीय बसें

*९—श्री सियाराम तथा श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा डिपो में कितनी राजकीय बसें हैं, उनमें कितनी बसें चालू हैं और कितनी खराब हालत में कब से खड़ी हैं और क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री बलरामसिंह यादव)—

राजकीय रोडवेज क्षेत्र अलीगढ़ के अन्तर्गत एटा डिपो में मई, १९७१ में कुल ७४ बसें थीं। इनमें से ६२ बसें चालू हालत में हैं और १२ बसें आफ रोड हैं। जो बसें मरम्मत के लिये आफ रोड हैं उनका विवरण संलग्न तालिका में है।

(देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ ४०४ पर।)

राष्ट्रीयकृत सड़कों पर रोडवेज की बसें

*१०—श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ३१ अक्तूबर, १९७० को राष्ट्रीय सड़कों पर चलाने के लिये उत्तर प्रदेश रोडवेज की कितनी बसों की आवश्यकता थी तथा उनमें कितनी बसें चलती थीं और चलने वाली बसों में ८ १/२ साल से ज्यादा पुरानी कितनी बसें हैं ?

श्री बलरामसिंह यादव—

अक्तूबर, १९७० को राष्ट्रीयकृत सड़कों पर चलाने के लिए उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज को अनुमानित ४,०७१ बसों की आवश्यकता थी। लेकिन केवल ३८७३ बसें, जिनमें ७८६ बसें ८ १/२ साल पुरानी थीं, ही उपलब्ध थीं। इनमें से ९८६ बसों को छोड़ कर जो मरम्मत आदि में थीं, सभी बसें राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चलीं।

तारांकित प्रश्न

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा गढ़वाल में सड़कों की स्वीकृति

*१—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल जिले के लिये वर्ष १९७१-७२ में कितनी सड़कें मंजूर की गई हैं ? क्या उनमें चिपलघाट, पैठाणी, गिर्दीखाल, कर्ण प्रयाग सड़क भी है ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

श्री महमूद अली खाँ—

गढ़वाल जिले के लिये वर्ष १९७–१७२ में कोई भी नई सड़क अभी तक मंजूर नहीं की गई है। अतः चिपलघाट–पैठाणी गिर्दीखाल-कर्णप्रयाग सड़क का उनमें सम्मिलित होने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

कोटद्वारा डिपो में पुरानी बसें

*२—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या परिवहन मन्त्री को ज्ञात है कि गढ़वाल जिले के कोटद्वार डिपो में राजकीय रोडवेज की सभी बसें पुरानी हैं ? पहाड़ी क्षेत्र में पुरानी गाड़ियों के रखने के क्या कारण हैं ? सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री बलरामसिंह यादव---

जी नहीं। कोटद्वार डिपो की सारी बसें पुरानी नहीं हैं?

*३---श्री भानु प्रताप सिंह (बरेली)---

[२रे गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या ६३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मुरादाबाद में प्राइवेट बसें

*४---श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

क्या परिवहन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में किस-किस रूट पर प्राइवेट बसें चल रही हैं और कितनी-कितनी संख्या में हैं और उन रूटों के राष्ट्रीयकरण होने में क्या कठिनाई है?

श्री बलरामसिंह यादव---

जिला मुरादाबाद में निम्नलिखित मार्गों पर प्राइवेट बसें चल रही हैं। चलने वाली बसों की संख्या प्रत्येक मार्ग के सामने दी गई है:

	बसें
१---चंदोसी-संभल-बहजोई-हसनपुर-इस्लामनगर ..	३१
२---हसनपुर-आदमपुर	४
३---हसनपुर-रेहरा	७
४---मुरादाबाद-डिलारी-काशीपुर	६
५---मुरादाबाद-ठाकुरद्वारा-काशीपुर-रामनगर	२२
६---मुरादाबाद-टांडा-दड़ियाल-काशीपुर-रामनगर ..	६
७---मुरादाबाद-टांडा-दड़ियाल-काशीपुर	६
८---ठाकुरद्वारा-स्योहारा	१२
९---नगली-जोया	३
१०---कोठ-अमरोहा	५
११---सम्भल-अमरोहा	४
१२---शेरपुर---अमरोहा	६
१३---चन्दौसी-राजघाट	८

इन मार्गों में से

१---मुरादाबाद-डिलारी

२---मुरादाबाद-काशीपुर-रामनगर

३---मुरादाबाद-काशीपुर

४---मुरादाबाद-टांडा दड़ियाल-काशीपुर-रामनगर

५---मुरादाबाद-टांडा-दड़ियाल।

मार्गों के राष्ट्रीयकरण की योजना मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की धारा ६८-सी के अन्तर्गत सरकारी गजट में प्रकाशित हो चुकी है और इन पर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। शेष मार्गों के राष्ट्रीयकरण का अभी विचार नहीं है।

संभागीय परिवहन अधिकारी मुरादाबाद द्वारा विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत वाहनों का चालान तथा जुर्माना

*५---श्री रियासत हुसैन---

क्या परिवहन मन्त्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि आर० टी० ओ०, मुरादाबाद ने पिछले अक्तूबर सन् १९७० से ३१ मार्च, १९७१ तक कुल कितने वाहन कानून उल्लंघन में पकड़े और कितना रुपया जुर्माने में वसूल हुआ?

श्री बलरामसिंह यादव—

आर० टी० ओ०, मुरादाबाद का कोई पद ही नहीं है। अतएव उनके द्वारा कानून उल्लंघन में वाहनों के पकड़े जाने तथा जुर्माना वसूल किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। परन्तु सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) मुरादाबाद ने इस अवधि में कुल ९८२ चालान विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत किये। इस अवधि में न्यायालय द्वारा और संभागीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा कुल रु० ४२,४६५.०० जुर्माना हुआ।

*६—श्री रामलगन दूबे—

[४थे मंगलवार के लिय तारांकित प्रश्न संख्या ३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*७—श्री प्रियदर्शी जेटली—

[१ले सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या ७४ के अन्तर्गत उत्तरित]

जिला गोरखपुर के बास गांव—उरुवा मार्ग के निर्माण स्वीकृति

*८—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला गोरखपुर में बांसगांव-उरूवा मार्ग की स्वीकृति दे दी गई है तथा निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है?

*९—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि १९७१-७२ के वित्तीय वर्ष में जिला गोरखपुर के अन्तर्गत बांसगांव—मानहनपार—उरूवा रोड पर निर्माण-कार्य कब से प्रारम्भ होगा और इस निर्माण-कार्य पर कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

श्री महमूद अली खां—

दोनों प्रश्नों का सम्बन्ध एक ही सड़क से है जो गोरखपुर जिले में बांसगांव से माल्हनपुर होते हुये उरुवा जाती है। इस १८ किलोमीटर सड़क के निर्माण में १०.९२ लाख रुपया खर्च होने का अनुमान है। मार्ग के निर्माण की स्वीकृति शासन द्वारा अप्रैल, १९७१ में दी जा चुकी है। मुख्य अभियन्ता द्वारा विस्तृत आगणन की जांच हो रही है और उनकी स्वीकृति होने के बाद काम शुरू हो सकेगा।

*१०—श्री गोविन्द सिंह—

[१ले गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या १२० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

*११—श्री मोतीलाल देहलवी तथा श्री शिव कैलाश—

[३रे बुधवार के लिये स्थगित]

टिहरी गढ़वाल के जखोली विकास क्षेत्र में गर्डर पुल बनाने का प्रश्न

*१२—श्री इन्द्र मणि (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगें कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत टिहरी गढ़वाल के जखोली विकास क्षेत्र के लस्तर नदी में जो पांजणा स्थान पर पुल बनाना स्वीकृत हुआ था वह अभी तक क्यों नहीं बना?

श्री महमूद अली खां—

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रश्नगत पुल का निर्माण उस समय धनखाली वाले मोटर मार्ग के प्रस्तावित निर्माण के कारण रद्द कर दिया गया था। बाद में जब उक्त मोटर मार्ग का एलाइनमेंट बनखाली तिलवारा कर दिया गया तो पांचणा पर शासन द्वारा

एक झूला पुल का निर्माण स्वीकृत किया गया। लेकिन तब तक प्रस्तावित पुल के स्थान के पास ही वन विभाग ने एक लकड़ी का पुल बना दिया था। अतः अब वहां एक गर्डर पुल बनाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

टिहरी-गढ़वाल में मोटर मार्गों से नहरों को क्षति

*१३—श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला टिहरी-गढ़वाल में जाजल, गाजा, टिहरी,देवप्रयाग, टिहरी लम्बगांव मोटर मार्गों के निर्माण से किन-किन ग्रामों की सिंचाई की नहरों को क्षति पहुंची है और इनकी क्षति पूर्ति के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है?

श्री महमूद अली खां—

(१) जाजल गाजा मोटर मार्ग के निर्माण से गैण्डा, गण्डी तथा चिड़ियाली ग्रामों की नहरों को क्षति पहुंची है। चूंकि अभी निर्माण कार्य चालू है और समय-समय पर पत्थर और मलबा गिरता रहता है अतः जब कार्य पूर्ण हो जायगा उसके पश्चात् ही क्षति का सही अनुमान लगाकर मुआवजा आंका जा सकेगा।

(२) टिहरी देव प्रयाग मोटर मार्ग के टिहरी हिन्डोला खाल भाग के निर्माण से अन्जनीशैव हायर सेकन्ड्री स्कूल के मार्ग की गूल तथा किलोमीटर ४ में स्थित एक कच्चे गूल की क्षति पहुंची है। स्कूल के गूल की मरम्मत का कार्य समाप्त प्रायः है और कच्चे गूल की मरम्मत मई जून, १९७१ में करा दी गई है।

(३) टिहरी लम्बगांव मार्ग के लम्बगांव प्रतापनगर भाग के निर्माण से जेवाला तथा क्वारी ग्रामों की सिंचाई की नालियों को क्षति पहुंची है। जैसे-जैसे सड़क के कटान का कार्य पूरा होता जाता है वैसे-वैसे गूलों की मरम्मत भी करा दी जाती है।

देवरिया में नदावर घाट के पुल का निर्माण

*१४—श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया के अन्तर्गत छोटी गंडक में नदावर घाट पर पुल बनाने का कार्य कब से चालू हो जायगा? उक्त पुल बनाने का ठेका किसे दिया गया है तथा कब तक उक्त पुल बनकर तैयार होगा?

श्री महमूद अली खां—

नदावरघाट के पुल के निर्माण हेतु टेंडर प्राप्त हुए हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। निर्माण कार्य टेंडर स्वीकृत होने के उपरान्त बरसात के बाद प्रारम्भ होने की आशा है। पुल निर्माण में सामान्यतयः ३ वर्ष का समय लगता है।

सीमान्त कार्य खण्ड के प्रभावित पदों को अधिष्ठान में लेना

*१५—श्री गोपालदत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सीमांत कार्य खंड, पिथौरागढ़ १२ वां सार्वजनिक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ के कार्यरत प्रभावित कर्मचारी जिनको निमित्त अधिष्ठान में लेने के आदेश राज्य पत्र संख्या २७४५-इवी० आर० (२३) पी० डब्ल्यू०डी-७४-ई० वी० आर०-६८, दिनांक २६ जुलाई, १९६८ जारी किये गये, उसके अनुसार क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री महमूद अली खां—

सीमांत कार्यखंड, पिथौरागढ़ के विभिन्न श्रेणी १३१ कार्य प्रभावित पदों को नियमित अधिष्ठान में लेने के आदेश कथित राज्यादेश के अनुसार दिये गये हैं। इनमें से ११४ पदों पर कर्मचारी लिये जा चुके हैं तथा शेष १७ पदों के विषय में कार्यवाही की जा रही है।

*१६–१७—श्री शेरसिंह दानू—

[२रे गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या ३४–३५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

रीजनल परिवहन कार्यालय बरेली में राजपत्रित अधिकारी

*१८—श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रीजनल परिवहन कार्यालय, बरेली में कुल कितने राजपत्रित अधिकारी कार्य कर रहे हैं तथा यह अधिकार कब से हैं और इनकी योग्यता क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

राजपत्रित अधिकारियों का व्योरा इस प्रकार है:—

अधिकारी	नियुक्ति की तिथि	शैक्षिक योग्यता
(१) श्री बी० एन० टंडन, संभागीय परिवहन अधिकारी।	१३–६–७०	एम०ए०, एल०एल०बी०।
(२) श्री इन्द्रमणि शुक्ला, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)	१–८–६८	एम०ए०
(३) श्री दिनेश सिंह सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)	३०–७–६८	एम०ए०
(४) श्री महेशचन्द्र चतुर्वेदी, यात्री कर अधिकारी	२६–९–७०	बी०ए०
(५) श्री इ० हक०, मालकर अधिकारी	१४–१०–७०	बी० ए०

श्री चेतराम गंगवा —

*१ —क्या परिवहन मन्त्री को ज्ञात है कि इसी कार्यालय में कुछ ऐसे अधिकारी गत तीन वर्ष से कार्य कर रहे हैं जो गजटेड पोस्ट के लिये क्वालीफाइड नहीं है ? यदि हां, तो उनका स्थानान्तरण कब तक कर दिया जायगा ?

श्री बलरामसिंह यादव—

ऐसा कोई अधिकारी नहीं है। अतः दूसरा प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर की डेरापुर तहसील में सड़क निर्माण

*२०—चौधरी रामपालसिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील के अन्तर्गत डेरापुर से कहिजंरी तक १६ मील सड़क बनाये जाने के संबंध में अधिशासी अभियंता प्रांतीय मंडल कानपुर ने मौके की जांच कर उक्त सड़क के बनाये जाने के संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को जनवरी, १९७१ में भेजी है। यदि हां, तो उक्त सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कब तक बनवाया जायगा ?

श्री महमूद अली खां—

प्रश्नगत सड़क के निर्माण की इस समय कोई योजना नहीं है।

तहसील हल्द्वानी के अन्तर्गत मार्ग निर्माण तथा किच्छा में पुल निर्माण के संबंध में जानकारी

*२१—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतावेंगे कि जिला नैनीताल में तहसील हल्द्वानी के अन्तर्गत ब्लाक कार्यालय से ग्राम बिठौरिया नं० २ तक मार्ग का निर्माण कार्य तथा तहसील किच्छा में ग्राम शांतिपुरी के लिये पहानदी पर पुल का निर्माण-कार्य कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री महमूद अली खां—

इस मार्ग एवं पुल के निर्माण का कार्य अभी तक किसी योजना में स्वीकृत नहीं किया गया है । अतः इनके निर्माण का कार्य आरम्भ करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*२२—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

*२३–२४—श्री जयराम यादव—

[२ रे मंगलवार के लिए तारांकित प्रश्न संख्या ५६–५७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

इटावा में सड़क का निर्माण-कार्य

*२५—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के बजट में स्वीकृत कंचौसी बाजार से ककौर, जिला इटावा सड़क का प्रारम्भिक आगणन तैयार हो गया है, परन्तु प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति, विस्तृत आगणन पर प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करने में बिलम्ब किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? और निर्माण कार्य प्रारम्भ कब किया जायगा तथा कितने दिनों में पूरा हो जायगा ?

श्री महमूद अली खां—

इस सड़क के प्रारम्भिक आगणन की प्रशासकीय स्वीकृति तथा इसके निर्माण की वित्तीय स्वीकृति शासन द्वारा दिसम्बर, १९७० में प्रदान की जा चुकी है । सड़क के विस्तृत सर्वेक्षण के बाद विस्तृत आगणन तैयार किया जा रहा है । विस्तृत आगणन की पूर्णरूप से जांच कर लेने के पश्चात् स्वीकृति प्रदान की जायेगी । अतः इस समय यह बताना संभव नहीं है कि निर्माण-कार्य कब आरम्भ होगा तथा कब पूर्ण हो सकेगा ।

*२६—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त सड़क को कंचौसी ९ मील और आगे बढ़ाकर लहरापुर होते हुए रसूलाबाद तक बिल्हौर, सिकन्दरा रोड से मिला देने की स्वीकृति वित्तीय वर्ष १९७१–७२ में प्रदान की जा रही है । यदि हां, तो सड़क कब तक बन जायगी ?

श्री महमूद अली खां—

जी नहीं । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

सीतापुर कस्बा मार्ग का निर्माण

*२७—श्री रामलाल राही—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर कस्बा मार्ग जो जिला परिषद् के अधिकार क्षेत्र में था, पी० डब्ल्यू० डी० में लेकर बनवाने का सुझाव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक इस मार्ग को बनवाने का विचार किया जा रहा है ?

श्री महमूद अली खां—

जी नहीं ।

*२८—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[३रे शुक्रवार के लिए तारांकित प्रश्न संख्या १४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोरखपुर में नौतनवां ठूठीवारी सड़क हेतु भूमि का मुआवजा

*२९—श्री रामलगन दूबे—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में नौतनवा ठूठीवारी तथा कोल ई लोटन सड़क के लिये वर्षों पूर्व ली गई भूमि का मुआविजा कई गांवों के किसानों को अभी तक नहीं दिया जा सका ? यदि हां, तो किन-किन गांवों के किसानों को मुआविजा नहीं दिया गया ?

श्री महमूद अली खां—

नौतनवा-ठूठींबारी सड़क के लिये २१ गांवों की भूमि अस्थायी रूप से ली गई थी और उन्हीं में से १८ गांवों की भूमि बाद में स्थायी रूप से ली गयी । इनका प्रतिकर अभी अंतिम रूप से निर्धारित नहीं हो पाया है। गांवों की सूचियां सदन की मेज पर रक्खी हैं ।

कोल्हई-लोटन—सड़क के लिये अध्याप्त की गई भूमि का प्रतिकर बांटा जा चुका है । जो व्यक्ति प्रतिकर लेने नहीं गये उनका धन जमा है और मांगने पर दे दिया जायगा ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४०५ पर)

*३०—श्री रामलगन दूबे—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को यह भी मालूम है कि ली गई जमीन का मुआविजा न दिये जाने एवं दाखिल खारिज के अभाव में सड़क की भूमि का लगान भी किसान से वसूल कर लिया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार मुआविजा देने तथा नाजायज लगान की वसूली की क्षति पूर्ति के विषय में सम्बद्ध किसानों को कब तक संरक्षण प्रदान करने पर विचार कर रही है ?

श्री महमूद अली खां—

नौतनवा-ठूंठीबारी सड़क के लिये स्थायी रूप से अध्याप्त की गई १८ गांवों में दाखिल खारिज व मालगुजारी में छूट के आदेश जारी किये जा चुके हैं। काश्तकारों से वसूला गया अधिक लगान अगली किस्तों में मुजरा कर दिया जायगा ।

*३१—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[१ ले गुरुवार के लिए तारांकित प्रश्न संख्या १२१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

सीतापुर सार्वजनिक विभाग के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध आरोप पत्र

*३२—श्री रामलाल राही—

क्या सार्वजनकि निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सीतापुर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध विभागीय कर्मचारियों ने प्रदेशीय उच्च अधिकारियों को आरोप-पत्र अक्तूबर सन् १९७० में दिया था जिसकी जांच अधीक्षण अभियन्ता ने की है? यदि हां, तो जांच से उच्च अधिकारी किस नतीजे पर पहुंचे और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री महमूद अली खां--

यह सही है कि सीतापुर प्रांतीय खंड, सार्वजनिक निर्माण विभाग के १३ ओवरसियरों ने उक्त खंड के अधिशासी अभियंता के विरुद्ध अक्तूबर, १९७० में एक शिकायती-पत्र दिया था। उस शिकायत की जांच अधीक्षण अभियंता चतुर्थ वृत्त, लखनऊ ने की थी। संबंधित अधिशासी अभियंता, श्री राम प्रकाश, के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की आगे और तफसील से जांच हो रही है तथा जांच के पूर्ण होने पर ही पता चलेगा कि कौन व्यक्ति दोषी हैं। जांच के दौरान सीतापुर प्रांतीय खंड से श्री राम प्रकाश, अधिशासी अभियंता का स्थानान्तरण कर दिया गया है।

जिला परिषद्, फतेहपुर की सड़कों का निर्माण-कार्य

*३३--श्री पन्नालाल गुप्ता (जिला फतेहपुर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बिन्दकी-फतेहपुर से कुंवरपुर होकर अल्लीपुर के पा जी० टी० रोड पर जो मुगल रोड आगरा से आकर मिलती है इस ११ मील के टुकड़े को जिला परिषद्, फतेहपुर से लेकर सरकार द्वारा निर्माण कराने का कार्य विचाराधीन है? यदि हां, तो इसका निर्माण अति शीघ्र कब होगा, यदि नहीं, तो क्या कारण है?

*३४--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बिन्दकी से महरहा होकर जी० टी० रोड पर मिलने वाली ४ मील ४ फरलांग की सड़क और पक्का जी० टी० रोड के मुनीर गंगाघाट तक दो मील कच्चा रोड जो कि गंगा उस पार बक्सर से बिहार रोड को मिलाती है जिससे रायबरेली व उन्नाव जिलों का संबंध जी० टी० रोड व मुगल रोड से हो जाता है, इन सड़कों को भी जिला परिषद् से लेकर सरकार द्वारा उसके निर्माण का प्रश्न विचाराधीन है? यदि हां, तो उसका निर्माण कब तक होगा? यदि नहीं, तो क्या कारण है?

श्री महमूद अली खां--

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का सीमित आकार होने के कारण प्रश्नगत सड़कों को जिला-परिषद्, फतेहपुर से लेकर उनका निर्माण कराना संभव नहीं है।

*३५--श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

मोहान-मलिहाबाद की सड़क की खराबी

*३६--श्री सजीवन लाल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि मोहान-मलिहाबाद सड़क खराब होने के कारण प्रोटेस्ट स्वरूप लोक सभा के १९७१ के मध्यावधि चुनाव में पोलिंग स्टेशन भटरिया (तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव) पर किसी एक भी वोटर ने मतदान नहीं किया? क्या सरकार इस सड़क को तुरन्त बनवाने की कृपा करेगी?

श्री महमूद अली खां--

भटरिया पोलिंग स्टेशन पर किसी भी वोटर ने मतदान नहीं किया लेकिन मोहान-मलिहाबाद सड़क खराब होने के कारण ही ऐसा हुआ इसकी सूचना सरकार के पास नहीं है।

प्रश्नगत सड़क के भाग का निर्माण शासन के विचाराधीन है।

आजमगढ़ में छोटी सरजू नदी पर पुल निर्माण

*३७—श्री दलसिंगार यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले के कस्बा महराजगंज की छोटी सरजू नदी पर पुल बनाने की क्या सरकार की योजना है ?

श्री महमूद अली खां—

जिला आजमगढ़ में महराजगंज के पास छोटी सरजू नदी पर पुल बनाने की कोई योजना नहीं है ।

आजमगढ़ में सगड़ी तहसील में सड़क निर्माण

*३८—श्री दल सिंगार यादव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में सगड़ी तहसील के कस्बा सरदहा से पशुरामपुर तक सड़क के निर्माण में सरकार की ओर से आज तक क्या कार्यवाही की गई है ? क्या उसकी प्रगति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री महमूद अली खां—

प्रश्नगत सड़क के निर्माण की कोई योजना नहीं है ।

आजमगढ़ में टोंस नदी पर पुल निर्माण

*३९—श्री श्याम लाल (जिला आजमगढ़)—

क्या सार्वजनिक मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत मुहम्मदाबाद-गोहना के समीप टोंस नदी पर पुल का निर्माण कार्य कब से आरम्भ होगा और उसमें बिलम्ब का कारण क्या है?

श्री महमूद अली खां—

पुल का निर्माण बरसात के बाद शुरू होने की आशा है । पुल की लागत में लगभग पौने दो लाख रुपये की बचत करने के लिये पुल का डिजाइन बदलने से कुछ विलम्ब हो गया है ।

*४०—श्री श्यामलाल—

[२रे सोमवार के लिए तारांकित प्रश्न संख्या ४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४१—श्री भगौती प्रसाद—

[२रे मंगलवार के लिए प्रश्न संख्या ५५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४२—श्री रामलखन सिंह (जिला बस्ती)—

[१ ले मंगलवार के लिए प्रश्न संख्या ८१ के अन्तर्गत उत्तरित]

दुद्धी क्षेत्र मिर्जापुर की नदियों पर पुल निर्माण

*४३—श्री राम प्यारे—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दुद्धी क्षेत्र जनपद मिर्जापुर के दुद्धी विन्ढ़मगंज मार्ग पर पड़ने वाली दो नदियों, कनहर एवं मालिया पर पुल बनाने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त पुल कब तक तैयार हो जायेगा ?

श्री महमूद अली खां--

मालिया नदी पर पुल का निर्माण विचाराधीन है ।

कनहर नदी पर पुल के निर्माण की इस समय कोई योजना नहीं है ।

कोटा मार्ग आजमगढ़ में मार्ग का निर्माण

*४४---श्री राम प्यारे--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय योजना से ही स्वीकृत चली आ रही तेलबुड़वा, कोटा मार्ग (दुद्धी क्षेत्र) मिर्जापुर के लिये अनुमानित धनराशि कम होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग के लिए कार्य प्रारम्भ नहीं सका है ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग के लिये अपेक्षित धन अविलम्ब स्वीकार करने की कृपा करेंगे जिससे पिछड़े क्षेत्र में इस मार्ग का निर्माण हो जाय ?

श्री महमूद अली खां--

पहले चोपन-कोटा मार्ग का निर्माण हाई कोर्ट में एक रिट के कारण प्रारम्भ नहीं हो सका । अब मार्ग का पुनरीक्षित आगणन सरकार के विचाराधीन है ।

*४५-४६---श्री सुरेन्द्र विक्रम--

[१३ वें गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या १-२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४७---श्री फिरंगीप्रसाद विशारद

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

अलीगढ़ रीजन में बसों की संख्या

*४८---श्री कल्याण सिंह---

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक १५ अप्रैल, १९७१ तक अलीगढ़ रीजन के किस-किस डिपों में कुल कितनी बसें थीं ? दिनांक २ जनवरी, १९७१ से १५ अप्रैल, १९७१ तक तिथिवार कितनी-कितनी बसें खराबी के कारण डिपो में खड़ी रहीं और कितनी-कितनी बसें चालू रहीं ? खराबी के कारण बसों के न चलने से कुल कितनी हानि हुई ?

श्री बलरामसिंह यादव---

(क) दिनांक १५, अप्रैल १९७१ को अलीगढ़ रीजन के विभिन्न डिपों में बसों की संख्या निम्न प्रकार थी-

अलीगढ़	..	७१
हाथरस	..	३५
एटा	..	९८
बुलन्दशहर	..	६२
खुर्जा	..	३७
कुल ..		३०३

(ख) सूचना विस्तृत है, माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस सूची को मेरे कक्ष में देखने का कष्ट करें ।

(ग) बस परिचालन में कुछ गाड़ियां "आफ दी रोड" मरम्मत के लिये रखी जाती हैं, जिससे सभी गाड़ियों का ठीक समय पर मेंटीनेंस हो सकें। इस रीजन में मरम्मत के लिये रुकी हुई गाड़ियों के कारण शेड्यूल्ड आप्रेशन में कोई कमी नहीं पड़ी, इसलिये हानि का प्रश्न नहीं उठता।

*४९—श्री शिवकुमार—

[पहले गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या १२२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

शुक्ला कमेटी की रिपोर्ट

*५०—श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभियंत्रण सेवा नियमावली से संबधित शुक्ला कमेटी की संस्तुति शासन को कब प्राप्त हुई और शासन इस पर कब तक अंतिम निर्णय लेगा?

श्री महमूद अली खां—

शुक्ला कमेटी की रिपोर्ट जिसमें विभिन्न अभियंत्रण विभागों के अभियंताओं की सेवा शर्तों के संबंध में संस्तुतियां की गयी है मई, ६९ में शासन को प्राप्त हुई थी। उन संस्तुतियों पर अंतिम निर्णय लेने में समय लगेगा।

कालागढ़ में सहायक अभियन्ताओं द्वारा कार्य स्थगन

*५१—श्री मैनेजर सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कालागढ़ परियोजना में कार्यरत सहायक अभियन्ताओं ने किन मांगों को लेकर गत वर्ष काम बन्द किया था, और उसपर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री राम लखन—

राम गंगा परियोजना, कालागढ़ में कार्यरत सहायक अभियंताओं ने गत वर्ष किसी भी मांग को लेकर कार्य बन्द नहीं किया था।

अलीगढ़ की सड़कों का निर्माण-कार्य

*५२—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष १९६९-७० के बजट में अलीगढ़ जिले की (१) अलीगढ़-रामघाट रोड (२) अतरौली-पालीमुकीमपुर के हरदोई-आलमपुर रोड और (३) छर्रा-[illegible]ज ल-पालीमुकीमपुर रोड का आधुनीकीकरण एवं नव-निर्माण किया जाना सम्मिलित किया गया था? यदि हां, तो उपरोक्त सड़कों के संबंध में अब तक अलग-अलग किस-किस चरण में क्या-क्या कार्यवाही की गई है? उपरोक्त सड़कों का आधुनिकीकरण तथा नव-निर्माण कब तक पूर्ण करने की योजना है?

श्री महमूद अली खां—

प्रश्नगत तीनों सड़कें १९७०-७१ के बजट में स्वीकृत की गई। अलीगढ़-रामघाट मार्ग पर ईंट तथा पत्थर को मिट्टी के एकत्रीकरण के टेन्डर जून-जुलाई, १९७१ में स्वीकृत होकर काम शुरू हो गया है। निर्माण-कार्य पूरा करने का लक्ष्य मार्च, १९७४ है। शेष २ सड़कों के कार्य के विस्तृत आगणनों पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अतरौली पालीमुकीमपुर-हरदोई-आलमपुर सड़क का निर्माण पूरा होने का लक्ष्य जून, १९७५ और छर्रा-मुकीमपुर माग का निर्माण पूर्ति लक्ष्य मार्च, १९७४ है।

उन्नाव में सड़कों का पुनर्निर्माण

*५३—श्री सजीवन लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन सी सड़कें पक्की कराने का प्राविधान है उनकी अलग-अलग लम्बाई क्या है प्रत्येक के लिये कितना-कितना धन स्वीकृत किया गया है और कार्य की प्रगति क्या है ?

श्री महमूद अली खां—

उन्नाव जिले में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जिन-जिन सड़कों के निर्माण व पुनर्निर्माण एवं सुधार का प्राविधान अब तक किया गया। उनके संबंध में वांछित सूचना संलग्नक में दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४०६–४०७ पर)

सार्वजनिक निर्माण विभाग के टेम्पोरेरी डिवीजन

*५४—श्री तेजपाल (जिला मथुरा)—

क्या सरकार को मालूम है कि सन् १९५९ में प्रदेश में कौन-कौन से जिलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के टेम्पोरेरी डिवीजन (अस्थायी खंड) खोले गये थ और उनमें से अब तक कितने स्थायी हो गये हैं और कितने अस्थायी रह गये हैं ? अब तक स्थायी न होने का क्या कारण है ? क्या सरकार शीघ्र स्थायी करने के आदेश करेगी ?

श्री महमूद अली खां—

वर्ष १९५९ में तीन अस्थायी खंड क्रमशः बिजनौर, लखनऊ तथा मथुरा में खोले गये थे। इनमें अस्थायी खंड मथुरा को छोड़कर दोनों खंड स्थायी हो गये हैं। अस्थायी खंड मथुरा प्रारम्भ में सामुदायिक विकास विभाग द्वारा अस्थायी आधार पर खोला गया था तथा केवल वर्ष १९६७ से सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर आया है अतः इसे अभी स्थायी नहीं किया जा सका है। इसे अस्थायी करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

इलाहाबाद में मेटेल्ड सड़कों की योजना

*५५—श्री रामगोपाल संड—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद की मेजा और करछना तहसीलों में कौन-कौन सी सड़कें वर्ष १९७१–७२ में मेटेल्ड कराने का प्रस्ताव है ?

श्री महमूद अली खां—

इलाहाबाद की मेजा और करछना तहसीलों में वर्ष १९७१–७२ में निम्नलिखित सड़कों को मेटेल्ड कराने का प्रस्ताव विचाराधीन है:—

मेजा तहसील—

१—कोलतार-मेजा सड़क १३ कि० मी०

करछना तहसील—

१—घूरपुर–प्रतापपुर सड़क—४ कि० मी०

२—गोहनी-धौरी-कैथवाल

वाया लालपुरवा सड़क—४ कि० मी०।

*५६—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[अल्पसूचित स्वीकृत होने के कारण निरस्त]

*५७—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[३रे गुरुवार में प्रश्न संख्या ३९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फर्रुखाबाद डिपो में खराब बसें

*५८—श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद डिपो की कुछ गाड़ियां कई माह तक खराब हालत में खड़ी रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार विभाग के किसी उच्च अधिकारी से फर्रुखाबाद डिपो की गाड़ियों की जांच कराके आवश्यक निर्देश देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलरामसिंह यादव—

यह सही नहीं है कि फर्रुखाबाद डिपो में गाड़ियां कई माह तक खराब हालत में खड़ी रहती हैं । अतएव कोई जांच करने अथवा निर्देश देने का प्रश्न नहीं उठता ।

कायमगंज–फर्रुखाबाद में प्राइवेट बसों के चलने में छूट

*५९—श्री महरम सिंह—

क्या परिवहन मंत्री को पता है कि फर्रुखाबाद जिले में कायमगंज-फर्रुखाबाद रोड पर रोडवेज के बसों के अतिरिक्त प्राइवेट बसों को भी चलाने की भी छूट दी गई है ? क्या सरकार अब तुरन्त उस मार्ग पर पूर्ण रूप से सरकारी बसें चलने का निर्णय लेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

श्री बलरामसिंह यादव—

जी हां । इस मार्ग का राष्ट्रीयकरण केवल रोडवेज की बसों के चलाने के लिए मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की धारा ६८–डी (३) के अन्तर्गत १९६३ में किया जा चुका है । कुछ प्राइवेट चालकों ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करके उक्त राष्ट्रीयकरण की योजना की वैधता को चुनौती दी । उच्चन्यायालय ने याचिका कर्त्ताओं के हक में राष्ट्रीयकरण की योजना को रद्द कर दिया और उन्हें भी रोडवेज के साथ साथ अपनी बसें चलाते रहने की अनुमति दी । शासन ने इस निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में स्पेशल अपील दायर की जो खारिज कर दी गई । न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि योजना के विरुद्ध याचिका-कर्ताओं की आपत्तियां फिर सुनी जायं । इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

*६०—श्री नौनिहाल सिंह—

[३रे बुधवार के लिये स्थगित]

कैनाल रोडों को पक्का करना

*६१—चौधरी रामपालसिंह यादव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शासन ने कैनाल रोडों को सिद्धांत रूप में पक्की सड़कें बनाने के लिए स्वीकार कर लिया है ? यदि हां, तो इस संबंध में कब से कार्यवाही की जायेगी ?

श्री राम लखन—

प्रश्न का प्रथम भाग

जी नहीं ।

प्रश्न का द्वितीय भाग

प्रश्न नहीं उठता ।

आर० टी० ओ० कार्यालय आगरा में कर्मचारियों की सेवा अवधि

*६२—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या परिवहन मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि आर०टी०ओ० कार्यालय आगरा में कितने कर्मचारी अधिकारी ऐसे हैं जो पिछले पांच वर्षों से वहीं पर हैं ? उनमें से ऐसे कौन-कौन कर्मचारी हैं जिनका स्थानान्तरण पिछले तीन वर्षों में किया गया तथा हर बार निरस्त किया गया, और क्यों ?

श्री बलरामसिंह यादव—

९८ कर्मचारियों में ५१ कर्मचारी पांच वर्ष से अधिक से इस कार्यालय में हैं । अधिकारी कोई भी इस अवधि से स्थित नहीं है ।

११ कर्मचारी ऐसे हैं जिनका एक या अधिक बार स्थानान्तरण हुआ किन्तु उनकी निजी कठिनाइयों पर पुनर्विचार करने के बाद स्थानान्तरण के आदेश निरस्त किये गये । इनकी सूची तालिका में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ४०८ पर)

*६३–६४—श्री नौनिहाल सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*६५–६६—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[६ठे मंगलवार के लिए प्रश्न संख्या १९-२० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*६७—६८—श्रीमती प्यारी देवी गुप्त—

[२रे मंगलवार के लिए प्रश्न संख्या ५३–५४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोरखपुर-गोला मार्ग का राष्ट्रीयकरण

*६९—श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी) तथा श्री हरिवंश सहाय—

क्या परिहन मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि गोरखपुर-गोला मार्ग का राष्ट्रीयकरण हो गया है ? यदि हां, तो इस मार्ग पर रोडवेज की गाड़ियां कब से चलाई जा रही हैं ? यदि नहीं चलाई जा रही हैं तो उसका कारण क्या है ?

श्री बलरामसिंह यादव—

जी हां । गोरखपुर-खजनी-गोला मार्ग की राष्ट्रीयकरण की अंतिम योजना मोटर वेहिकिल्स अधिनियम, १९३९ की धारा ६८-डी(३) के अन्तर्गत दिनांक ७–११–७० के सरकारी गजट में प्रकाशित की जा चुकी है । परन्तु इस मार्ग के प्राइवेट चालकों ने योजना के विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर दी और स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये । इस कारण कथित मार्ग पर रोडवेज की बसें नहीं चलाई जा सकीं ।

फिरोजाबाद–फतेहाबाद सड़क निर्माण योजना

*७०—श्री हुकुमसिंह परिहार (जिला आगरा फतेहाबाद)—

क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आगरा में फीरोजाबाद-फतेहाबाद सड़क जो कि पंचवर्षीय योजना में बनने को थी वह सड़क कब तक बन कर तैयार हो जायगी ?

श्री महमूद अली खां—

प्रश्नगत सड़क के निर्माण की इस समय कोई योजना नहीं है ।

इरादतनगर से आगरा मार्ग की स्वीकृति के सम्बन्ध में जानकारी

*७१—श्री हुकुमसिंह परिहार—

क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इरादतनगर से आगरा मार्ग जो कि शासन की स्वीकृति के लिये जिला अधिकारियों ने पिछले वष भेजा है उसके बनाने की शासन की स्वीकृति मिल गई है ? अगर हां, तो यह मार्ग कब से बनना प्रारम्भ होगा ?

श्री महमूद अली खां—

इस मार्ग के निर्माण की अभी कोई योजना नहीं है ।

इलाहाबाद में सराय आकिल से पुरखास सड़क का निर्माण

*७२—श्री धर्मवीर (जिल इलाहाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद में सराय आकिल से महिला भरवारी से कतरी होते हुए शाहपुर एवं नेवादा से पुरखास तक जाने वाली सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महमूद अली खां—

जी नहीं । जिला इलाहाबाद में सराय आकिल से महिला, भरवारी से करारी तथा निवादा-पुरखाश सराय आकिल सड़कों के विस्तृत आगणन तैयार हो गये हैं तथा उनकी मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जांच की जा रही है । इन सड़कों के आगणन की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात् इनका निर्माण कार्य आरम्भ किया जायगा ।

तहसील मंझनपुर में सिंचाई की सुविधा

*७३—श्री धर्मवीर—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मंझनपुर, इलाहाबाद में सिंचाई की सुविधा हेतु किशुनपुर लिफ्ट सिंचाई योजना का कार्य कब से शुरू होगा ?

श्री राम लखन—

योजना अभी शासन के विचाराधीन है । जब तक इसके संबंध में अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, यह बताना संभव नहीं है कि इस पर कार्य कब शुरू होगा ।

रोडवेज मण्डल गोरखपुर में बुकिंग क्लर्कों एवं बस परिचालकों की नियुक्ति हेतु परीक्षा

*७४—श्री फिरंगीप्रसाद विशारद तथा श्री हरिवंश सहाय—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय रोडवेज मंडल गोरखपुर में माह मार्च, १९७१ ई० में शासन के आदेशानुसार बुकिंग क्लर्कों एवं बस परिचालकों की नियुक्ति हेतु कोई परीक्षा हुई है ? यदि हां, तो क्या सफल अभ्यर्थियों में से किसी की नियुक्ति की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां । अभी तक इस परीक्षा का परीक्षाफल घोषित नहीं किया गया है । अतः किसी की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता ।

मुजफ्फरनगर में मुस्तफा बांध का निर्माण कार्य

*७५—श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि मुस्तफा बांध, जो कि केराना, जिला मुजफ्फरनगर म स्थित है उसका निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ था और इस पर माह अप्रैल, १९७१ तक कितनी प्रगति हुई ?

श्री राम लखन—

मुस्तफा बांध के निर्माण के लिये मार्च, १९७१ में कुछ प्रारम्भिक कार्यवाही की गई और मौके पर पत्थर सप्लाई करने के लिए एक अनुबन्ध किया गया जिसके अन्तर्गत अप्रैल, १९७१ तक कुछ प्रगति हुई । वास्तव में १९ मई, १९७१ को तकनीकी सलाहकार समिति का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद इस बांध पर निर्माण कार्य तेजी से चलाना संभव हो सका है ।

*७६—श्री शिवराज सिंह—

[३रे बुधवार के लिये स्थगित]

विधूना अछल्दा तथा विधुना भर्थाना रोड निर्माण हेतु टेन्डर

*७७—श्री गजेंद्र सिंह (जिला इटावा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विधूना-अछल्दा रोड (इटावा) के कितने किलोमीटर के टेंडर मंजूर हो गये हैं? यह टेंडर कब मंजूर हुये थे, अब तक सड़क निर्माण में प्रगति क्यों नहीं हुई ?

श्री महमूद अली खां—

इस मार्ग के किलो मीटर १ से ८ तक १५ से १७ तक के टेंडर जनवरी, मार्च तथा अप्रैल, १९७१ में मंजूर किये गये हैं और कार्य प्रगति पर है ।

*७८—श्री गजेंद्र सिंह—

क्या निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विधूना-भर्थना (इटावा) रोड पर कितने किलोमीटर के टेंडर मंजूर हो चुके हैं? यह टेंडर कब मंजूर हुए ? क्या यह सच है कि सड़क के निर्माण में बिलम्ब हो रहा है ?

श्री महमूद अली खां—

इस मार्ग के किलोमीटर १ से ८ तथा २९-३० के टेंडर दिसम्बर, १९७०, तथा फरवरी, मार्च, मई और जून, १९७१ में मंजूर किये गये हैं । मार्ग के निर्माण में बिलम्ब नहीं हो रहा है ।

बस्ती के रोडवेज विभाग में गबन

*७९—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के रोडवेज विभाग में गत अप्रैल व इस मई मास में गबन का कोई मामला पकड़ा गया है? यदि हां, तो क्या ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

मई १९७१ में बस्ती रोडवेज बस स्टेशन पर रुपए ४१,६०३.५७ पैसे सरकारी धनराशि का गबन पकड़ा गया है ।

बम्बई योजना के अन्तर्गत पर्वतीय जिले की सड़क निर्माण लक्ष्य का औसत

*८०—श्री चन्द्रमोहनसिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई योजना के आधार पर १९७१ मार्च तक निर्मित एवं निर्माणाधीन सड़कों के अनुसार प्रत्येक पर्वतीय जिले की सड़क निर्माण लक्ष्य प्राप्ति का औसत कितना है ?

श्री महमूद अली खां—

वांछित सूचना सदन की मेंज पर रखी सूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ४०९ पर)

पौड़ी-गढवाल में सड़क निर्माण हेतु मुआवजा

*८१—श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को ज्ञात है कि पौड़ी-गढ़वाल जिले के अन्तर्गत गूमखाल, द्वारीखाल मोटर मार्ग का पूर्व एलाइनमेन्ट बदल दिया गया है किन्तु उन स्थानीय निवासियों, जिनके खेत और फसल उपरोक्त एलाइनमेंट के अनुरूप सड़क निर्माण में बरबाद हुये हैं उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें मुआवजा दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री महमूद अली खां—

प्रश्नगत मार्ग के एलाइनमेन्ट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, अतएव एलाइनमेन्ट में परिवर्तन के कारण खेत और फसल की क्षति का मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ में बस परिचालकों के विरुद्ध कार्यवाही

*८२—श्री शिव कलाश—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ सिटी बसों में माह अप्रैल, १९७१ में कितने परिचालक/चालक बिना टिकट यात्री ले जाते हुये पकड़े गये और अबतक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलरामसिंह यादव—

माह अप्रैल, १९७१ में लखनऊ नगर बसों में बिना टिकट यात्रा ले जाते हुये २७ परिचालक पकड़े गये । इनमें से २४ परिचालकों के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है जिसके फलस्वरूप ८ परिचालकों को नौकरी से हटा दिया गया, ५ परिचालकों को कड़ी चेतावनी देते हुये उनका अच्छे चाल-चलन का भत्ता काटा गया और एक परिचालक को सतर्क रहने के लिये कड़ी चेतावनी दी गई । शेष १३ परिचालकों के विरुद्ध कार्यवाही चल रही है ।

बिना टिकट यात्री ले जाने में चालक का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है । अतः चालक के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

*८३—श्री शिवकैलाश—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

देवरिया जिले के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर बस स्टेशन निर्माण हेतु भूमि अध्यापित का प्रस्ताव

*८ —श्री हरिवंश सहाय—

क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जिला देवरिया के अन्तर्गत सलेमपुर, लार, बरहज, रुद्रपुर आदि स्थानों पर बस स्टेशन निर्माण की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह कब तक लागू होगी ?

श्री बलरामसिंह यादव—

सलेमपुर, लार, बरहज तथा रुद्रपुर में बस स्टेशन निर्माण की अभी कोई योजना नहीं है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में केवल लार, बरहज और रुद्रपुर स्थानों पर बस स्टेशन निर्माण के लिए केवल भूमि अध्याप्ति करने का प्रस्ताव है।

ब्लाक नौगढ़ में जलमग्न जोत भूमि

*८५—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बस्ती ब्लाक नौगढ़ (पुराना ब्लाक जोगिया) के अन्तर्गत कोंडरताल में पानी जमा होने के कारण ग्राम कोंडरताल में चुकादोहरी, हडकोली इत्यादि ग्रामों की लगभग पांच हजार बीघा जोत भूमि में हर वर्ष जलमग्न होने के कारण रबी की बोवाई नहीं हो पाती ? यदि हां, तो क्या सरकार उसका पानी निकालने की कोई व्यवस्था करने का विचार कर रही है ?

श्री रामलखन—

जी हां, प्रश्न में कथित ग्रामों की लगभग १०० एकड़ भूमि जल मग्न रहने के कारण रबी की फसल की बोआई नहीं हो पाती है। जलमग्न भूमि के पानी को निकालने हेतु शासन के समक्ष कोई भी योजना विचाराधीन नहीं है।

*८६—श्री राजितराम पांडेय—

[३रे बुधवार के लिये स्थगित]

गहायेनताल हंडिया, जिला इलाहाबाद में से ड्रेन निकालना

*८७—श्री राजित राम पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री यह भी बतावेंगे कि गहायेनताल हंडिया, जिला इलाहाबाद म से ड्रेन निकालने की योजना बनायी जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम लखन—

जी नहीं।

टिहरी-गढ़वाल की नहरों पर निर्माण कार्य

*८८—श्री गोविन्द सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला टिहरी-गढ़वाल में पट्टी थाती कढूड़ में किन-किन सिंचाई की नहरों पर और कब से निर्माण कार्य चल रहा है ?

श्री रामलखन—

(१) जुखाणा नहर—

इस नहर का निर्माण नवम्बर, १९६८ में आरम्भ कराया गया था। मार्च, १९७० में निर्माण कार्य पूरा हो गया।

(२) थाती कठूड़ नहर—

इस नहर का निर्माण दिसम्बर, १९६८ में आरम्भ किया गया था तथा मार्च, १९७० में कार्य समाप्त हो गया ।

(३) कोट गांव नहर—

इस नहर का निर्माण मार्च, १९६९ में आरम्भ किया गया था तथा अप्रैल, १९७० में कार्य पूरा हो गया ।

(४) तिखराढा नहर—

इस नहर का निर्माण नवम्बर, १९७० में आरम्भ किया गया था और कार्य अभी चालू है ।

*८९—श्री गोविन्द सिंह—

क्या इसी पट्टी में एक नहर पर विशन नामक स्थान पर कोई "फाल" (प्रपात) पड़ रहा है ? यदि हां, तो उसकी ऊंचाई क्या है और क्या सरकार वहां पर विद्युत् उत्पादन की किसी योजना पर विचार कर रही है ?

श्री रामलखन—

प्रथम भाग—जी हां । प्रपात की ऊंचाई १०२ मीटर है ।

द्वितीय भाग—जी हां ।

सहायक अभियन्ता का रिक्त स्थान

*९०—श्री इन्द्र लाल—

क्या सिंचाई मंत्री बतावेंगे कि तराई सिंचाई खंड जिला नैनीताल के अन्तर्गत, हल्द्वानी सब-डिवीजन में कितने माहों से सहायक अभियंता का स्थान रिक्त है और अब तक इस सब-डिवीजन में सहायक अभियंता को न भेजे जाने का क्या कारण है ?

श्री राम लखन—

इस सब डिवीजन में सहायक अभियंता का स्थान १४-८-७० से १—१०-७० की अवधि में रिक्त रहा । उसके बाद से इस सब डिवीजन में सहायक अभियंता निरन्तर कार्यरत हैं ।

सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ताओं का संरक्षण

*९१—श्री तेजपाल सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में अधिदर्शकों से पदोन्नत होने वाले सहायक अभियंताओं व अधिशासी अभियंताओं के लिये दोनों श्रेणियों में २० प्रतिशत स्थानों का संरक्षण है जो १९३५ से चला आ रहा है किन्तु उक्त अनुपात अब सहायक अभियंता श्रेणी में १२ प्रतिशत तथा अधिशासी अभियंता श्रेणी में ७ प्रतिशत ही रह गया है ?

श्री राम लखन—

केवल सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति के लिये अधिदर्शकों को २० प्रतिशत पद संरक्षित है जो उन्हें दिया जा रहा है । अधिशासी अभियंता के लिये नियम में ऐसा कोई संरक्षण नहीं है ।

*९२—९३—श्री कन्हैया लाल—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर २रे बुधवार के लिये स्थगित]

बरेली में दनियां नाला को गहरा करना

*९४—श्री भानु प्रताप सिंह (बरेली)—

क्या सरकार ग्राम खानपुर, जिला बरेली से ग्राम खितौसा तक दनियां नाले को गहरा करने पर बिचार रह रही है? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम लखन—

जी नहीं ।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री राम गोपाल संड—

[१ले गुरुवार के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या १३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

तिर्वा बाबरपुर रूट पर बसों से आमदनी

२—श्री गजेंद्रसिंह—

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि तिर्वा बाबरपुर रूट रीजन कानपुर को जब से परिवहन विभाग ने लिया तब से अब तक इस रूट पर कितनी आमदनी हुई ? इस रूट पर विभाग की कितनी बसें चलती हैं ?

श्री बलरामसिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

३— श्री गजेंद्र सिंह —

क्या यह सच है कि रोडवेज की बसें कभी-कभी बाबरपुर से फफूंद तक ही चलती है अ र फफूंद से तिर्वा तक भी रोडवेज की बस सेवा बन्द है ? यदि हां, तो क्यों हैं ?

श्री बलरामसिंह यादव —

सूचना एकत्र की जा रही है ।

४—श्री गजेंद्र सिंह—

क्या यह सही है कि रोडवेज द्वारा नियमित यातायात सेवा बाबरपुर से तिर्वा तक न देने के कारण तथा प्राइवेट बसों को बन्द कर देने के कारण जनता को यातायात में असुविधा हुई है ? यदि हां, तो उसके लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री बलरामसिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मुरादाबाद में भूमि की सिंचाई व्यवस्था

५—श्री मही लाल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला मुरादाबाद में राजकीय साधनों से कुल कितनी भूमि की सिंचाई की व्यवस्था है और यह भूमि कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत है ?

श्री राम लखन--

मुरादाबाद जिले में कुल कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल १२,९९,६०० एकड़ है। इसमें से ६,८३,९८२ एकड़ क्षेत्रफल राजकीय सिंचाई साधनों के कमांड में है जो कुल कृषि योग्य भूमि का ५२.६ प्रतिशत है।

६--श्री शिवानन्द नौटियाल--

[१ले गुरुवार के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फतेहाबाद-शमसाबाद सड़क का निर्माण

७--श्री हुकुमसिंह परिहार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील फतेहाबाद जिला आगरा में फतेहाबाद-शमसाबाद सड़क कब तक बनकर तैयार हो जायेगी ? क्या इस सड़क का बजट पहले लैप्स हो चुका है ? यदि हां, तो अब इसको कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा ?

श्री महमूद अली खां--

इस सड़क का निर्माण कार्य मार्च, १९७४ तक पूर्ण होने की संभावना है। इस सड़क पर कोई बजट अनुदान लैप्स नहीं हुआ है।

फतेहाबाद से फिरोजाबाद तक सड़क तथा पुल निर्माण

८--श्री हुकुमसिंह परिहार--

क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहाबाद से फिरोजाबाद तक सड़क निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? अगर हां, तो यह सड़क कब तक बन कर तैयार हो जायेगी ?

श्री महमूद अली खां--

इस सड़क के निर्माण की इस समय कोई योजना नहीं है।

९--श्री हुकुम सिंह परिहार--

क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद से फतेहाबाद जाने वाली सड़क पर यमुना का पुल बनाने की योजना है ? अगर हां, तो यह पुल कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ?

श्री महमूद अली खां--

कथित सड़क पर इस समय यमुना पर पुल निर्माण कराने की कोई योजना नहीं है।

पौड़ी-गढ़वाल में चलने वाली बसें

१०--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि पौड़ी-गढ़वाल में चलने वाली बसों की हालत इतनी खराब रहती है कि इनमें चलना खतरे से खाली नहीं है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री बलरामसिंह यादव--

पौड़ी-गढ़वाल में राजकीय रोडवेज बसें और अराजकीय बसें दोनों चलती हैं। राजकीय रोडवेज में पर्वतीय क्षेत्रों के योग्य ही गाड़ियां चलाई जाती हैं और अराजकीय बसों को

सड़क की योग्यता संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा निरीक्षित होकर और तत्संबंधी सर्टिफिकेट प्राप्त होने पर ही मार्गों पर चलती हैं । इसलिये दोनों ही श्रेणियों की गाड़ियों में खतरे की बात नहीं है ।

११– श्री शिवानन्द नौटियाल––

[३रे बुधवार के लिये स्थगित]

बस्ती जिले में सिंचाई समिति की बैठकें तथा राजकीय नलकूपों की स्वीकृति

१२––श्री सुखपाल पान्डेय तथा श्री राम करन सिंह––

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में जनवरी, सन् १९७० से ३१ मार्च, सन् १९७१ तक सिंचाई समिति की कितनी बठकें हुई और सिंचाई समिति द्वारा किन-किन गांवों में नलकूप लगवाने के लिये स्थान की स्वीकृति दी गई ?

श्री राम लखन––

इस अवधि में सिंचाई परामर्श दात्री समिति की दो बठकें दिनांक २० जुलाई, तथा २७ नवम्बर, १९७० को हुई । समिति ने निम्नलिखित ग्रामों में नलकूप लगाने की स्वीकृति दी:

(१) बरी भरौहिया .. .. तहसील खलीलाबाद
(२) गिरधरपुर .. .. तहसील खलीलाबाद
(३) छपिया .. .. तहसील बस्ती
(४) चन्गरा .. .. तहसील बस्ती
(५) पचारी खुर्द .. .. तहसील बस्ती
(६) अनदेवरी .. .. तहसील बस्ती
(७) जमाल जोत .. .. तहसील डुमरियागंज
(८) कठिया .. .. तहसील डुमरियागंज
(९) बांसगांव .. .. तहसील हरैया
(१०) मिश्रौलिया .. .. तहसील हरैया

१३––श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन सिंह––

क्या सिंचाई मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९७०–७१ में कुल कितने राजकीय नलकूप बस्ती जिले में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये और उनमें से कितने लग चुके हैं ?

श्री राम लखन––

वर्ष १९७०–७१ में इस जिले में १२ नलकूप स्वीकृत व निर्मित हुए ।

बरेली के रंहपुर ग्राम में नलकूप योजना

१४––श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बरेली)––

क्या सरकार ग्राम रंहपुर जागीर तहसील व जिला बरेली में सरकारी नलकूप बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम लखन––

प्रश्न का प्रथम भाग :

जी नहीं ।

प्रश्न का द्वितीय भाग :

प्रश्न नहीं उठता

सिंचाई एवं विद्युत् परामर्शदात्री समिति द्वारा नलकूप की स्वीकृति

१५—श्री रामलगन दुबे—

क्या सिंचाई मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि जनपद गोरखपुर की सिंचाई एवं विद्युत् परामर्शदात्री समिति तथा स्थान चयन समिति ने सिंचाई व्यवस्थाओं से शून्य विकास क्षत्र लक्ष्मीपुर के ग्राम बड़गो, मोहनापुर, पैंसियाला लाइन और पोखरभिन्डा में स्टेट नलकूप लगाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है ? यदि हां, तो कार्य की प्रगति क्या है ?

श्री राम लखन—

जी हां । सिंचाई एवं विद्युत् परामर्श दात्री समिति ने इन गांवों में नलकूप लगाने का परामर्श दिया था तथा जिला स्तरीय चयन समिति ने बड़गो, तथा पोखरभिन्डा में नलकूप लगाना अनुमोदित कर दिया था । इन स्थानों में नलकूप निर्माण का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

विविध विषय

श्री सुखपाल पांडेय—

श्रीमन्, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं इस पर आधा घंटे की चर्चा के लिये सूचना देता हूं ।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रभान शर्मा—

आप हमें कभी भी नहीं बोलने देते । आप हमारी ओर देखते भी नहीं है । पहले आप मेरी व्यवस्था को ले लीजिये ।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, आपने मुझे आज्ञा दी है । मुझे यह निवेदन करना है कि यहां पर जो जर्नलिस्ट्स का एसोसियेशन है उसकी मान्यता को रद्द कर दिया गया है और जिस एसोसियेशन से सूचना मंत्री जी का संबंध है, उसको मान्यता दी जा रही है । इससे प्रदेश के सारे पत्रकारों में रोष है । विधान सभा में पत्रकारों की लाबी है उसमें बड़ा असन्तोष है । आप जानते हैं कि उनमें और असन्तोष रहा तो उसका क्या परिणाम होगा ? श्रीमन्, इस पर आप व्यवस्था दें कि यह जो सरकार की तरफ से कार्यवाही की गयी है उससे हमारे प्रेस के लोगों में असन्तोष है, सारे प्रदेश में असन्तोष है और इससे सदन की कार्यवाही के लिखे जाने पर भी असर पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष—

आपने नियम ३०१ में दिया है । मैंने आपको इजाजत दी नहीं और आप बोलने लगे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आपकी बिना इजाजत के मैं कोई काम ही नहीं करता ।

*श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं कहना चाहता हूं कि हाउस में जितना समय कुछ लोग लेते हैं वह भी वेस्ट होता है। इस हाउस के अन्दर आप देखेंगे कि एक वक्त में ६–७ आदमी बोलने लगते हैं जिनको कि आप इजाजत नहीं देते हैं और वे जबरदस्ती बोल लेते हैं। फिर भी उनके खिलाफ आप कोई कार्यवाही नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि हाउस से इस तरह की बातें सीख कर लोग बाहर व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश करते हैं। हम लोग जो हाउस में यहां कुछ कहना चाहते हैं उनको महीने, दो महीने में आधे घंटे का मौका भी बोलने के लिये नहीं मिल पाता और इस तरह से हमारे अधिकारों का हनन होता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता है कि इतनी बात आप अवश्य कर दें कि जो लोग अपना सवाल करें, कम से कम दूसरे लोग सप्लीमेंटरी के जरिये उसमें दखल न करें। आप सब को मौका दे देते हैं और सम्बन्धित आदमी की ओर ध्यान नहीं देते हैं इसीलिये यह शोर होता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैंने तो कई दफा आपकी तरफ देखा लेकिन आप खड़े ही नहीं हुए। जब आप खड़े नहीं होते तो मैं आपको कसे बुला लूं, यह कैसे हो सकता है ?

(व्यवधान)

गिरफ्तार पंचायत मंत्रियों की रिहाई के लिये प्रार्थना पत्र (क्रमागत)

*श्री कृष्णानन्द राय—

अध्यक्ष जी, मैं एक औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं। जब कि विधान सभा आरम्भ हुई थी, मैंने एक प्रश्न उठाने का प्रयास किया था तो आपने कहा कि प्रश्नों के बाद उठाईएगा। आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करके अब मैं उस प्रश्न को उठा रहा हूं। कल आपको याद होगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने विरोधीदल के लोगों से यह अपील की थी कि विरोधी दल के लोग उनको सहयोग दें क्योंकि उनकी बड़ी सहानुभूति है कि किसी तरह से पंचायत मंत्रियों के मसले का समाधान निकल सके। हम लोगों की कठिनाई है कि हमने उनकी अपील को मानने का प्रयास किया, विरोधी दल के सभी लोगों ने—लेकिन हम लोगों का यह कहना है कि जितने पंचायत सेक्रेट्रियों के नेता है, उन सबको पंचायत सेक्रेट्रियों के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी जेल में बन्द किये हुये हैं। हम लोगों को यह आशा थी कि वे सहानुभूति पूर्वक बात करने के बाद उनको जेल से छोड़ देंगे। यहीं नहीं, जेलों में बन्द पंचायत सेक्रेट्रियों को जो खाना दिया जा रहा है, पता नहीं वह घास की रोटी है या किस चीज की रोटी है। बेचारे वहां से लेकर आये हैं। उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है कि नीचे के अधिकारी साफ कहते हैं कि हमारे पास एक दम से १२००–१५०० आदमियों को रखने के लिये जेल में कोई व्यवस्था नहीं है तो यह आपका राज्य-कार्य हो रहा है। इसलिये आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अपील करता हूं कि कल से वहां पर जेल में भूख हड़ताल हो रही है, जितने पंचायत सेक्रेट्री हैं वे खाने के बिना मर रहे हैं—माननीय मुख्य मंत्री जी हंसे नहीं—मैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी को मदद देना चाहता हूं, सहयोग देना चाहता हूं। इतना कर दें कि जितने पंचायत सेक्रटरीज जेलों में बन्द हैं उनको आज ही छोड़ने की आज्ञा दे दें और छोड़ने के बाद इस बात पर विचार करें कि उनके लिये क्या-क्या कर सकते हैं। यह बात तो मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी को पंचायत सेक्रेटरियों को सरकारी नौकर डिक्लेयर करने में अभी दो तीन महीने तक विचार करना पड़ेगा लेकिन जहां तक उनकी मांगों का सम्बन्ध है, जैसे डी० ए० साढ़े ३७ रु० उनके लिये सेंक्शन्ड है लेकिन १८ रुपये की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्द राय]

ही गवर्नमेंट की तरफ से दिये जाते हैं और १८ रु० पंचायतों पर छोड़ दिया है। हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश के पंचायत सक्रेट्रियों का ही एक ऐसा वर्ग है जिसको डी० ए० ८–१० रु० महीना मिलता है। अगर आप उनकी मांगों पर सहानुभूति के साथ विचार करेंगे तो वे अपने-अपने स्थानों पर चले जायेंगे। आज लखनऊ में ये खाने के बिना मर रहे हैं। मैं अपील करता हूं कि इनके मामले में कोई न कोई इन्तजाम कर दें। हम लोग रात भर काम करते रहे हैं जब कि ये सो रहे हैं। तो इसमें आप कुछ मदद करें।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

माननीय, अध्यक्ष, जो अपील मैंने कल की थी वह आज भी करता हूं और यही अपील करता हूं कि आपका सहयोग चाहिये इस मसले को हल करने में। जहां तक उनके छूटने का सवाल है, मुझे यह सूचना मिली थी कि करीब १३२ के आदमी छोड़ दिये गये हैं और बाकी को छोड़ने की प्रक्रिया चल रही है और मेरा ख्याल है कि शीघ्र ही सब छोड़ दिये जायंगे।

जहां तक डेपुटेशन का सवाल है, कोई भी डेपुटेशन आये, मैं उसका स्वागत करूंगा और उनकी बात सुनूंगा, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। और जैसा मैंने कल निवेदन किया था, आज फिर निवेदन करता हूं कि उनकी तमाम मांगों पर हम बहुत ही सहानुभूति के साथ विचार करेंगे और शीघ्र ही निर्णय लेने की चेष्टा करेंगे।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, जो १३२ आदमी छोड़े गये हैं क्या उनके ऊपर मुकदमा चला कर और टिल दि राईजिंग आफ दि कोर्ट सजा दे कर छोड़ा गया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

किसी भी हालत में छूटे हैं और आज सब छूट जायेंगे।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

आज हम लोगों ने एक कार्य-स्थगन दिया है हरिजनों की दशा के बारे में। उनकी हालत बहुत खराब है। जब चन्द्रभानु गुप्ता जी मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने उनके लिये कुछ सहूलियतें देने का विचार किया था.....।

श्री अध्यक्ष—

कामरोको प्रस्ताव का यह वक्त नहीं है। पहले विशेषाधिकार का आयेगा।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

अभी आपने कहा था कि हम जो सदस्य खड़े होते हैं उनको इजाजत देते हैं। मेरा तो आज पहले नम्बर पर सवाल था लेकिन आपने सिर्फ दो दफा इजाजत दी जब प्रश्नकर्ता ही संतुष्ट नहीं होता तो अन्य को कैसे इजाजत दे देते हैं?

श्री अध्यक्ष—

एक आदमी अगर प्रश्न देता है तो तीन दफा उसको इजाजत देता हूं। लेकिन अगर तीन आदमी मिल कर एक प्रश्न देते हैं तो हर एक को तीन-तीन बार इजाजात नहीं दे सकता।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मैं एक प्रार्थना मुख्य मंत्री जी से करना चाहता हूं। अभी मुख्य मंत्री जी ने किसी माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में कहा कि कुछ लोगों को किसी भी हालत में हो, छोड़ा

गया और आगे छोड़ा जायगा । उसके बाद सूचना मिली कि उनका कन्विक्शन हुआ टिल राइजिंग आफ दि कोर्ट । तो अगर यह सही है कि उनका कन्विक्शन हुआ तो किसी भी कन्विक्शन के होने पर किसी की नौकरी पर असर पड़ता है और वह नौकरी से बर्खास्त किये जाते हैं इस तरह का उसका असर पड़ता है । तो सौहार्द्र का वातावरण पदा करने वाले मुख्य मंत्री जी क्या इस बात को स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि इस कन्विक्शन का उनकी नौकरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मुझ से कल कुछ पंचायत मंत्री मिले थे सायंकाल के समय और उनसे मेरी बात भी हुई है मेरा कोई इरादा नहीं है कि जो छोड़े जा रहे हैं या छोड़े गये हैं उनकी नौकरियों पर इस पकड़े जाने या छोड़े जाने का कोई असर पड़े ।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

जेल में पंचायत मंत्री भूख हड़ताल पर हैं । उनके साथ अच्छा व्यवहार न होने के कारण वे भूख हड़ताल पर रहे हैं तो क्या मुख्य मंत्री जी ऐसा आदेश देंगे कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

इसकी जांच की आवश्यकता होगी ।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

क्या मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और खाना खराब दिया गया इसी वजह से वे हड़ताल कर रहे हैं और जिन कर्मचारियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है उनके विरुद्ध कार्यवाही करके दंड दिया जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं जांच तो जरूर कराऊंगा और जो भी शिकायत आयेगी उसकी जांच की जायगी लेकिन मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ी सी अक्ल अपनी इस बात में लगायें कि जो सरकारी कर्मचारी होने के लिये इच्छुक हों वे कानून न तोड़ें क्यों कि कानून की अवहेलना यदि सरकारी कर्मचारी करेंगे तो फिर कानून की रक्षा नहीं हो सकती है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मैं यह पूंछना चाहता हूं कि मैंने कल एक विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था । आपने कहा था कि उसको कल के लिये रख दिया है । पंचायत मन्त्रियों के सिलसिले में हमारे एक एम० एल० ए० गिरफ्तार हुए थे । मेरा निवेदन है कि आप अपना निर्णय दें दे और हमको सुन लें ।

श्री लक्ष्मण स्वरूप (जिला मेरठ)—

मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जो कैदी जेल से छोड़े गये हैं । क्या मुख्य मंत्री जी उन लोगों को घर तक पहुंचने के लिये छूटने के बाद किराये आदि का प्रबन्ध करेंगे और धन आदि की कोई उचित व्यवस्था करेंगे ताकि वह छूटकर घर ठीक से पहुंच सके ।

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री शिव कुमार (जिला शाहजहांपुर)—

अध्यक्ष महोदय, आपने अभी बहुत से माननीय सदस्यों को अनेक प्रश्न करने का मौका दिया लेकिन मैं कम से कम २० बार खड़ा हुआ लेकिन मुझे मौका नहीं मिला । या तो आप इधर सामने से इस माइक को हटवा दें ताकि हमारी तरफ भी आप देख सकें । (व्यवधान)

नगर महापालिका कर्मचारी संघ के सदस्यों द्वारा भूख-हड़ताल के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, कौंसिल हाउस के सामने नगरमहापालिका कर्मचारी संघ के सदस्य ४ दिन से भूख हड़ताल पर हैं। मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं और मुख्य मंत्री जी भी बड़ी सद्भावना रखते हैं तो क्या वह बतायेंगे कि क्या उनसे नगरमहापालिका कर्मचारी संघ का कोई शिष्ट मंडल उनसे मिला था और जिस तरह से वह पंचायत मंत्रियों की समस्या को सुलझा रहे हैं तो क्या वह उनकी भी भूख हड़ताल तुड़वाने के लिये कोई कदम उठाने जा रहे हैं और क्या वह उनके विषय में कोई घोषणा करने जा रहे हैं ? क्या मुख्य मंत्री जी इस समस्या पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास कुछ नियम ५१ के नोटिस आये हुये हैं ...

श्री रामगोपाल संड—

पहले मुख्य मंत्री जी को बयान देने दीजिये, वह नगर महापालिका के लोग बड़े सम्मानित लोग हैं, वह राज्यभक्त हैं, केवल रोजी-रोटी के लिये लड़ रहे हैं मुख्य मंत्री जी उनके विषय में शब्द कह दें।

श्री अध्यक्ष—

वह बयान देना चाहें तो दे दें।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

इस सम्बन्ध में मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से कह दिया है, सम्भवतः इस पर उनका वक्तव्य आयेगा तभी उस पर चर्चा हो जायगी।

श्री लक्ष्मण स्वरूप की गिरफ्तारी के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के बारे में जानकारी

(श्री चन्द्रभान शर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपका विशेषाधिकार का प्रश्न अस्वीकार कर दिया है। अब नंम्बर ६ लिया जायगा।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मैंने श्रीमन्, कल एक विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था, आपने कहा था कि कल विचार करेंगे....

श्री अध्यक्ष—

आपने उसमें लिखा है कि मैजिस्ट्रेट ने कोई नोटिस नहीं दिया अब जब मुझे नोटिस मिल गया तो अब कोई प्रश्न नहीं उठता। इसलिये मैंने यह किया उसका जिक्र न करूं।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

मेरा कहना यह था कि जब वह सदन में आ रहे थे तो जबरदस्ती उनको पकड़ लिया गया और यहां उनको नहीं आने दिया गया। मैंने पूंछा तो कोई उत्तर नहीं दिया गया। दफा १४४ का भी निफाज उस वक्त नहीं हुआ था, किसी प्रेस या अखबार में वह नोटिस दफा १४४ का नहीं छापा गया।

श्री अध्यक्ष—

इसमें लिखा है कि १२-७-७१ को श्री लक्ष्मण स्वरूप, विधायक को जिलाधीश, लखनऊ ने पुलिस द्वारा गिरफ्तार करा कर जेल भेज दिया। इस विषय में यह जरूरी था कि श्री लक्ष्मण स्वरूप को जेल भेजने के बारे में सूचना सदन को श्री अध्यक्ष के द्वारा दी जाती। यह सूचना मेरे पास शाम को आई लेकिन जब सूचना दे दी गई तो फिर विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

जब उनको १-१/२ बजे दोपहर को गिरफ्तार किया गया तो फौरन उनको सूचना भेजना चाहिये थी.....

श्री बसन्त लाल (जिला लखनऊ)—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि मैं पहले भी पुरानी कांग्रेस में था, मेरा नाम बसन्त लाल है और मैं अब भी पुरानी कांग्रेस में ही हूं। मैं लखनऊ से आता हूं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, ये आपको लिख कर दे रहे हैं। इनका नाम बसन्त लाल है। ये हमारी पार्टी में हैं।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

श्रीमन्, मेरा विशेषाधिकार का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता है।

नेत्र रोग के बहुव्यापक प्रकोप तथा औषधि के न मिलने के संबंध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अब नेत्र रोग के बहुव्यापक प्रकोप तथा औषधि के न मिलने के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी का वक्तव्य होगा।

*स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री प्रेम चन्द्र शर्मा)—

श्रीमन्, इस वक्तव्य को देने के लिए हमें बहुत लेट सूचना मिली। वक्तव्य तो तैयार है लेकिन उसकी वितरण हेतु कापियां तैयार नहीं हो सकी हैं। यदि आपकी आज्ञा हो, तो पढ़ दूं।

यह सही है कि इधर प्रदेश में आंखों का....

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप पहले वक्तव्य तो सुन लीजिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बलवीर सिंह—

श्रीमान्, मैं तो पहले से खड़ा था जब कि आपके सामने प्रिविलेज मोशन था।

श्री अध्यक्ष—

आप वक्तव्य होने के उपरान्त कह सकते हैं।

श्री बलवीर सिंह—

बहुत अच्छा। वक्तव्य के बाद में कुछ कहना चाहता हूं।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

यह सही है कि इस प्रदेश में आंखों का एक रोग व्यापक रूप से फैला हुआ है। यह इन्फैक्शन बाहर से आया है और अनुमान किया जाता है कि बन्दरगाहों से आया है। यह रोग वायरस (Virus) से होता है और सामान्यतः इसका कोई स्पैसिफिक इलाज नहीं है।

लक्षण—

इस रोग के आरम्भिक लक्षण निम्नलिखित हैं—

आंख में दर्द, लाली, करकराहट, खुजली, धूप तथा रोशनी में कष्ट, आंखों में सूजन, आंख से पानी तथा कीचड़ आना व दर्द होना। कुछ रोगियों को इसके साथ ज्वर भी आ जाता है। अभी तक ऐसा देखने में आया है कि इस बीमारी से रोगियों को ३ अथवा ४ दिनों में आराम मिलना शुरू हो जाता है और उसके पश्चात् कुछ ही समय में यह रोग स्वयं ठीक हो जाता है। इसके अतिरिक्त अभी तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार कोई स्थायी रूप से नुकसान नेत्रों को नहीं पहुंचा है। इस प्रकार यह बीमारी अपने में स्वयं सीमित (self limiting) मालूम पड़ती है।

बचाव—

इस बीमारी का बचाव व्यक्तिगत स्वच्छता के सामान्य नियमों के पालन पर है। स्वच्छ जल से दिन में दो-चार बार आंखों को धोना, किसी रोगी के रूमाल या तौलिया का न प्रयोग करना, रोगी से सीधा सम्पर्क न स्थापित करना, आंखों पर मक्खियों, धूल का न पड़ने देना, इसके साथ ही बीमारी के उन स्थानों पर न जाना चाहिये जहां पर भीड़ इकट्ठा होती हो जैसे, सिनेमा, स्कूल इत्यादि।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं ही आंखों की बीमारी से पीड़ित हैं जिस विषय पर माननीय मंत्री जी वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—

उपचार—जिस व्यक्ति को इस रोग के लक्षण प्रतीत हों उसे तुरन्त समीप के अस्पताल में उपचार हेतु जाना चाहिये। इसके उपचार के लिये प्रदेश के समस्त जिला स्वास्थ्य अधिकारियों, नगर स्वास्थ्य अधिकारियों, जन पद शल्यकों तथा चिकित्सा अधीक्षकों को विस्तार रूप से ३ जून, १९७१ को निदेश जारी किये जा चुके हैं जिसमें कि उनको इस बीमारी के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी करायी गई है तथा उपचार के लिये मार्ग दर्शन भी कराया गया है। इसके अतिरिक्त उनको यह भी निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने अधीनस्थ सभी चिकित्सा अधिकारियों को सूचना कर दें कि प्रति सप्ताह इस बीमारी के कितने रोगी आ रहे हैं इसकी सूचना इस निदेशालय को भेजें। यह भी उनसे कह दिया गया है कि वे अपने अधीनस्थ चिकित्सालय में उपचार सम्बन्धी सभी औषधियों का पर्याप्त मात्रा में प्रबन्ध रखें।

इसके अतिरिक्त जनता को भी अवगत कराने के लिये समाचार पत्रों के माध्यम से इस बीमारी के लक्षण तथा व्यक्तिगत स्वच्छता के पालन के नियम प्रसारित किये जा चुके हैं।

लखनऊ के सभी अस्पतालों में इस बीमारी की चिकित्सा का पूर्ण रूप से औषधियों का प्रबन्ध है। सिविल अस्पताल, लखनऊ में पहले २००–३०० रोगी प्रति दिन आते थे जबकि अब १००–१५० रोगी आते प्रतीत होते हैं। बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ के अधीक्षक ने

सूचना दी है कि उनके अस्पताल में भी इस बीमारी के मरीज आ रहे हैं और उन्हें अपने अस्पताल में इसके उपचार के लिये बाजार से खरीदने की प्रतिष्ठा के अतिरिक्त उन्होंने अपने यहां आंख के ड्राप्स और मलहम बनवा लिये हैं जो काफी फायदा कर रहीं है। यहां भी रोगियों की संख्या अब स्टेबिल ही रही है।

कुछ नगरों से यह सूचना मिली है कि नेत्र सम्बन्धित दवायें नहीं मिल रही हैं। सभी सिविल सर्जनों को आदेश दे दिये गये हैं कि यदि वे आवश्यक समझें तो वे इस रोग की दवाओं का क्रय करके समुचित स्टाक रख लें और जनता को विक्रय के लिये दे दें। इसके अतिरिक्त ड्रग प्राइस कन्ट्रोल ऐक्ट में भी यदि आवश्यक हो, तो कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष—

यह वक्तव्य आपने पढ़ा। इस पर ज्यादा जोर था कि दवा नहीं मिल रही है। न अस्पताल में मिल रही है और दूकानदारों ने अपने यहां बन्द कर ली हैं। उसके बारे में कुछ जिक्र किया आपने ?

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या मंत्री जी जांच करायेंगे कि यह दवाई लुप्त हुई है तो किसके पास कितना स्टाक था और सारा स्टाक किस तरह से गायब हो गया। इसकी जांच करके बाजार के अन्दर दवाइयों की व्यवस्था करने का प्रबन्ध करेंगे ?

*स्वास्थ्य मन्त्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

जैसा वक्तव्य में कहा गया है इसकी कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है। केवल प्रिवेन्टिव मेजर के तौर पर कुछ दवायें बताई गई हैं। और जहां तक सरकारी अस्पतालों का सवाल है प्रश्नकर्त्ता ने यह कहा था कि बलरामपुर अस्पताल और यहां के लखनऊ के अस्पतालों में दवा की कमी जान पड़ती है। हमारी सूचना यह है कि हमारे अस्पतालों में दवा की कमी नहीं है और जो भी व्यक्ति आता है अस्पतालों में उसको जो उचित दवा है वह दे दी जाती है। दूसरे सवाल में जो यह कहा गया है कि जो कैमिस्ट हैं क्या उन्होंने दवा को अन्डर ग्राउन्ड कर दिया है। तो इसके बारे में ऐसी सूचना सरकार को नहीं है। माननीय सदस्य कह रहे हैं तो इसकी जांच करा ली जायेगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मंत्री जी ने कहा कि इसकी कोई दवा निश्चित नहीं है। मैं दवाई का नाम बताने के लिये तैयार हूं। इसका नाम सोबरामाइसिन आई ड्राप है। इससे उपाध्यक्ष जी को लाभ हुआ है और बाकी बहुत से लोगों को भी लाभ हुआ है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मंत्री जी ने वक्तव्य में कहा कि इसकी कोई दवा नहीं है। केवल पानी की धुलाई से आराम पहुंचता है। उसी वक्तव्य में कहा गया कि दवा की कमी नहीं है। जब दवा ही नहीं है तो दवा की कमी नहीं है ये दोनों विरोधाभास की बातें हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या आपने पता लगाया कि दवा मिली है अस्पतालों से और रोगी अच्छे हो रहे हैं। मुझे दवा मिली है और मैं दो दिनों में अच्छा हो गया। यह कैसे वक्तव्य दिया इन्होंने ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने यह कहा कि यह वायरस डिजीज है। जो इस तरह की दवायें होती हैं इसका कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं होता। इन दवाओं से केवल इन्टेन्सिटी कम की जा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

सकती है। उससे केवल तकलीफ कम हो सकती है। सेकेन्डरी इनफैक्शन को रोका जा सकेगा। आंखों में जो ज्यादा जलन और तकलीफ होती है उससे बचत करने के लिये दवायें हैं जो हमारे पास भी लिखी हुई हैं वे दे दी जाती हैं। लेकिन मैंने यह कहा कि क्योंकि यह वायरस डिसीज आई है उसका तीन दिन का डूरेशन होता है उसके बाद कोई नुकसान नहीं है। लेकिन उस वक्त के लिये यह प्रिवेन्टिव मेंयर के लिये यह दवा रक्खी है और हमारे अस्पताल में इसका पूरा स्टाक है। यह मैंने कहा।

श्री राम लाल राही (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, यह संक्रामक रोग है। वह गांव गांव में फैल रहा है। आपके हिन्दुस्तान के अन्दर और इस प्रदेश के अन्दर ही नहीं एशिया के अन्दर सुप्रसिद्ध सीतापुर का जो आंख का अस्पताल है वहां बहुत अनुभवी डाक्टर हैं, जगह-जगह प्रत्येक जिले में उनकी शाखाएं हैं और सचल अस्पताल भी हैं। तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह सीतापुर के अस्पताल को कुछ आर्थिक सहायता देकर उनसे यह कहेंगी कि वह इस संक्रामक रोग के लिए दवा का वितरण देहातों में जाकर करें?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा स्वास्थ्य निदेशालय इस ओर काफी सजग है। ३० जून को एक सर्कुलर सारे सिविल सर्जन्स, डी० एम० ओ० एच, म्युनिसिपल हेल्थ आफीसर्स और अस्पतालों के सुपरिन्टेन्डेन्ट्स को भेज दिया गया था जिसमें इस बात की सूचना दे दी गयी कि किस टाइप की यह बीमारी है और यह भी आदेश दे दिया गया था कि जो दवा उनको चाहिये वह खरीद लें। अस्पतालों के पास दवा खरीदने के लिए पैसा रहता है। यह टैम्पोरेरी सी समस्या आयी है, जिन अस्पतालों को दवा खरीदनी है वह खरीद सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि रुपये की कमी से दवा न खरीदी जा सकती हो।

श्री राम लाल राही—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। सीतापुर आंख के अपस्ताल को सहायता दी गयी या नहीं?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने मांगी थी?

श्री राम लाल राही—

श्रीमन्, वह एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है . . .

श्री नित्यानन्द स्वामी—

माननीय मन्त्री जी कृपया बतला दें कि यह बीमारी किधर से आयी, किस प्रकार हुई, और इसकी जांच करवा लें। श्रीमन्, एक गलतबयानी मुझसे अभी हो गयी उसको सही करना चाहता हूं। मैंने कह दिया कि उपाध्यक्ष जी की आंखें ठीक हो गयीं। मैं इसको वापस लेता हूं। परसों माननीय उपाध्यक्ष जी माधव बाबू को खड़े होने पर नहीं देख पाये थे।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, हमारे मुख्य मंत्री जी भी इस रोग से पीड़ित हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि प्रदेश स्तर पर कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे सब को राहत मिल सके।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि हमारे मुख्य मंत्री जी को भी यह बीमारी है? तो क्या सब विधायकों में यह छूत की बीमारी नहीं फैल जायेगी।

(हंसी)

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

माननीय, अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि इसकी कोई दवा नहीं है। श्रीमन्, यह बीमारी बड़े जोरों पर है और यह ऐसी बीमारी है कि आंख से आंख मिलाने से हो जाती है। अपने प्रदेश के बड़े-बड़े डाक्टरों को बुलाकर उनसे पूछतांछ करनी चाहिये कि क्या दवा हो सकती है, क्योंकि आंख से आंख तो मेम्बरों की रोजाना मिलती है। मुख्य मंत्री जी को, मेरे खयाल से आंख से आंख मिलाने से ही यह हुई है।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

खन्ना जी शायद कुछ और कहना चाहते हैं। छिपा कर कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं समझता हूं काफी हो चुका।

श्री लक्ष्मण स्वरूप की गिरफ्तारी के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के बारे में जानकारी—(क्रमागत)

*श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)—

माननीय, मैं तो आपकी आज्ञा इस सम्बन्ध में बोलने की चाहता था कि मेरे साथी चन्द्रभान शर्मा जी ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न भेजा था। कल भेजा था हमारे साथी श्री लक्ष्मण स्वरूप ने जब वह सदन में आ रहे थे या फिर कहीं जा रहे थे। मैं निवेदन करता हूं कि शायद शर्मा जी पूरी तरह से समझ नहीं पाये हैं। मैं समझा देता हूं। श्रीमान जी ने फर्माया था कि सूचना आपके पास आ गई। सूचना आना ही काफी नहीं है। यह जो पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस है इसमें लफ्ज लिखा है "इमीडियेटली" जानी जाय। यह गिरफ्तारी मेरठ के किसी गांव में भी हो सकती थी और अगर सूचना आने में ३ दिन लग जाते जब कि सूचना उन्होंने इमीडियेटली भेज दी होती परन्तु यह तो वाकया एसेम्बली से ३ फीट के फासले पर ही हुआ और सूचना फौरन नहीं दी जा सकती। हमारे माननीय सदस्य पकड़ कर भेज दिये गये, सूचना देने में कितनी देर लगती है। ६ बजे तक मैं सदन में रहा। सदस्यों ने जानने की कोशिश भी की कि सूचना मिली है या नहीं। इसको ७ बजे तक भी पूछा जाता रहा और आपने सूचना नहीं दी। अगर यह सूचना १०, १५ मिनट या आधे घंटे के अन्दर नहीं मिली तो यह इमीडियेटली नहीं है। यह प्रावीजन है इसलिये मैं इसको पढ़े देता हूं। किसी सदस्य का अवमान या मानहानि न हो इसके लिये कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई भी क्यों न हो वह जिम्मेदार है। इसके अर्थ तो यही है कि हम अपना काम करेंगे और उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिये। इसके विषय में यह लिखा है १८५ पेज पर पहले पैराग्राफ में—

"The Executive Authority must immediately intimate such facts to the Speaker." नेक्स्ट पेज पर है कि—

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[बलवीर सिंह, श्री]

".....The failure on the part of judge, magistrate and other authority to inform the House of the arrest, detension and imprisonment of the member would constitute a breach of privilege."

इस बात की रूलिंग तो सदन की भी है और आपकी भी है। यह ब्रीच आफ प्रिवलेज तो है लेकिन मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि १०, २० मिनट के स्थान पर एक घंटा भी लगा दें तहां तक ठीक है। यह सूचना कब आई ? लेकिन ७ बजे तक तो आई नहीं।

श्री अध्यक्ष—

यह सूचना आफिस में ५ बज कर ५ मिनट पर आई।

श्री बलबीर सिंह—

यह यहां से ३ फीट की दूरी पर वाकया हुआ और यहां तक आने में उसको ५ घंटे लग गये। मुख्य मंत्री के खिलाफ और उनके सभी अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने अवमान किया है यह कार्यवाही होनी चाहिये। यह प्राइमाफेसी सीधी है और इसको कमेटी के सुपुर्द करने में किसी तरह से कोई हानि नहीं होगी और हमारे अधिकारियों की रक्षा हो सकेगी।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

हमारी बात आपकी समझ में नहीं आई या फिर इसको सुना नहीं गया। जब मेम्बर की गिरफ्तारी की गई तो मैंने ४, ५ बार सदन में खड़े होकर इसके बारे में कहा। अध्यक्ष महोदय यहां पर थे। उनको जानकारी भी करवाई। उनसे आग्रह किया कि वह इस सिलसिले में जानकारी ले लें और हमें सूचित करें कि क्या क्या अपराध हैं। उन्होंने आउटराइट इसको रिजेक्ट कर दिया। ५ बजे तक मान्यवर मैंने कई बार इसको उठाया। आज भी मेरा कहना है कि इसकी सूचना में देर हुई है लेकिन चूंकि कोई ऐक्शन नहीं लिया गया है इसलिये इस माननीय सदन का अवमान हुआ है। आपको हमें सूचित करना चाहिये था लेकिन मेरी प्रार्थना करने पर भी नहीं हुआ। मेरा यह प्रीवीलेज मोशन आप स्वीकार कर लें।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष जी, उस दिन भी आपका ध्यान आकर्षित किया था जब श्री गोविन्द सिंह नेगी का मामला आया था।

श्री अध्यक्ष—

नेगी जी ने कहा था कि यह मामला नहीं चले। यह वापस करने का मामला नहीं है। इसमें पुलिस की गिरफ्तारी की सूचना बाद में आई थी। उसी दिन रात में आई थी।

श्री बंशीधर पांडेय—

दूसरे दिन रात में कहिये। यह ठीक बात है कि इस सदन को इसकी सूचना नहीं की गई। माननीय सदस्यों की मर्यादा का सवाल है। ह्रास होता जा रहा है। आरोप और प्रत्यारोप हो रहे हैं। इसलिये यह मामला गंभीर है। इसको विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाय। नहीं होगा, तो रिपोर्ट आ जावेगी।

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि मैं इस पर उत्तर दे चुका हूं। यह प्रश्न विशेषाधिकार की अवहेलना का नहीं है। सवाल यह है कि उनको जितनी जल्दी हो सके सूचना देनी चाहिये। इमीडिएटली का मतलब भी यही है। तो क्रिमिनल केसेज में किसी तरह से विशेषाधिकार

की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता है। इग्लैण्ड में ऐसा है कि वहां मैजिस्ट्रेट कर्ट्सी में सूचना भेजेगा। मैं अगर आप कहते हैं तो भेज दूंगा। उन्होंने कहा था कि विशेषाधिकार को ज्यादा चलाना ठीक नहीं है क्योंकि आप और हम और जनता सब ही एक ही से आदमी हैं। चूंकि मेम्बर हैं हमको विशेषाधिकार है। यह चीज जनता रेसिस्ट कर रही है। आपको जो कामन ला है उससे गाइड होना चाहिये। इसलिये ऐसा करने से ज्यादती हो जावेगी। हमको छोटी-छोटी बातों पर विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाना चाहिये। चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं। मैं उनसे कहूंगा कि जल्दी से जल्दी सूचना उनको हमको देना चाहिये। जब सदन के किसी सदस्य को गिरफ्तार किया जाता है तो सूचना जितनी जल्दी हो सके दे देना चाहिये। जैसा कि कहा गया है कि इमीडियेटली यह हुआ है लेकिन इसका मतलब यह है कि जितनी जल्दी हो सके देना चाहिये। अब यह है कि आप उनसे पूछे कि इतनी देर में क्यों दिया। आपको पता लग जायगा कि उसके कई कारण हो सकते हैं। इसमें फंसे रहे उसमें फंसे रहे, सारी जानकारी लेते-लेते देर लग गयी। यह कर्ट्सी का सवाल है, विशेषाधिकार की अवहेलना का सवाल नहीं है।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, हम आपकी रूलिंग का स्वागत करते हैं। लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि जल्दी सूचना मिले। प्रश्न प्रशासन का है। विधान भवन के ठीक सामने पुलिस के अधिकारी गिरफ्तार करते हैं और मुख्य मंत्री को सूचना तुरन्त नहीं मिलती है तो प्रशासन की और अधिकारियों की लापरवाही है। अगर मुख्य मंत्री जी उन्हें थोड़ी प्रताड़ना दे देंतो भविष्य में अधिकारी सोच समझकर कोई कदम उठायेंगे। अगर अधिकारी इस तरह क लापरवाही बरतेंगे तो माननीय सदस्यों की मानहानि होती रहेगी। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार से आश्वासन आना चाहिये कि इसकी जांच करके जिन अधिकारियो ने लापरवाही बरती है और लाइट में ट्रीट किया है उनके ऊपर कार्यवाही की जायगी।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

यह सदन की इज्जत का प्रश्न जिसमें आप भी हैं और हम भी हैं। इसमें कहां "इमीडिएटली" है। यह प्रीसीडेन्स है। मेरठ से आयेगा तो देर लग सकती है लेकिन लखनऊ में विधान सभा के पास ही हो तो इमीडियेटली का मतलब होता है एक घंटा दो घंटा। यह मामला आप विशेषाधिकार समिति को दे दें। सारी चीज स्पष्ट हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष—

उसकी आवश्यकता नहीं है। यह प्रीसीडेन्ट के बिल्कुल खिलाफ पड़ता है।।

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संक्रमण कालीन उपबन्ध) विधेयक, १९७०

शिक्षा मंत्री (डाक्टर रामजी लाल सहायक)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित तथा इस सदन में लम्बित कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संक्रमण कालीन उपबन्ध) विधेयक, १९७० को यदि विधान परिषद् भी सहमत हो, तो वापस लेने की अनुमति दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित तथा इस सदन में लम्बित कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संक्रमण कालीन उपबन्ध) विधेयक, १९७० को यदि विधान परिषद् भी सहमत हो, तो वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (अनर्हता-निवारण) विधेयक, १९६९†

*वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९६९, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(इस समय १२ बजकर ५२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

श्रीमन् आप देखेंगे कि विधान मंडल की एक समिति आफिस आफ प्राफिट के बारे में बैठी थी और उसने अपनी रिपोर्ट में जो सिफारिशें की थीं उन्हीं को लागू करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। मेरे योग्य सहयोगी भूतपूर्व संसदीय कार्य मंत्री श्री शांति प्रपन्न शर्मा जी ने यह विधेयक प्रस्तुत किया था जिसे विधान परिषद् ने भी पारित कर दिया है। जो दस पद बने हुये हैं उन सब का समग्रीकरण करके एक विधेयक लाया जा रहा है जिससे यह स्पष्ट हो जाय कि जो सम्मानित सदस्य विधान परिषद् के या विधान सभा के अलग-अलग कमीशन में काम कर रहे हैं वह आफिस आफ प्राफिट है या नहीं और इससे उनके सदस्य रहने के औचित्य का सवाल उठता है या नहीं। मुझे आशा है यह सदन इसे स्वीकार करेगा।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मुझे पहली शिकायत तो यह करनी है कि इस विधेयक की प्रतियां २१-७-६९ को बंटी थीं। आज तक हम लोगों को उसकी प्रति प्राप्त नहीं हुई जिसके कारण न तो हम उस पर विचार ही कर सके और न ही उस पर संशोधन दे सके। बड़ी खोजबीन करने पर एक कापी दफ्तर से मिली है जिसको मैं पढ़ भी नहीं पाया हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्यों को उसकी प्रतियां पहले बांट दी गयी थीं, वैसे विभाग में जो और प्रतियां उपलब्ध होंगी उन्हें मैं पुनः माननीय सदस्यों को बंटवा दूंगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

इस कबूतरखाने में खोजबीन करने पर भी नहीं मिली, अब अगर मिलेंगी भी तो समय निकल जायेगा। एक माननीय सदस्य का संशोधन है, पता नहीं वह सरकारी है या क्या है, उनको कहीं से प्रति प्राप्त हो गयी होगी।

मैं यह कहना चाहता हूं मान्यवर, इसके तीन पहलू हैं। तीन चीजें हैं जो स्वतंत्र रूप से चुनाव होने में बाधक होती हैं—रुपया बाधक होता है, पद बाधक होता है और राजनीति भी बाधक होती है। इसी कारण से यह डिस्क्वालीफिकेशन्स रखी जाती है। आज जिस प्रकार से चुनाव होते हैं उसको देख कर यह कहना गलत हो जाता है कि हर व्यक्ति को समान अवसर किसी पद पर पहुंचने का मिला हुआ है। उदाहरण के लिये प्रधान मंत्री के चुनाव को ले लीजिये या किसी असेम्बली के चुनाव को ले लीजिये। प्रधान मंत्री के चुनाव में कम से कम १० लाख रुपये खर्च होते हैं। एक दिन मै भी रायबरेली गया, मैंने देखा चुनाव के समय ४०० जीपें खड़ी थीं और वहां टिकट दिया जाता था कि कौन सी जीप जायेगी। तो गरीब आदमी कैसे उस पद के लिये लड़ सकता है। इसलिये यह कहना गलत है कि सब को समान अवसर मिलता है। माननीय राजनारायण सिंह लड़े, मगर वे किन परिस्थितियों में लड़े। फिर हिसाब कितने कम का दिया जाता है। उस इलैक्शन में ३० हजार का हिसाब दाखिल किया गया। उस पद के आदमी के लिये यह कितना गलत है कि वह इतना गलत हिसाब दाखिल करे। मैं इसमें

---

†२७ मई, १९७० की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं जाना चाहता कि उसको क्या सजा दी जानी चाहिये जो गलत हिसाब दाखिल करे, लेकिन यह कहना गलत है कि सबको समान सुविधायें प्राप्त हैं। हम कुछ रोक भी नहीं लगा पाते। तो इससे किसी को समान अवसर प्राप्त नहीं हो सकते जो आज कल हो रहा है। इसे दृष्टि में रखते हुये जो हमारी इस विधान सभा को अधिकार है उसको अवश्य करना चाहिये। हमारी विधान सभा को एक प्रस्ताव के द्वारा केन्द्रीय सरकार को यह सिफारिश करनी चाहिये कि उसमें वह संशोधन लाये। श्रीमन्, इसमें सभी लोग लाखों रुपया खर्च करके आते हैं। इसमें प्रदेश का मुख्यमंत्री हो सकता है, प्रधानमंत्री हो सकता है और राष्ट्रपति भी हो सकता है। सभी को समान अवसर मिलना चाहिये। जैसा कि मैंने पहले मिसाल प्रधान मंत्री की दी है। उन्होंने चुनाव में न मालूम कितने दौरे अपने क्षेत्र के हेलीकाप्टर पर किये हैं। मान्यवर,एक नहीं कई उदाहरण दे सकता हूं। तो इस चीज को दृष्टि में रखते हुये ऐसी असमानता खत्म करनी चाहिये जो कि प्रिविलेज के रूप में किसी-किसी को ही प्राप्त हैं। मान्यवर, जैसा मैंने कहा कि मैं संशोधन नहीं दे सका क्योंकि इस बिल की प्रतिलिपि मुझे अभी प्राप्त हुई है। मान्यवर, चाहे वह मुख्य मंत्री का पद हो, चाहे वह उप-मंत्री का पद हो या चाहे सभा सचिव का पद हो उसे इसके द्वारा चुनाव लड़ने का अवसर न देना चाहिये।

मान्यवर, बिल के ३ (क) में संघ या राज्य के किसी राज्य मंत्री या उप मंत्री का पद अथवा किसी मंत्री के सभा सचिव का पद विधान मंडल का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये न तो अनर्ह करेगा और न कभी भी अनर्ह किया गया समझा जायेगा, दिया हुआ है। इसे समाप्त किया जाना चाहिये और इनको दो महीने पहले या तीन महीने पहले अवसर नहीं दिया जाना चाहिये। यह गलत है। मान्यवर, मैं कहता हूं कि वह आज कौन मंत्री है जो अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर रहा है। आज इस तरह का डिमोरैलाइजेशन हो गया, मान्यवर मैं और हम सभी इसमें शामिल हैं। इसको कोई नहीं रोक सकता है। जब विधान बनाया जाता है तो यही अवसर होता है जबकि हम लोग संशोधनों को देकर उसको ठीक कर सकते हैं। इस बिल से जो इन मंत्रियों को सुविधा दी जा रही है वह गलत है और उसमें संशोधन अवश्य होना चाहिये। मान्यवर, इसमें यह भी दिया है कि इन पदों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष.....मेरे माननीय मित्र मंत्री महोदय मुझे ऐसा कहने के लिये क्षमा करेंगे किन्तु यह तो एक सिद्धान्त की बात है। किसी पर उस पद का दुरुपयोग किया जा सकता है, अधिकारी को दबाव में रखा जा सकता है या रुपया पैसा प्राप्त किया जा सकता है या कोई भी ऐसी स्थिति आ सकती है अतः मेरा निवेदन है कि इन पदों को यहां से निकाल कर इसे अनर्ह माना जाय।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। मैं इस सम्बन्ध में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आज ४–५ बिल पर बहस होनी है। अतः आप समय निर्धारित कर दें कि एक माननीय सदस्य कितनी देर तक बोलेगा।....

श्री उपाध्यक्ष—

किस विधेयक पर कितनी चर्चा कोई माननीय सदस्य कितने समय तक करेगा इसके लिये समय निर्धारित कर लेना तो सही बात है किन्तु आप इस सम्बन्ध में अपनी राय बतायें कि आप अपने निश्चित समय से ऊपर बोलने का आग्रह तो नहीं करेंगे।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

उपाध्यक्ष महोदय, कल एक विषय पर चर्चा हो रही थी तो भारतीय क्रांति दल के १० माननीय सदस्यों ने बोला और मैंने कोई ऐतराज नहीं किया जब कि मेरी पार्टी के एक आदमी को ही केवल समय दिया गया। आपने मुझे आज्ञा दी तो मैंने उसका पालन किया।....

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

मैं माननीय नेता जनसंघ को यह सूचना देना चाहता हूं कि कल भारतीयक्रांति दल के केवल दो माननीय सदस्यों ने ही बोला।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

यदि भारतीय क्रांति दल के केवल दो माननीय सदस्यों ने ही बोला है तो मैं अपनी बात को वापस लेता हूं किन्तु मुझे मेरे साथियों द्वारा बताया गया है इसलिये मैंने कहा कि मैं आज इस बात को सदन में रखूंगा। हो सकता है कि कांग्रेस ओ के माननीय सदस्यों ने बोला हो। राज्य दुग्ध बोर्ड के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का ऐसा पद है, अगर मैं गलती कर रहा हूं तो माननीय मुख्य मंत्री ठीक कर देंगे, शायद इसमें भी कुछ पैसा मिलता है, ऐसे लोगों को इसमें मुक्त किया जाय कि उस वक्त तक मौजूद रहें जब तक चुनाव होता रहे, यह उचित नहीं दिखायी देता। यह सरकारी दल पर आक्षेप नहीं है। इससे हम सब लोग प्रभावित होंगे।

श्री चन्द्रभान शर्मा —

आपकी गलतफहमी दूर कर दूं। मैंने यह नहीं कहा कि कितना टाइम किसी व्यक्ति को दिया जाय। मैंने कहा कि चार विधेयक हैं एक विधेयक पर कितना टाइम रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

यह पहला भाषण है। इसमें आपको सवाल नहीं उठाना चाहिये। औचित्य का तकाजा है, आपको नहीं बोलना चाहिये। आप इस विषय को लेकर छेड़खानी न करें।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैंने सैद्धान्तिक रूप से सम्बन्धित माननीय मंत्री से कहा। इन पहलुओं पर भी विचार होना चाहिये। यह बात सही है कि इस विधेयक के साथ हम न्याय नहीं कर सकते इसलिये कि न प्रतियां मिलीं न विचार करने का अवसर मिला। हो सकता है कि एक आध बातें ऐसी कही जायं जो इससे सम्बन्धित न हों। इन शब्दों के साथ में समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं निवेदन कर दूं। जो प्रतियां बंटी हैं, आपको नहीं मिली हैं, जो हैं वह दे दी जायंगी जैसे हाउस आफ कामंस में है, अनर्हता का मामला यह सदन तय करता हो। कौन सदस्य हुआ है यह तो तय करता है एलेक्शन कमीशन। यहां बहस है कि जो एक दफा सदस्य हो गया उनको किन-किन कारणों से अनर्ह नहीं किया जाना चाहिये, इस पर बहस को सीमित रखें तो ज्यादा समय नहीं लगेगा।

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, १९५० से १९५७ तक दसियों अधिनियम बनाये गये कि आफिस आफ प्राफिट जो होल्ड करते हैं उनमें से कितने व्यक्तियों को असेम्बली और कौन्सिल का मेम्बर होने की क्वालिफिकेशन दी जाय। इसी बात को लेकर विधेयक सामने आये। सारे विधेयकों को एकत्र करके कंसोलिडेटेड रूप में यह विधेयक लाया गया है। १९६० में एक संकल्प विधान परिषद् में आया था। उसके माध्यम से यह बात तय हुई थी कि एक समिति बनायी जाय जो निर्णय करे कि कौन-कौन से ऐसे पद हैं जिनको इससे अलग कर दिय जाय और उसके आधार पर वह समिति अपनी रिपोर्ट पेश करती रहे। उसके आधार पर कुछ पद निकाले गये। मुझे कोई आपत्ति नहीं। कांस्टीट्युशन के आर्टिकिल १९१ के अन्दर यह प्राविजन है—

"(1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State—

(*a*) if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State sepecified in the First Schedule, other than an office declared by the Legislature of the State by law not to disqualify its holder."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसमें प्रावीजन है कि अगर विधान मंडल तय करता है कि आफिस आफ प्राफिट को इससे मुक्त किया जाय तो उसको मुक्त करने का अधिकार है और वह चुनाव के जरिये मेम्बर हो कर आ सकता है। लेकिन १९६० में एक समिति बनायी गयी थी उसने प्रतिवेदन दिया उसके आधार पर जो लिस्ट बनायी गयी वह कंसालिडेट करके वह लिस्ट ला दिया। १९६० से लेकर १९७१ तक ११ साल में बहुत से विधेयक आफिस आफ प्राफिट के सम्बन्ध में पास हुए उनको भी इनक्लूड करना चाहिये। मेरा सुझाव है कि एक समिति फिर से गठित की जाय वह तत्काल रिपोर्ट दे। कौन कौन ऐसे पद हैं जो इन्क्लूड किये जाने चाहिये। जैसे विधान परिषद् में यह बिल आया था तो कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था कि आफिशियल और नान आफिशियल रिसीवर्स और ओथ कमिश्नर्स को भी इसमें इनक्लूड करना चाहिये। ताकि यह लोग भी अपने पद का दुरुपयोग न करें। उस समय तो लोगों ने उसे पास कर दिया लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि कान्स्टीट्यूशन की इस धारा का मतलब यह है कि जो लोग आफिस आफ प्राफिट होल करते हैं उनको डि क्वालीफाई समझा जायेगा। उस डिसक्व लीफिकेशन को यह विधान सभा हटा सकती है। मेरी भावना यह है कि अपने पद का दुरुपयोग करके किसी भी व्यक्ति को चुनाव जीतने का अवसर नहीं देना चाहिये। दूसरे देशों में तो ऐसा होता है कि चुनाव होने से पूर्व केबिनेट को भंग कर दिया जाता है और वहां पर लोग स्वतंत्र रूप से खड़े होकर जीत कर आते हैं। लेकिन यहां पर मंत्री रहते हुए ही लोग चुनाव लड़ा करते हैं और इस प्रकार से मंत्रिपद का दुरुपयोग किया जाता है। इसलिये मेरी समझ में इस विषय पर फिर से विचार होने की आवश्यकता है। विचार के बाद उन सब पदों को इसमें ले आया जाय जो लाभप्रद पद हों। उसके लिये एक समिति का निर्माण कर दिया जाय जो इस प्रकार के सारे पदों का उसमें समावेश कर दे। मैं इस बिल की भावना से तो जरूर इत्तिफाक करता हूं लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसका नाजायज फायदा उठाते हैं।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य गोंडा का बहुत आभारी हूं जिन्होंने रचनात्मक सुझाव दिया। मैं उनसे केवल यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस विधेयक के खंड ३ (ख) में ओथ कमिश्नर आदि को आफिस आफ प्राफिट की श्रेणी में नहीं लाया गया है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मैंने कहा कि ऐसे लोगों को भी इसमें इन्क्लूड कर लिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

भविष्य में जब भी किसी पद के लिये इस प्रकार की बात आये तो माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह आफिस आफ प्राफिट देखने के बारे में एक कमेटी बनायें। उसमें इस सदन को कोई आपत्ति नहीं होगी और समय-समय पर सदन उसकी सिफारिशों को स्वीकार करेगा। जहां तक इस विधेयक की बात है इसका तात्पर्य केवल इतना है कि जितने भी पद लाभप्रद घोषित हो सकते थे और जिनके कारण अनर्हता हो सकती थी और जिसको रिमूव करने के लिये १० विधेयक समय-समय पर लाये गये थे, उन सब का एकीकरण इस विधेयक के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा दूसरा मौलिक विषय यह आता है कि एम० एल० ए० और एम० एल० सी० होने के बाद क्या वह और किसी काम के योग्य नहीं रह जाता। आर्टिकल १९१ (२) में यह लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति जो गवर्नमेंट में मिनिस्टर के पद पर है तो उसका वह मिनिस्टर का पद आफिस आफ प्राफिट नहीं माना जायगा। अब मिनिस्टर की परिभाषा में स्टेट मिनिस्टर और डिप्टी-मिनिस्टर भी आ जाते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंटरी सेक्रेट्री और कोई भी वह सदस्य आ जाता है जो मिनिस्टर की ओर से काम कर रहा है। इसी प्रकार से जैसे मूल्यांकन परिषद् है, उसका भी इसमें उल्लेख किया गया है। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि एम० एल० ए० बन जाने से किसी की उपयोगिता समाप्त नहीं हो जाती। इसमें किसी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

पार्टी या सरकार का प्रश्न नहीं है। किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो वह इसके बारे में प्रावीजन कर सकती है। इस दृष्टिकोण से मैं आग्रह करूंगा कि इसको सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाय क्योंकि पहले भी इसको सर्वसम्मति से ही स्वीकार किया गया था। मुझे बड़ा दुःख हुआ जब कि हमारे माननीय मित्र ने रायबरेली के चुनाव का उल्लेख किया। वह यहां पर बिलकुल अप्रासंगिक था लेकिन उन्होंने कहा कि वहां पर कितना खर्चा हुआ और किस प्रकार से हुआ, इस सबका इससे कोई संबंध ही नहीं है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात कही गयी कि आर्टिकिल १९१ में यह प्राविजन है। मिनिस्टर जो है उससे एक्सक्लूड है, यह कांस्टीट्यूशन में दिया हुआ है और देशों में यह है कि मिनिस्टर भी गद्दी छोड़कर चुनाव के मैदान में आता है जबकि हमारे कांस्टीट्यूशन में यह नहीं है। इस चीज को मैं प्वाइन्ट आउट कर रहा था कि आज जरूरत इस बात की है कि कौन-कौन से पद ऐसे हैं जो आफिस आफ प्राफिट में आते हैं, इस पर विचार करने के लिये एक कमेटी बनायी जाय। क्योंकि माधव बाबू ने भी कहा था कि बहुत से लोग खुल कर इस तरह से सरकारी पदों का दुरुपयोग करते हैं। हमारे कांस्टीट्यूशन में भी इसके लिये विधान है कि इस प्रश्न पर विचार करने के लिये कमेटी बनायी जाय। हो सकता है कि उस कमेटी में ४—६ आदमी ऐसे हों जो ऐसी बात कह सकें कि ऐसे-ऐसे लोगों को भी बार किया जाय और ऐसे-ऐसे लोग उसमें शामिल नहीं होने चाहिये। इस दृष्टि से मैंने यह बात कही थी।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९६९, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

२—जब तक प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) 'प्रतिकर भत्ता' का तात्पर्य किसी पदधारी को दैनिक भत्ता, सवारी भत्ता, गृह-किराया भत्ता या यात्रा भत्ता के रूप में इस प्रयोजन से देय धनराशि से है जिससे कि वह उक्त पद के कृत्यों का संपादन करने में अपने द्वारा किये गये व्यय की पूर्ति कर सके, ऐसे भत्ते, दैनिक भत्ता, गृह-किराया भत्ता या यात्रा भत्ता की दशा में, न तो उन दरों से अधिक हों और न उन शर्तों से अधिक अनुकूल शर्तों पर ग्राह्य हों जो संविधान के अनुच्छेद १९५ के अधीन बनाये गये तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रयोज्य हों;

(ख) 'परिनियत निकाय' का तात्पर्य किसी निगम, समिति, आयोग, परिषद्, बोर्ड या व्यक्तियों के अन्य निकाय से है, चाहे वह निगमित हों या न हों, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित हों;

(ग) 'अपरिनियत निकाय' का तात्पर्य व्यक्तियों के किसी ऐसे निकाय से है जो परिनियत निकाय न हो;

(घ) 'राज्य' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

३—एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित में से कोई पद, जहां तक वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत कोई लाभप्रद पद हो, उसके धारक को राज्य विधान मण्डल का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए न तो अनर्ह करेगा और न कभी भी अनर्ह किया गया समझा जायेगा, अर्थात्— कुछ लाभप्रद पद अनर्ह न करेंगे

(क) संघ या राज्य के किसी राज्य मंत्री या उपमंत्री का पद अथवा किसी मंत्री के सभा सचिव का पद,

(ख) नेशनल कैडेट कोर ऐक्ट, १९४८, टेरिटोरियल आर्मी ऐक्ट, १९४८ या रिजर्व ऐण्ड आग्जीलियरी एयर फोर्सेज ऐक्ट, १९५२ के अधीन संग्रहीत या अनुरक्षित किसी दल के किसी सदस्य का पद, ऐक्ट संख्या ३१, १९४८

(ग) जबकि संविधान के अनुच्छेद ३५२ के अधीन आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हों, भारतीय स्थलसेना, भारतीय वायुसेना या भारतीय नौ सेना या रक्षित दल के किसी अधिकारी का पद चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय या नागरिक सुरक्षा सेवा के किसी सदस्य का पद, ऐक्ट संख्या ५६, १९४८ ऐक्ट संख्या ६२, १९५२

(घ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अथवा राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन संघठित होम गार्ड्स में कोई पद,

(ङ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अथवा राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन संघठित किसी ग्राम सुरक्षा दल (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय) में कोई पद,

(च) किसी विश्वविद्यालय के सिंडीकेट, सेनेट, कार्यकारिणी समिति, परिषद् या कोर्ट अथवा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी अन्य निकाय के या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था की प्रबन्ध समिति, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, के अध्यक्ष या सदस्य का पद,

(छ) किसी विशेष प्रयोजन के लिये भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा भारत के बाहर भेजे गये किसी प्रतिनिधि मण्डल या शिष्ट मण्डल के सदस्य का पद,

(ज) राज्य सरकार के नियोजन विभाग में राज्य मूल्यांकन सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद,

(झ) राज्य दुग्ध बोर्ड के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद,

(ञ) लोक महत्व के किसी विषय के संबंध में भारत सरकार या राज्य सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को सलाह देने के लिए या किसी ऐसे विषय के संबंध में जांच करने अथवा आंकड़े संग्रहीत करने के लिये अस्थायी रूप से बनाई गई किसी समिति के (चाहे उसमें एक सदस्य या अधिक सदस्य हों) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य अथवा सचिव का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकर भत्ता से भिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार न हो,

(ट) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १० के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, खण्ड (ज), खण्ड (झ) या खण्ड (ञ) में अभिदिष्ट किसी ऐसे निकाय से भिन्न किसी परिनियत या अपरिनियत निकाय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निदेशक, सदस्य या सचिव का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकर भत्ता से भिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार न हो, अधिनियम संख्या ४३, १९५१

ऐक्ट संख्या १०, १९२०

(ठ) किसी ग्राम राजस्व अधिकारी का पद, चाहे उसे लम्बरदार, प्रधान, सरग्रोह, मालगुजार, ग्राम सयाना, खात सयाना के नाम से या किसी अन्य नाम से पुकारा जाय, जिसका कार्य मालगुजारी वसूल करना हो और जिसे उसके द्वारा वसूल की गयी मालगुजारी का अंश या कमीशन द्वारा पारिश्रमिक दिया जाय, किन्तु जो पुलिस के किन्हीं कृत्यों को न करता हो,

(ड) इंडियन सिक्योरिटीज ऐक्ट, १९२० में यथापरिभाषित सरकारी प्रतिभूतियों या भारत सरकार द्वारा जारी किये गये किन्हीं बचत प्रमाण-पत्रों की बिक्री के लिये अथवा उसके अंशदानों के संग्रहण के लिए किसी एजेंट का (कमीशन पर या बिना कमीशन पर) पद, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय,

(ढ) संविधान के अनुच्छेद ३१—क के खण्ड (१) के उपखंड (ख) के अधीन बनाई गयी विधि के अन्तर्गत सीमित अवधि के लिये भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकार में ली गयी किसी संपत्ति के प्रबन्ध के लाभप्रद पद, जब वह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा धृत हो जो इस प्रकार उक्त संपत्ति के अधिकार के लिये जाने के पूर्व से उसके प्रबन्ध के संबंध में सेवायोजित हो;

(ण) कोई पद जो किसी विशेष कर्त्तव्य का पालन करने के लिये पूर्णकालिक पद न हो, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकर भत्ता से भिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार न हो;

(त) पैनेल के वकील का पद (जिसके अन्तर्गत १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा १२७—ख के अधीन नियुक्त कोई पैनेल का वकील भी हो), यदि ऐसे पद का धारक किसी प्रतिधारण या वेतन, उसे चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाय, के लिए हकदार न हो;

(थ) लेख्य-प्रमाणक या शपथ अधिकारी का पद या किसी न्यायालय या कलेक्टर द्वारा नियुक्त कमिश्नर अथवा आदाता अथवा एमीकस क्यूरी का पद अथवा सरकारी आदाता किन्तु इसके अन्तर्गत सरकारी परिसमापक का पद नहीं है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव के पद के अन्तर्गत उसी प्रकार के सभी पद होंगे, चाहें उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाय।

श्री जयनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन उपस्थित करता हूं:—

खण्ड ३ के उपखंड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(झ) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, १९६५ के अधीन किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी में राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट सदस्य अथवा सभापति का पद,"

खंड ३ के उपखण्ड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित नये उपखंड बढ़ा दिये जायं--

"(ञ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सिंचाई आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का पद;

(ट) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त श्रम आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का पद;

(ठ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वेतन आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का पद;"

खण्ड ३ के उपखंड (ट) में शब्द "खण्ड (ज), खंड (झ), खण्ड (ञ)" के स्थान पर शब्द "खण्ड (ज), खण्ड (झ), खण्ड (ञ), खण्ड (ट), खंड (ठ) या खण्ड (ड)" रख दिये जायं।

खण्ड ३ के उपखण्ड (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ), (ण), (त), (थ) को पुनः संख्याकित करके क्रमशः (ड), (ढ), (ण), (त), (थ), (द), (ध) व (न) कर दिये जायं।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

श्रीमन्, एक अच्छा सुझाव दिया गया था कि एक समिति बनायी जाय जो डिटेल्ड स्टेडी करके यह तय करे कि कौन-कौन से पद उसमें जोड़ दिये जायं। उसके बाद अब यह इस तरह का संशोधन प्रस्तुत किया जा रहा है। तो मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि फिलहाल इस भावना से प्रेषित होकर वह इन संशोधनों को आज वापस ले लें और जो सुझाव हमने दिया है कि समिति बनायी जाय और फिर निर्णय हो, तभी इन्क्लूड करना ज्यादा अच्छा होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

श्रीमन्, मैं जो माननीय श्री जयनारायण सिंह ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार करता हूं। यह जो संशोधन हैं यह स्थिति को और स्पष्ट करते हैं। कभी-कभी एम० एल० ए०, एम० एल० सी० चुने भी जाते हैं और कई बार नाम निर्दिष्ट भी हो जाते ह। तो उसके लिये इसमें प्रबन्ध करना आवश्यक है और फिर कुछ आयोगों का उल्लेख है। उसमें चूंकि कुछ सदस्य नामांकित हो चुके हैं इसलिये अनर्हता निवारण की व्यवस्था करना आवश्यक है। तो भविष्य के लिये तो इस पर विचार हो सकता है लेकिन जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके सम्बन्ध में कोई प्रश्न न उठे इसकी व्यवस्था करना आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि--

खंड ३ के उपखंड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(झ) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, १९६५ के अधीन किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी में राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट सदस्य अथवा सभापति का पद,"

खंड ३ के उपखंड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित नये उपखंड बढ़ा दिये जायं--

"(ञ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सिंचाई आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का पद,

(ट) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त श्रम आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का पद,

(ठ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वेतन आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का पद,"

खंड ३ के उपखंड (ट) में शब्द "खंड (ज), खंड (झ), खंड (ञ)," के स्थान पर शब्द "खंड (ज), खंड (झ), खंड (ञ), खंड (ट), खंड (ठ) या खंड (ड) "रख दिये जायं।

खंड ३ के उपखंड (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ), (ण), (त) (थ) को पुनः संख्यांकित कर के क्रमशः (ड), (ढ), (ण), (त), (थ), (द), (ध) व (न) कर दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४

४—निम्नलिखित अधिनियम एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं :—

य० पी० ऐक्ट, संख्या 7, 1940 — (१) दि यूनाइटेड प्राविंसेज लेजिस्लेटिव मेम्बर्स रिमूवल आफ डिसक्वालिफिकेशन्स ऐक्ट १९४०;

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1950 — (२) उत्तर प्रदेश सभा सचिव (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, १९५०;

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1951 — (३) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों का (अनर्हता निवारण) अधिनियम, १९५१ ई०;

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1952 — (४) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) अधिनियम, १९५२;

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1952 — (५) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) (द्वितीय) अधिनियम, १९५२;

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1953 — (६) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) अधिनियम, १९५३;

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1954 — (७) उत्तर प्रदेश विधान मण्डल सदस्य (राष्ट्रीय नियोजन ऋण) (अनर्हता निवारण) अधिनियम, १९५४;

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 1955 — (८) उत्तर प्रदेश विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) अधिनियम, १९५५;

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1955 — (९) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य (जीवन बीमा) (अनर्हता निवारण) अधिनियम, १९५६;

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1957 — (१०) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) अधिनियम, १९५६।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड १

संक्षिप्त नाम — १—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, १९६९ कहलायेगा।

श्री जयनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १ में संख्या "१९६९" के स्थान पर संख्या "१९७१" रख दी जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

यह मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १ में संख्या "१९६९" के स्थान पर संख्या "१९७१" रख दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड १ इस विधयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९६९

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

शासन के अन्तर्गत कुछ लाभप्रद पदों के संबंध में यह घोषित करने के लिए कि उन पर अध्यासित व्यक्ति उन पदों के कारण विधान मण्डल के सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए अनर्ह न होंगे।

विधेयक

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९६९, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है तथा इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९६९ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है तथा इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश अंतरिम जिला परिषद् (बनाये रखने के लिये) विधेयक, १९७०†

सामुदायिक विकास राज्य मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (बनाये रखने के लिये) विधेयक, १९७० जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

---

†२१ दिसम्बर, १९७० की कार्यवाही में छपा है।

[श्री गोपीनाथ दीक्षित]

श्रीमन्, उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिलों की जिला परिषद का कार्यकाल बढ़ाने के लिये ३१ दिसम्बर, १९७० को एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था जिसका समय ३१ दिसम्बर, १९७१ तक के लिये था लेकिन यह अध्यादेश गत विधान सभा सत्र में विधेयक के रूप में स्वीकृत नहीं हो सका। ३१ मई, १९७१ को पुनः एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया जिसको आज विधेयक के रूप में विचार करने के लिये मैंने प्रस्तुत किया है। यह जिला परिषदों का कार्यकाल बढ़ाने के लिये एक साधारण-सा विधेयक है। मैं विश्वास करता हूं कि इस पर विचार करने के लिये आप आज्ञा प्रदान करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (बनाये रखने के लिये) विधेयक, १९७० जसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९५८ की धारा १ का संशोधन।

२—उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ में, धारा १ की उपधारा (३) में, अंक "१९७०" के स्थान पर अंक "१९७१" रख दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खंड ३

(श्री मुन्शीलाल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जंगबहादुर सिंह (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपरान्त....

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। आपने मुन्शीलाल जी का नाम पुकारा है। उनके स्थान पर दूसरे सदस्य खड़े नहीं हो सकते हैं। यदि प्रस्तावक सदन में उपस्थित न हों तो क्या उनके स्थान पर दूसरा सदस्य संशोधन रख सकता है?

श्री उपाध्यक्ष—

दूसरा सदस्य पेश कर सकता है। यह आपके प्रश्न का उत्तर मैंने दिया। लेकिन मुन्शी लाल जी के नाम अगर संशोधन है और उनका नाम अगर पुकारा गया है तो उनको ही उसके लिये खड़ा होना चाहिये। उनके नाम पर दूसरा खड़ा नहीं हो सकता है। साथ ही यह बात भी सही है कि दूसरा सदस्य संशोधन पेश कर सकता है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

अगर वह सदस्य किसी दूसरे सदस्य को लिखित रूप में अधिकृत कर दे तो इसकी सूचना श्रीमन् के पास भी भेजता है। इसलिये मैंने निवेदन किया कि आप इस प्रसंग को देख लें।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आप यह बात कहते हैं कि लिखित ही होना चाहिये तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। अगर यहां पर माननीय सदस्य खड़े होकर यह कह देते हैं कि उन्होंने मुझे अधिकृत किया है तो यह बात मान ली जाती है कि उसको अधिकृत किया है।

श्री जंगबहादुर सिंह—

श्रीमन्, मुझे उन्होंने कहा है और वह मुझको कह कर गये हैं। इसलिये मैं इस संशोधन को सदन के समक्ष रख रहा हूं।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मैं इस बिल का विरोध करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष—

आपका विरोध हो गया है।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

जब सदन में गुंड विरोधी विधेयक आया था तो उस पर इसी तरह का मेरा संशोधन था, इसी तरह से जैसी स्थिति यह आज आई है उसी तरह से मने भी एक संशोधन रखना चाहा था और उस समय श्रीमन्, आप ही पीठासीन थे और आपने उसकी आज्ञा नहीं दी थी। क्या मौखिक तरीके से ...

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे पास आपका कोई संशोधन नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह—

मैं आपकी पुरानी व्यवस्था का हवाला इसी सम्बन्ध में दे रहा हूं। जब यहां गुंडा विरोधी ऐक्ट आया था तो उस पर मैंने संशोधन रखना चाहा था, मैंने संशोधन में कुछ मौखिक संशोधन करना चाहा था लेकिन आप ने आज्ञा नहीं दी थी लेकिन आप आज उनको आज्ञा दे रहे हैं कि मौखिक संशोधन लाया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी बात में और इसमें अन्तर है और वह यह है कि यह संशोधन लिखित है, लिखित होना चाहिये, आप जो बात कह रहे हैं वह आप बतायें कि किस दिन का है, मैं उसको दिखलवा लूंगा।

श्री कल्प नाथ सिंह—

मैंने कहा कि इसको रहने दिया जाय और दूसरा संशोधन ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने श्री मुंशी लाल का नाम पुकारा अब कोई खड़ा हो गया तो मुझे क्या मालूम कि वह क्या कहना चाहता है, वह यह कहना चाहता है कि 'मैं अधिकृत किया गया हूं" या "मुझे बोलने की इजाजत दी जाय" यह अभी मालूम ही नहीं पड़ा था अब वह कह रहे हैं कि मुंशी लाल जी ने उन्हें अधिकृत किया है और कोई रूलिंग इसके विरोध में नहीं है। यह मामूली सार्वजनिक हित का कदम है और प्रदेश के हित में कोई चीज आती है तो माननीय सदस्य और मंत्री लोग उसको मान लेते हैं, या जो मंत्री उसको रखने वाले होते हैं वह मान लेते हैं। नेगी जी ने कोई हवाला नहीं दिया है मुझे तो जवानी बात का स्मरण नहीं है, वह यदि लिख कर देंगे और ध्यान दिलावेंगे कि ऐसी कोई रूलिंग मैंने दी है तो मैं विचार करूंगा।

श्री जंग बहादुर सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपरान्त निम्नलिखित नया खंड ३ जोड़ दिया जाय।

"३ —उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (बनाये रखने के लिये) अध्यादेश, १९७१ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।"

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

उपाध्यक्ष महोदय, अन्तरिम जिला परिषदें पिछले कई साल से इस प्रदेश के लिये सिर दर्द बानी हुई हैं। इसी एक बात को लेकर जिस समय यहां पर चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में सरकार गठित हुई थी उस समय यह मान कर कि यह जिला परिषदें प्रदेश के लिये कोढ़ हैं, वे भंग की गयी थीं। और तात्कालिक व्यवस्था संबंधित जिलाधिकारियों को दी गयी थीं और आश्वासन दिया गया था कि शीघ्र ही जिला परिषद् के चुनाव करा दिये जायेंगे और जो सदस्य चुन कर जायेंगे उनके मातहत ही सब व्यवस्था चलेगी लेकिन उसी के साथ नगरपालिकाओं के चुनाव...

श्री कल्पनाथ सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी सूचना के लिये आपका ध्यान अध्यक्ष पद से दिये गये पृष्ठ ४६१ पर निणय संख्या १९४ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें दिया हुआ है कि "लिखित रूप में प्राधिकृत होने पर दूसरे सदस्य द्वारा संशोधन प्रस्तुत किया जा सकता है। और उसमें २४ अगस्त, १९६२ को बजट के घाटे की रकम की नवीन करों द्वारा पूर्ति न करने के सम्बन्ध में असरकारी संकल्प पर होने वाले विवाद के सिलसिले में श्री राम सुन्दर पांडेय द्वारा उठाये गये एक व्यवस्था के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष ने कहा— "मुझे उसको पेश करने की कोई अथारिटी नहीं दिखायी गयी। उन्होंने बोलने के लिये कहा है तो मैं बोलने की इजाजत उनको दूंगा। बोलने के लिये इजाजत देना और संशोधन प्रस्तुत करने की इजाजत देना, दोनों में बहुत फर्क है।

मैंने उनको बोलने की इजाजत देने का वायदा किया है, उसके लिये मैं उनको समय दूंगा।"

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपके सामने इसी पीठ से दी हुई रूलिंग का हवाला दिया। अब आप जो चाहें फैसला करें, मुझे और कुछ नहीं कहना है।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

माननीय सदस्य के जो विचार और धारणा है वह स्तुत्य हैं और जो हमारी प्रक्रियायें हैं, उन्हीं के आधार पर कार्य करना चाहिये, उन्हें भी निभाना चाहिये। माननीय सदस्य ने जो रूलिंग का हवाला दिया है, उसके बाद के निर्णय १९५ की ओर भी उनका ध्यान आकर्षित करता हूं। शायद वे पढ़ लेगें। इसमें लिखा है कि "सदन में उपस्थित सदस्य भी यदि अपने संशोधन को प्रस्तुत करने का अधिकार किसी दूसरे सदस्य को दें दें तो अधिकृत सदस्य वह प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है।

१० सितम्बर, १९५८ को उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक, १९५७ पर विचार के समय श्री नवल किशोर ने निम्न व्यवस्था का प्रश्न उठाया ...।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह भी देख लिया जाय, यह भी बहुत अच्छा निर्णय है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, यह तो एक कदम और आगे बढ़ कर है। इसमें आगे कहा गया है कि "श्री मन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि अगर किसी मेम्बर के नाम से संशोधन हो और वह ह उस में स्वयं उपस्थित हो तो क्या कोई दूसरा मेम्बर उसके संशोधन को उपस्थित कर सकता है"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो श्री अधिष्ठाता ने यह व्यवस्था दी कि हाउस में उपस्थित रहते हुये भी अगर उन्होंने दूसरे को अधिकार दे दिया है तो वे मूव कर सकते हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

श्रीमन्, अधिकृत करने की लिखित सूचना होनी चाहिये जिसकी रूलिंग भी मैंने आपको दिखा दी है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

सदन में उपस्थित होने से मतलब है कि सदन की हाजिरी रजिस्टर में माननीय सदस्य के दस्तखत हों । श्रीमन्, आज आपने एक नई रूलिंग दे दी, रूलिंग का परिवर्धन किया है । उस सदस्य को मान लेना चाहिये । एक संशोधन पेश हो चुका है । आपने रूलिंग यह दी है, जो सदन को सिरोधार्य करनी चाहिये । अगर सदस्य मौखिक रूप से भी अधिकृत करता है तो उसको मान लेना चाहिये । जब यह रूलिंग हो गई तो उसके बाद आपत्ति उठाना उचित नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह---

आपकी जो व्यवस्था है, वह यह नहीं है, आपने कवल इतना कहा कि मुन्शी लाल जी हैं नहीं । उनको कहना चाहिये था वे नहीं है । लिहाजा आपने दूसरे सदस्य को मौखिक रूप से संशोधन पेश करने की आज्ञा दी । यह आपकी व्यवस्था है ।

श्री उपाध्यक्ष---

संलिखित संशोधन को रखने के लिये कोई गैरहाजिर सदस्य की तरफ से रख सकता है या अपने नाम से दे सकता है ।

श्री गोविन्द सिंह---

यह इसलिये गलत हो जायगा कि जो माननीय सदस्य सदन के अन्दर उपस्थित नहीं हैं और न उन्होंने माननीय उपाध्यक्ष को इस बात की सूचना दी है कि वे किसी अन्य सदस्य को अधिकृत कर रहे हैं, ऐसी भी बात नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---

अगर आप या कोई माननीय सदस्य कहें कि उसे अधिकृत किया गया है और फिर कोई कहे कि उसको अधिकृत नहीं किया गया है तो कौन सी चीज को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सही मानें ।

श्री गोविन्द सिंह---

अगर माननीय सदस्य यह कहते हैं कि उनको अधिकृत किया गया है तो मान्यवर, यह आपके विवेक के ऊपर है । क्योंकि यह तो आपकी ही सूचना में और अधिकार में होना चाहिये कि उसको अधिकृत किया गया या नहीं । अगर मान्यवर, उसको अधिकृत नहीं करना चाहते हैं तो बात दूसरी है लेकिन व्यवस्था का जो रूप दिया गया है वह यह है कि मौखिक रूप से भी कोई संशोधन पेश किया जा सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष---

इस सदन का प्रत्येक सदस्य सम्मानित व गौरव गरिमा सम्पन्न है मैं समझता हूं । इसलिये लिखित और मौखिक के बहुत तकनीकी अन्तर में मैं नहीं जाता ।

श्री गोविन्द सिंह---

मैं आपकी इस व्यवस्था का स्वागत करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह व्यवस्था अन्तिम नहीं है। कोई भी व्यवस्था अन्तिम नहीं है। जो आज की पृष्ठभूमि में चीजें पेश हो रही हैं उसमें उस पार्श्वभूमि को भी अलग नहीं किया जा सकता। ऐसी चीजें जिससे कि प्रदेश की जनता पर कोई व्यापक प्रभाव पड़ने वाला हो तो इस विधेयक को शुद्ध क्रिया-कलापों से ही प्रतिष्ठित होना चाहिये।

श्री गोविन्द सिंह—

मैं आपकी व्यवस्था का स्वागत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आपकी ही गौरव-गरिमा का विस्तार है।

श्री वंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

आपकी जो व्यवस्था हो गई उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। इसी सदन में—आपके द्वारा और अध्यक्ष के द्वारा प्रस्ताव आये हैं कि जब आदमी उपस्थित नहीं रहता तो उसको इजाजत नहीं दी गई है। उसको नहीं माना गया है। मंत्री भी लिखित में दे देते हैं कोई संशोधन उनके कार्य का संपादन कर देते हैं। आपने कहा कि हमारा धर्म होता है कि विधेयक में कोई त्रुटि हो तो उसको देख सकें। लेकिन यह सरकार जिसके पास कि इतने एल० आर० हैं, यह विधान बनाती है, कल्पनार्थसिंह की बात सही है, आखिर यह इनको देखती भी नहीं है कि इसमें क्या त्रुटि रह गई है। इन्होंने कहा कि अमुक-अमुक अध्यादेश निरस्त किया जाता है। अगर दूसरा ऐक्ट आता है तो उसके पहले लिखा होता है। आप सरकार को डांट दिलाइये कि ये क्या देखते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

एक बार आपको याद होगा मैंने एक बिल के सम्बन्ध में आदेश दिया था कि जो त्रुटियां हैं उनको आधे घंटे तक शुद्ध करके लाइये। परन्तु यह फेंकने लायक विधेयक नहीं है यह विचार करने लायक है।

श्री वंशीधर पांडेय—

इस बिल को भी कह दीजिये कि यह बिल त्रुटिपूर्ण है और सरकार ने इसमें लापरवाही का परिचय दिया है। इनको चेतावनी दीजिये कि भविष्य में ये गलती न करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, जो त्रुटियां हैं उनको हम स्वीकार करने को तैयार हैं। यह परिस्थितियों का दोष है। अगर पिछला सदन चलता रहता तो यह विधेयक पास हो जाता। अब चूंकि विधेयक पास नहीं हुआ और सरकार में परिवर्तन हो गया इसलिये अध्यादेश निकालना पड़ा। तो विधेयक में उसको लिखने की कोई बात ही नहीं थी। अब जब अध्यादेश निकालना पड़ा तो उसको निरस्त करने के लिये संशोधन ही हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

विधेयक तो पुराना है, यह सही है। पिछली सरकार के समय में यह रखा गया था और परिषद् द्वारा पारित किया गया था। इसलिये इसकी त्रुटियों को शुद्ध करना आपका कर्त्तव्य होना चाहिये और दूसरा कोई बिल होता तो दूसरी बात थी। यह बिल तो ऐसा है जो पुराना है और विधान परिषद् द्वारा पारित है। उस समय की सरकार की दृष्टि में कोई संशोधन नहीं आया और इस समय की सरकार की दृष्टि में भी नहीं आया लेकिन एक माननीय सदस्य जो इस समय उपस्थित नहीं है, उन्होंने पढ़ कर संशोधन भेज दिया। तो मैं समझता हूं वह संशोधन ग्राह्य होना चाहिये।

श्री त्रिवेणी सहाय—

जो आज यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है मैं उसका विरोध करना चाहता हूं। वह विरोध इसलिये आवश्यक है कि यह बिल....

श्री उपाध्यक्ष—

अभी तो नये खंड ३ पर विचार हो रहा है। इसलिये अगर आपको कोई भाषण देना है तो तृतीय वाचन के समय दीजियेगा।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मैं इस खंड पर ही बोल रहा हूं। मैं कह रहा था कि जिस समय अन्तरिम जिला परिषदें भंग की गयीं उस समय माननीय सदस्यों के आग्रह पर इस बात की घोषणा की गयी थी कि शीघ्र ही चुनाव कराये जायंगे। पांच महीने तक सरकार चलती रही लेकिन उस अवधि में कोई भी तारीख वह फिक्स नहीं कर पाये कि इस तारीख को चुनाव हो जायंगे। तो आज यह आवश्यकता नहीं होती कि इस तरह से एक-एक साल बढ़ाया जाय। आज यह बिल आया है कि एक साल बढ़ा दिया जाय। लेकिन बीच में क्या हुआ वह मैं बताना चाहता हूं। जो जिला परिषद् माननीय सदस्यों की देख रेख में चला करते थे उनमें जितना भ्रष्टाचार होता था, जितनी गड़बड़ियां होती थी, वह गड़बड़ियां, वह भ्रष्टाचार का अनुपात जबकि जिलाधिकारियों के हाथ में वहां का इन्तजाम गया, कई गुना बढ़ गया। हमारे जिले में...

श्री उपाध्यक्ष—

संशोधन यह है कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (बनाये रखने के लिये) अध्यादेश, १९७१ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। क्या आप चाहते यह हैं कि अध्यादेश और बिल दोनों ही रहे? अगर आपको जनरल बोलना है तो तृतीय वाचन में मैं आपको समय दे दूंगा। अभी तो नया खन्ड ३ चल रहा है। इस वक्त तो आप नये खंड ३ पर ही बोल सकते हैं। नया खंड ३ पर यह है कि १९७१ का अध्यादेश निरस्त किया जाय। आप चाहते हैं कि रहे? बोलना आपको है खंड १ पर। उस समय हम आपको समय देंगे।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मैं कह रहा था कि जो अवधि बढ़ाई जा रही है वह ठीक नहीं है। वह नहीं मिलना चाहिये। पहले की अपेक्षा जिला परिषदों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। इस लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि बढ़ाई जाने से पहले मंत्री जी यह आश्वासन दे दें कि उनका चुनाव अवश्य करवा दिया जायगा। अगर यह आश्वासन नहीं आता है तो मैं इसका विरोध करूंगा। गत ७ वर्षों से इसके चुनाव राजनीतिक कारणों से नहीं हुये हैं और फलस्वरूप उनकी स्थिति और ज्यादा बिगड़ती चली जा रही है। इसलिये यहां पर इस बात का आश्वासन दें कि उनके चुनाव यहां से आदेश निकलवा कर करवा देंगे तब तो मैं इसको ठीक समझूंगा अन्यथा मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपरान्त निम्नलिखित नया खंड ३ जोड़ दिया जाये—

"३—उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (बनाये रखने के लिये) अध्यादेश, १९७१ एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि नया खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (बनाये रखने के लिए) विधेयक, १९७०

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा परित हुआ)

चमोली, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ में ३१ दिसम्बर, १९७१ तक अन्तरिम जिला परिषद् बनाये रखने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (बनाये रखने के लिए) अधिनियम, १९७० कहलायेगा ।

श्री जंग बहादुर सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १ में संख्या "१९७०" के स्थान पर संख्या "१९७१" रख दी जाय ।

*श्री गोबिन्द सिंह—

मान्यवर मैं इस संशोधन का इस लिये विरोध करता हूं कि जिला परिषदों की अवधि ५ वर्ष के लिये रखी गई थी । १९६३ में जिला परिषदों का गठन हुआ और १९६८ में इसका चुनाव होना चाहिये । सरकार की तरफ से अभी तक इस बात का कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि सन् ६८ में चुनाव क्यों नहीं हुए और एक-एक साल करके उसकी अवधि को निरंतर बढ़ाया जा रहा है । प्रदेश के अन्दर इस अवधि में अभी तक दो मध्यावधि चुनाव हो चुके हैं और पार्लियामेंट के भी दो चुनाव हो चुके हैं फिर क्या कारण है कि जिला परिषदों के चुनाव अभी तक नहीं हुए । मेरा ख्याल है कि वह करण है राजनीतिक कारण । जानबूझ कर राजनीतिक कारणों से इसको टाला जाता रहा है उसमें चाहे इनकी सरकार हो अथवा दूसरी पार्टी की सरकार हो । अपने निहित स्वार्थों के कारण ये चुनाव नहीं करवाये जा रहे हैं अथवा करवाये गये । सन् १९६८ की तस्वीर को देखिये । जब कांग्रेस पूरी तरह से परास्त हो गई थी तो उन्होंने चुनाव करवाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि देहात की जनता उनके खिलाफ थी । राजनीतिक कारणों से उन्होंने चुनाव नहीं करवाये ।

चुनाव टालते गये । दूसरी हुकूमत बनी, जिला परिषद् खतम कर दी गई । मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप चुनाव ७१ तक ले जाना चाहते थे तो उन्हें खतम ही क्यों किया । मैं समझता हूं कि इसके राजनैतिक कारण थे । उस समय जो सरकार मौजूद थी जिले के अन्दर उसकी पार्टी का जिला परिषद में बहुमत नहीं था । इसलिये जिला परिषद् खतम कर दी गई और जिलाधीशों को मुकर्रर कर दिया गया । मैं आज मंत्री जी से पूछना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चाहता हूं कि कौन से कारण हैं कि इतने दिन बाद भी आप जिला परिषदों का गठन नहीं कर सके हैं आप इतने दिन बाद भी गांव सभाओं के चुनाव नहीं करा सके हैं क्षेत्र समितियों के चुनाव नहीं करा सके हैं । इसके राजनीतिक कारण हैं । आप अपनी पार्टी की रक्षा करने के लिये उत्तर प्रदेश के अन्दर जनतंत्रज का गला घोंट रहे हैं और जिलों का भविष्य कलेक्टर के हाथ में दे दिया है । माननीय वित्तमंत्री महसूस करते रहेंगे कि जिले में हो जाय और अपने जिले की बात करें तो अगर नया कलेक्टर है तो उसको कुछ मालूम नहीं रहता है । मेरे जिला टेहरी गढ़वाल में आज भी जिला स्तर पर इस वर्ष कोई कार्य नहीं है नही वित्तीय वर्ष के लिये जिले में योजना है । एक भी जिले की योजना जिला परिषद तय नहीं कर पायी । पहले जनता के चुने हुए नुमाइन्दे होते थे यह क्षेत्र की बात जानते थे विकास की बात जानते थे, जिला परिषद में रखते थे और योजना बनाते थे । आज कलेक्टर साहबान हैं प्लानिंग आफिसर हैं वह जो कहेंगे वही होगा । मैं अपने इस विरोध को वापस लेने को तैयार हूं बशर्ते कि हमारे माननीय मंत्री जी जो इस बिल को लेकर आये हैं यह आश्वासन दें कि जब तक नई जिला परिषदें नहीं गठित की जावेंगी तब तक जिलाधीश की सलाहकार समिति रहेगी जिसमें जनता के नुमाइंदे होंगे । आप इस सदन के सदस्यों को ले सकते हैं पार्लियामेंट के मेम्बर्स को ले सकते हैं और अन्य चुने हुए नुमाइन्दे रख लें लेकिन पूरे जिले का भविष्य कलेक्टर के हाथ में न रहे । जिला परिषद् के बनाने का जो बुनियादी सिद्धांत था वह भी इससे खत्म हो गया है । आज आप इस पर कुठाराघात कर रहे हैं । मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी सरकार ने इन जिला परिषदों को खत्म नहीं किया था । उसके राजनैतिक कारण थे और आपने उसका विरोध किया था । आज आप यदि परिषदों की रक्षा करना चाहते हैं तो इस नौकरशाही के हाथ में जिले का भविष्य न छोड़िये । जिला विकास के लिये जो पैसा दिया जाता है उसकी भी व्यवस्था ठीक से नहीं कर सके हैं । जब तक इन जिलों में चुनाव नहीं होते हैं आप इन जिलों की उन्नति नही कर सकते हैं । आपकी तरफ से भी पिछली सरकार के अनुसार ही कार्य नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

मान्यवर माननीय सदस्य नेगी जी की जो भावनायें हैं कि जिला परिषदों का कार्य सुसंपादित हो अच्छे ढंग से जिला परिषदें चलें मैं उनसे सहमत हूं । उनकी भावनाओं के अनुकूल ही कल प्रश्नोत्तरकाल में सूचना भी दी गयी थी कि जिला परिषदों/ग्राम सभाओं/क्षेत्र समितियों का चुनाव कराना चाहते हैं और हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि कल दी हुई सूचना के अनुसार ही जल्दी से जल्दी चुनाव कराने का कदम उठायेंगे । इन शब्दों के साथ माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन को स्वीकार करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड १, में संख्या "१९७०" के स्थान पर संख्या "१९७१" रख दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १ प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (बनाये रखने के लिये) विधेयक, १९७० जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है तथा इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (बनाये रखने के लिये) विधेयक, १९७०, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, तथा इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बंशीधर पांडेय--

उपाध्यक्ष महोदय, इस समय कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह देखना पड़ेगा। सही बात उठायी है इसलिये देखना पड़ेगा।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७१ के विचारार्थ लेने पर आपत्ति

(शिक्षा मंत्री को पुकारे जाने पर)

*श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)--

श्रीमन्, माननीय शिक्षा मंत्री जिस विधेयक को विचार के लिये प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह नियमों के अनुसार आज पेश नहीं हो सकता। इस संबंध में आप प्रक्रिया नियमावली के नियम १२८ को देखें। उस नियम के अन्त में लिखा है "....किन्तु उस समय तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया जायेगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से तीन दिन पूर्व सदस्यों को उपलब्ध न कर दी गयी हों..." इस विधेयक की प्रतियां परसों बटी हैं, तीन दिन अभी नहीं हुये हैं। साथ ही आप नियम ११८ और ११९ को भी देखें उसकी भी पूर्ति नहीं हुई है। ११८ में है कि 'जिस विधेयक में व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, उसके साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त होने वाले खंडों की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जायगा और उसमें उस आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का भी प्राक्कलन दिया जायेगा जो विधेयक के विधि रूप में पारित होने की अवस्था में अन्तर्ग्रस्त हो।" इस विधेयक में वह भी नहीं है। खंड १० में वह नहीं छपा है जो छपा होना चाहिये। फिर नियम ११९ के अनुसार जो इसके साथ ज्ञापन होना चाहिये वह भी नहीं दिया गया है। इसलिये यह पेश नहीं हो सकता, आज इस पर विचार नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष--

आपकी एक आपत्ति तो यह है कि ३ दिन नहीं बीते हैं, दूसरी यह है कि इसमें आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय के प्राक्कलन नहीं दिये गये हैं।

श्री विश्वनाथ कपूर--

जी हां, और जो उसे मोटे अक्षरों में छापने वाली बात है वह भी नहीं है।

*श्री नारायण दत्त तिवारी--

माननीय सदस्य, फैजाबाद, ने जो प्रश्न उठाया है, मैं उस संबंध में उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि जिन विधेयकों की सूचना पहले से न हो उनको विवाद के लिए लिया जाय। लेकिन श्रीमन्, आप देखेंगे कि इस विधेयक की चर्चा के विषय में जो कार्य सूची सदस्यों को वितरित की गयी उसमें इसका नाम उल्लिखित है। साथ ही साथ जब सदन १२ जुलाई को समवेत हुआ तो कार्यमंत्रणा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समिति में यह तय हो चुका था और उसी के अनुसार प्रस्ताव पारित हो गया कि १४ जुलाई को यह विधेयक बहस के लिए लाया जायगा। इस विधेयक की प्रतिलिपियां भी सब सदस्यों को उपलब्ध करवा दी गयीं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जब कार्य मंत्रणा समिति से तय हो गया कि इस पर विचार करना है और पारित करना है, परसों इसकी सूचना दे दी गयी और इस विधेयक की प्रतियां उपलब्ध करवा दी गयीं, आज तीसरा दिन है। इसे आप जो उठा रहे हैं। इस पर अधिक जोर न दें। मैं उनका बड़ा अनुगृहीत हूंगा। दूसरे जो उन्होंने नियम ११८ की बात कही, आवर्तक और अनावर्तक के संबंध में,आप देखेंगे, इसके उद्देश्य और कारणों में, कि इसमें नया व्यय अन्तर्ग्रस्त नहीं हैं। इस समय अध्यापकों को जो वेतन मिल रहा है वह समय से मिल सके उसको सुनिश्चित करने के लिए यह विधेयक है। "बहुधा ऐसे परिवाद किये गये हैं कि सहायता प्राप्त गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों को उनका वेतन समय पर नहीं दिया जाता है और इस कारण इन कर्मचारियों को कठिनाई उठानी पड़ती है। ऐसी संस्थाओं के प्रबन्धाधिकरणों को समय-समय पर दिये गये अनुदेश प्रभावकारी नहीं सिद्ध हुए। इस विधेयक द्वारा इस कठिनाई को दूर करने तथा वेतन का नियमित तथा समय पर भुगतान सुनिश्चित कराने के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रबन्धाधिकारणों का अतिक्रमण करने एवं उन्हें दंडित करन की व्यवस्था की गयी है। इस विधेयक के अन्दर कोई नया आवर्तक या अनावर्तक व्यय अन्तर्निहिन नहीं है। जो व्यय सदन स्वीकार कर चुका है, करता रहा है और करता रहेगा, उसी को सुनिश्चित करने के लिये यह विधेयक है। इस लिये नियम ११८ के अनुसार कोई वित्तीय ज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं है। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि कार्यमंत्रणा समिति की सर्वसम्मत संस्तुत को देखते हुए और सदन द्वारा पारित प्रस्ताव को देखते हुए अपनी आपत्ति पर ज्यादा जोर न दें।

श्री उपाध्यक्ष---

वह जोर दें अथवा न दें नियमों की स्थिति के बारे में सदन के समक्ष जो आपत्ति की गयी है उसके रहते हुए तीन दिन के बारे में आपकी क्या राय है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मेरी राय यह है कि यह विषय ऐसा है, नियम १२८ में किन्तु लगा हुआ है--'किन्तु उस समय तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया जायगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से तीन दिन पूर्व सदस्यों को उपलब्ध न कर दी गयी हों और सदस्यों द्वारा की गयी आपत्ति अभिभावी होगी जब तक कि अध्यक्ष प्रस्ताव करने की अनुज्ञा न दे दें।" कार्य मंत्रणा समिति ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया, और सदन ने १२ जुलाई को माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री के प्रस्ताव पर उसको स्वीकार कर लिया। उस दिन विधेयक की प्रतिलिपियां सदस्यों को उपलब्ध कर दी गयीं। आज तीसरा दिन। कार्य मंत्रणा समिति की संस्तुति हो गयी, सदन का सर्वसम्मति प्रस्ताव हो गया, कोई कमी रह गयी हो तो आप अनुज्ञा दे दें। चार विधेयक आज पारित करना तय हो चुका है। इस विधेयक में कोई विरोध नहीं है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, उससे हमारा विरोध है और हमारे इसमें संशोधन हैं भी।....

श्री नारायण दत्त तिवारी---

माननीय सदस्य इलाहाबाद को इसमें विरोध के किसी व्योरे के सम्बन्ध में हो सकता है किन्तु विचार करने के लिये विरोध नहीं हो सकता। इसे सिद्धांत के रूप में सदन ने मंजूर किया हुआ है जिसमें कि अध्यापकों के वेतन आदि के भुगतान के सम्बन्ध में दिया हुआ है। अतः सिद्धान्त रूप में इस पर विचार अवश्य आज होना चाहिये।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जैसा कि माननीय संसदीय मंत्री ने कहा कि इसके ब्योरे पर हमारा विरोध हो सकता है। मान्यवर, हमारा सिद्धांत और उसकी भावना दोनों पर विरोध है। उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियमावली के नियम १२८ में स्पष्ट दिया हुआ है कि इसके लिये ३ दिन का पूरा समय हम लोगों को संशोधन रखने का मिलना चाहिये और वह समय हमको नहीं मिला है। हम अभी तक उसमें संशोधन नहीं दे पाये हैं। अतः आज आप इस पर विचार न करवायें। जहांतक कार्य मंत्रणा समिति की बात है तो मैं समझता हूं कि कार्यमंत्रणा समिति के जो अध्यक्ष हैं वे हमारी विधान सभा के अध्यक्ष जरूर हैं किन्तु यह चीज तो तय आप लोगों को करने की है कि यह चीज वास्तव में नियमानुकूल है या नहीं। मान्यवर, मेरी राय में यह नियमानुकूल नहीं है इस सदन को पूरा अधिकार है कि वह इस पर आज विचार न करे। और इस पर कल विचार किया जाय।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मान्यवर, यह जो नियम १२८ है उसमें यह इम्पलाइड ही नहीं बल्कि इक्सप्रेस्ड है कि तीन दिन के पूर्व उसकी प्रतिलिपि मिल जायगी। तो जब भी १२ तारीख को माननीय सदस्यों को उसकी प्रतिलिपि मिली तो आज ३ दिन कहां पूरे हुए। तीन दिन व्यतीय हो जाने के बाद ही इस पर विचार हो सकता है। मैंने संशोधन भी दिये हैं किन्तु वह आज की कार्यसूची में छपा नहीं है। इसकी भावना और सिद्धान्त पर हमारा विरोध नहीं है किन्तु इसमें जो खामियां है उस पर हमारा विरोध है। अतः हमारा आपसे निवेदन है कि इसे कल के लिये स्थगित किया जाय।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मुझे यह कहना है कि इसकी अनुज्ञा के दो हिस्से हैं। एक अनुज्ञा तो यह है कि जब कोई मंत्री सिद्धान्त रूप में किसी बिल को कोई मंत्री विचार करने की सदन से अनुज्ञा मांगता है और दूसरा हिस्सा वह है जो कि नियम १२८ में प्रावाइडेड आखिरी लाइन में दिया हुआ है कि "अनलेस दि स्पीकर एलाऊ"। आप अगर उसकी अनुज्ञा दें दें तब वह बिल प्रस्तुत हो सकता है। किन्तु जब तक आप उसमें अपनी अनुज्ञा नहीं देंगे तब तक वह बिल विचार हेतु प्रस्तुत नहीं हो सकता। इसमें अब आपकी अनुज्ञा का सवाल है। तो अब प्रश्न यह है कि आपने इसके लिये अनुज्ञा कब दी। यह जो एजेन्डा है वह आपके सेक्रेटेरिएट से जारी होता है और इसमें जितनी भी चीजें दी होती है उसमें तो यह माना है कि उस सबके लिये आपने अपनी अनुज्ञा दे दी है और आपकी स्वीकृति उसमें है। अब जो कोई भी मंत्री अनुज्ञा सदन से मांगेंगे तो उसकी अनुज्ञा मिल गई या नहीं मिली यह तो उस पर इम्लाइड होगा। तो मेरा कहना यह है कि इस औब्जेक्शन पर कोई जोर नहीं है।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, इसमें तीन दिन पूर्व दिया हुआ है इस चीज को माननीय मंत्री जी भी मानते हैं। आज तीसरा दिन है। और इसके लिये जब तीन दिन दिये जाते हैं संशोधन वगैरह लाने के लिये तो हमें तीन दिन पूरे दिये जाने चाहिये ताकि हम विरोध कर सकें। हम इसमें अभी और सुझाव और संशोधन देना चाहते हैं। जहांतक कार्यमंत्रणा समिति का सम्बन्ध है, उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है और नियमावली का भी कार्य मंत्रणा समिति से यहां पर कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः यह जो विधेयक है उस पर आज विचार नहीं किया जा सकता है.....

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

श्रीमन्, इसमें मुझे केवल इतना ही कहना है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कार्यमंत्रणा समिति का जिक्र किया। मान लीजिये उसने इनको लिये जाने के बारे में तय कर दिया लेकिन

कार्यमंत्रणा समिति भी तो नियमों से बंधी हुई है । वह जो भी कर सकती है वह प्रक्रिया नियमावली के नियमों के अनुसार ही कर सकती है । उसके कृत्यों में यह कहीं नहीं लिखा गया है कि वह नियमावली का उल्लंघन कर सकेगी । इसलिय यह स्पष्ट है कि इसको लाने में नियमों का पालन नहीं हुआ है । आप कृपया इसकी इजाजत न दें ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने नियम ११९ के बारे में नहीं बताया जिसमें कहा गया है—"विधायिनी शक्ति प्रत्यायोजित करने वाले विधेयकों का व्याख्यात्मक ज्ञापन-जिस विधेयक में विधायिनी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिये प्रस्थापनायें अन्तर्ग्रस्त हों उसके साथ एक ज्ञापन होगा जिसमें ऐसी प्रस्थापनाओं की व्याप्ति की व्याख्या होगी", भी इस विधेयक के नहीं है, जो होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कहा गया कि कार्यमंत्रणा समिति ने यह निर्णय लिया । यद्यपि उसमें श्री अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों होते हैं। वहां कोई निर्णय हो और उस पर यह सदन एक राय से उस पर अमल करे बिना किसी मतभेद के तब तो ठीक है । लेकिन अगर उसमें कोई आपत्ति हो जाती है तो नियमों को देखना ही पड़ता है । उसके लिये यह कह देना कि कार्यमंत्रणा समिति में अध्यक्ष होते हैं इसलिये उसकी नियमित अनुज्ञा मिल गयी, यह चीज नियमों की स्थिति को संदिग्ध बना देती है । मैं इससे सहमत नहीं हूं । यह मंत्री जी ने भी स्वीकार किया कि इसकी प्रतिलिपि तीन दिन पूर्व उपलब्ध नहीं की गयी । अब चाहे वह विधेयक महत्वपूर्ण हो या न हो, उसकी जानकारी तो आपको होगी लेकिन जो भी विधेयक यहां आता है, मैं तो उन सब को ही महत्वपूर्ण समझता हूं । इसलिये मैं तो इस राय का हूं कि इस बिल को इस नियम को स्थगित करा के लाया जाना चाहिये था लेकिन चूंकि वह नहीं किया गया और यह सवाल उठा दिया गया है इसलिये नम्बर १२ और १३ पर जो विधेयक हैं दोनों को मैं यह समझता हूं कि दूसरे दिन आयेंगे, आज नहीं आ सकते ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं एक आग्रह करना चाहता हूं । वसे तो आपकी बात शिरोधार्य है लेकिन मेरा कहना है कि सरकार का एक बिजनेस होता है । उसको कार्यमंत्रणा समिति के समक्ष रखा जाता है और उस पर कार्यमंत्रणा समिति एक निर्णय लेती है ।

श्री उपाध्यक्ष—

कार्यमंत्रणा समिति का फैसला नियमों के ऊपर नहीं हो सकता ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं दूसरी बात कह रहा हूं । आज के लिये यह तय हुआ था कि ४ विधेयक आज पारित किये जायेंगे और कार्यमंत्रणा समिति ही नहीं, सदन ने भी इस बारे में निर्णय ले लिया था कि ये चार विधेयक आज लिये जायेंगे और यह प्रस्ताव परसों पारित हो गया था । उन्हीं चार विधेयकों में यह वेतन वाला विधेयक भी है । अगर ऐसा हो गया तो भविष्य के लिये हो जायगा कि किसी विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुज्ञा ही नहीं मिलेगी और हाउस का विजनैस ही नहीं चल पायेगा । कार्यमंत्रणा समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव जब सदन द्वारा स्वीकार कर लिया जाय तब तो उसको माना जाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर सदन की ओर से उस बारे में कोई एतराज न होता, तब तो ठीक था और अगर आपने पहले उसके लिये इजाजत ले ली होती, तब भी ठीक था । यह आपकी खामी है,

[श्री उपाध्यक्ष]

आपको उसके लिये सतर्क होना चाहिये था । जब आपने ऐसा नहीं किया तो सदन के सदस्यों की आपत्ति को किस प्रकार निर्मूल किया जा सकता है। प्रश्न यह है कि कार्यमंत्रणा समिति में कोई बात हुई हो लेकिन नियम की स्थिति मेरी राय के ऊपर भी है। इसलिये नियम की स्थिति ऐसी है कि विधेयक की प्रतियां तीन दिन पूर्व सदस्यों को उपलब्ध हो जानी चाहिये कार्य मंत्रणा समिति में इस पहलू को सोच कर आपको रखना चाहिये था । इसके पूर्व आपको अधिकार था कि यहां खड़े होकर कह देते कि इस नियम को निलम्बित कर दिया जाय ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

विरोधी दल के माननीय सदस्यों को यह आपत्ति परसों ही उठानी चाहिये थी कि विधानतः तीन दिन की नोटिस नहीं है लेकिन यह तो उस प्रस्ताव के विपरीत है जो सदन पहले पारित कर चुका है ।

श्री बसंतलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय तिवारी जी जब विरोधी पक्ष के स्थान पर बैठते थे तब उनकी बुद्धि नियम व प्रक्रिया नियमावली को लेकर बड़ा अच्छा काम करती थी लेकिन जब से वे सरकारी पक्ष में चले गये हैं उनकी बुद्धि कुछ और तरह से ही काम करने लगी है । आपने एक व्यवस्था दे दी, उसके बाद वे बार-बार उसी बात को दोहरा रहे हैं । इस चीज को आप एलाऊ न करें तो ठीक है ।

श्री उपाध्यक्ष—

जैसे आप कहते हैं, वैसे यह भी कह सकते हैं उनको हक है ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

श्रीमन्, आपकी व्यवस्था के बाद माननीय सदस्य बार-बार इस तरह की बात कहते हैं।

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी आपने एक व्यवस्था दी है । इस व्यवस्था का मतलब यह है कि आज कोई विधेयक पास नहीं हो सकेगा । क्योंकि आगे जो विधेयक है वह भी वैसा ही है । उसकी प्रतियां भी १२ तारीख को ही बांटी गयी थीं । चूंकि आगे कोई विधेयक नहीं लिया जा सकता इसलिये आज आप सदन को स्थगित कर दें ताकि हम लोग अपने-अपने घर चले जायं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी और भी कार्यक्रम है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मुझे इस बात का दुख है कि सर्वसम्मति से हर पार्टी के सदस्यों ने मिल कर एक चीज तय कर ली, विधेयक पुरःस्थापित हो चुका, सरकुलेट हो चुका, कार्यसूची में भी आ चुका है और साथ ही जब कार्य मंत्रणा समिति बनी हुई है जिसमें सब पार्टी के माननीय सदस्यों ने मिल कर यह चीज तय कर ली थी कि आज ४ विधेयक पारित कर दिये जायं, फिर इस तरह की आपत्ति उठायी जायेगी तो फिर आगे कसे कार्यवाही चल सकेगी और किस प्रकार से विधेयक पारित होंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

जब आपने कार्य मंत्रणा समिति में कोई फैसला लिया तो नियम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही आपको फैसला लेना चाहिये था । यह तो नियम ठीक है और इसका आपको अधिकार था कि नियम को निलम्बित करने का प्रस्ताव आप रख देते लेकिन नियम के रहते हुए आप इस तरह का कोई फैसला नहीं ले सकते । कोई नियम होता है वह भी तो सदन का ही फैसला है ।

श्री गोविन्द सिंह--

निलम्बन का प्रस्ताव आज नहीं हो सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

लेकिन आगे के लिये तो हो सकता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

अध्यापकों के वेतन का मामला था । जल्दी पास हो जाता तो अच्छा था ।

श्री उपाध्यक्ष--

अध्यापकों के वेतन को नियमित करने के लिए नियमित विधेयक आना चाहिये । अब आगे का आइटम नं० १४ लिया जाय ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

जब कोई एतराज हो तभी तो निलम्बित की बात करूं । एतराज ही न हो तो निलम्बन क्यों किया जाय ।

श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)--

मैं इस पर एतराज करता हूं । ऊपर का आपने स्थगित किया है । उसी आधार पर इसको भी स्थगित किया जाय ।

उत्तर प्रदेश भन्डार अधिग्रहण (जारी रखने का) विधेयक, १९७१†

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं आपसे पहले तो अनुज्ञा चाहूंगा क्योंकि इसमें लिखा है कि अध्यक्ष प्रस्ताव करने की अनुज्ञा न दे दें । इसलिये १२८ के अन्तर्गत अनुज्ञा दे दें तो कृपा होगी ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं अनुज्ञा देता हूं ।

श्री गोविन्द सिंह--

अनुज्ञा देने से पूर्व अपनी व्यवस्था देख लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

अनुज्ञा मैंने विधेयक प्रस्तुत करने की नहीं दी है । अनुज्ञा मैंने दी है नियम के संबंध में ढील का प्रस्ताव लाने की ।

---

†१३ जुलाई, १९७१ की कार्यवाही में छपा है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्,मैं यह प्रस्ताव करता कि खाद्य तथा रसद मंत्री का जो आइटम नं० १४ पर उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (जारी रखने का) विधेयक, १९७१ पर विचार करने के संबंध में प्रस्ताव है उसके लिये नियम १२८ के परन्तुक का निलम्बन किया जाय ।

श्री मोहन लाल कपूर—

निलम्बन का प्रस्ताव तो मंत्री महोदय पहले लाते आपत्ति उठाने के बाद नहीं आ सकता ।

श्री उपाध्यक्ष—

एजेंडा के इस आइटम के लिये तो वह नियम से है ।

प्रश्न यह है कि नियम १२८ के परन्तुक को निलम्बित करने का जो प्रस्ताव है वह पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री यादवेंद्र सिंह)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भण्डार अधिग्रहण (जारी रखने का) विधेयक, १९७१ पर विचार करन की अनुमति चाहता हूं ।

श्रीमन्, इसी तरह का अधिनियम हमारे सामने था जिसकी अवधि ३० जून, १९७० को समाप्त हो रही थी । चूंकि विधान सभा उस समय सेशन में नहीं था इसलिये उसको जारी रखने के लिये एक आर्डिनेंस लाया गया था । अब चूंकि विधान सभा है सेशन में इसलिये यह बिल प्रस्तुत करना हमारे लिये आवश्यक हो गया । गल्ले की खरीदारी और जनता की जरूरियात को देखते हुये हमारे लिये यह आवश्यक हो गया था कि भांडारों के बारे में इस तरह का बिल सदन के सामने लायें जो ऐक्ट का स्वरूप धारण कर सके जिससे हमें भंडार रखने में सुविधा हो । श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सदन से निवेदन करूंगा कि इस बिल को स्वीकार किया जाय ।

श्री बसंतलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (जारी रखने का) विधेयक, १९७१ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुद किया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर दे दें और जिसे विधयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो ।

कहने का मतलब यह है कि इसमें दो राय नहीं है कि यह विधेयक अच्छी मंशा से लाया गया है । चूंकि बहुत सी त्रुटि हैं जिनको दूर करना आवश्यक और जो किसानों के लिये लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं । इस पर काफी चर्चा हो चुका है कि इस वक्त किसानों के अन्न की दुर्दशा हुई है । ऐसी स्थिति में एक सप्ताह का समय ज्यादा नहीं है । और जो सुझाव आयेंगे और जो उसका विस्तार किया जायगा वह किसानों के हित में होगा । ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूं कि सरकार इसको स्वीकार कर ले कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय ।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय यह बिल जो खाद्य मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया उसके सम्बन्ध में मेरी समझ में नहीं आता कि प्रवरसमिति में भेजने के लिये क्यों यह संशोधन प्रस्तुत किया है । जो मौजूदा हालत हैं उनको सामने रखकर ही यह बिल लाया गया है । मौजूदा वक्त में जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गल्ला भीगा है और हर साल के मुकाबले में इस साल किसान की यह ज्यादा मनोवृत्ति है कि चूंकि हाई इल्ड वैराइटी में घुन लग जाया करता है तो इस दफा तो उसमें बिलकुल ही ताकत नहीं रह गई है कि किसान उसको अपने पास रख सके। इस वजह से ज्यादा से ज्यादा वह आज उसको बाजार में ला रहा है। सरकार उसको खरीदने के लिये अपने एजेन्ट भेज रही है। उसको गोदामों में रखा जायगा। अगर सरकार के पास गोदामों में रखने के लिये जगह नहीं होगी तो वह यह कह सकती है कि हमारे पास जगह नहीं। यह किसान के इन्टरेस्ट में है कि सरकार गोदामों को अपने कब्जे में ले। तो यह किसानों के खिलाफ चला जायगा अगर इसको तुरन्त नहीं पास किया जायगा। एसी हालत में इस बिल में किसी तरह की आपत्ति करना मैं समझता हूं वह स्टेट ट्रेडिंग के फेवर में नहीं जायगा। जब तक यह सारा मसला हल न हो जाय तो उस के अन्दर यह रुकावट है। अगर स्टेट ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो यह उसमें रुकावट पैदा होगी। हम गल्ला खरीदना चाहते हैं और खरीदने के लिये सरकार बाजार में गई है लेकिन उसके पास रखने की जगह अगर नहीं है तो कठिनाई पदा होगी। इसलिये इस बिल पर स्वीकृति फौरन देनी चाहिये ताकि गोदामों को जल्द से जल्द हासिल किया जा सके और गल्ले को रखा जा सके। अगर एक दो हफ्ते के लिये इसको प्रवरसमिति में भेज दिया जायगा तो जो गल्ला खरीद लिया गया है उसको कहां रखा जायगा। बड़ी परेशानी पैदा हो जायगी। स्टेट ट्रेडिंग सफल नहीं हो सकेगी। इसलिये बसन्त लाल जी को यह संशोधन अपना वापस लेना चाहिये और बिला किसी लिहाज के सरकार पर जोर देना चाहिये कि जो भी गोदाम उसको जहां पर मिलें वहां उसको हासिल किया जाय और गल्ला ज्यादा से ज्यादा खरीद कर उन गोदामों में रखा जाय ताकि किसान अपना गल्ला दो महीनों के अन्दर सब बेच सकें। इसलिये इसमें किसानों की मदद की जाय और इस संशोधन को वापस लिया जाय।

*श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। माननीय रियासत हुसैन ने अभी एक दलील दी। जिसे विशेष सर्किल कहते हैं वह चल रहा है, अभी आर्डिनेन्स चल रहा है माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि यह सदन २ माह के लिये चल रहा है और इस अवधि में प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट दे सकती है। जहांतक गल्ला रखने की बात है, गल्ला तो किसी के पास बचा ही नही कौन सा गल्ला वह रखने जा रहे हैं। गल्ला रखने के लिये सरकार को गोदाम लेने के लिये कौन रोकता है, आप जहां चाहें किराये पर गोदाम ले सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जो भी कानून आये वह समझ सोच कर तैयार किया जाय। अच्छा यही है कि इस को प्रवरसमिति में भेजा जाय और वहां से बिचार होकर यह वापस आये और २ मास के समय से पहले ही यह काम पूरा हो सकता है। जहां तक गोदामों की आवश्यकता की बात है सरकार जितने गोदाम चाहे किराये पर ले सकती है।

*श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव जो इस विधेयक को थोड़े समय के लिये प्रवर समिति में भेजने का आया है उसका मैं समर्थक हूं। यह बात सही है कि सरकार को यह शक्ति रहनी चाहिये कि वह अच्छे गोदामों का अधिग्रहण कर सके और उनमें गल्ला सुरक्षित रख सके। इस संशोधन में केवल इतनी सी बात ही नहीं है बल्कि इस की परिधि बढ़ाने की भी बात है। हम और सभी विधायक महसूस करते हैं और सरकार भी महसूस करती होगी कि इस साल एक विचित्र स्थिति प्रदेश में पैदा हुई है जिसके कारण से पहले एक अध्यादेश आया और अब उसका स्थान लेने के लिये यह विधेयक लाया गया है। अभी तो काफी समय की अवधि अध्यादेश के अनुसार है और एक दो सप्ताह में विचार के बाद विधेयक फिर सदन में प्रवर समिति से लौट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्विक्षण नहीं किया।

[श्री रामधारी शास्त्री]

कर आ सकता है । यह बात गलत है कि इसको थोड़ा सा भी रोकने से कोई संकट आ जायगा यह सही बात नहीं है, अध्यादेश के अनुसार उतनी अवधि तक तो यह चलेगा लेकिन इसी बीच में इसकी परधि बढ़ाकर प्रवर समिति में इस पर विचार किया जा सकता है । खरीदारी के मामले हमेशा ऐसा रहा है कि सरकार की दर नीची रही है और बाजार ऊंचा रहा है लेकिन इस साल परिस्थिति ऐसी है कि बाजार दर नीची है और सरकार के खरीदारी के मुकर्ररा दाम संयोग से ऊंचे हैं । लेकिन इस साल गेहूं इस काबिल नहीं है कि उसको ज्यादा समय तक रोका जा सके । अभी तक खरीद की एफ० सी० आई० ही एक बड़ी एजेंसी रही है उसके द्वारा बड़ी धांधली चल रही है । यह बात उनकी जानकारी में है और वह स्वीकार भी करते हैं । सरकार की ओर से गेहूं की खरीद के दाम क्वालिटी के हिसाब से ७२ रुपए प्रति क्विन्टल से लेकर ७६ रुपए प्रति क्विटल तक निश्चित हैं लेकिन अगर उनको जानकारी नहीं है तो मैं बता दूं कि जहां भी एफ० सी० आई० की खरीद हो रही है वहां क्वालिटी के नाम पर और दूसरे बहाने लगाकार ६८ रुपया प्रति क्विन्टल से अधिक के दाम किसी को नहीं दिये जा रहे हैं । कहा जाता है कि यह गेहूं इसी श्रणी का है और इस के दाम अधिक नहीं दिये जा सकते, इस तरह से लाखों रुपया किसानों का लूटा जा रहा है । मेरे पास चिट्ठियां भी आई हैं नैनीताल की तराई की कुछ मंडियों में ४० रुपया और ४२ रुपया प्रति क्विन्टल भी कोई गेहूं का खरीदार नहीं है । यह बात सही है कि इस तरह की कोई घोषणा न एफ० सी० आई० ने, न इस सरकार ने और न भारत सरकार ने की है कि खरीद बन्द कर दी गई लेकिन बरेली से उत्तर की तरफ बड़ा हल्ला है कि सरकारी खरीदारी बन्द कर दी गई और इसी लिए उधर गल्ले के दाम एक दम नीचे चले गये । इसलिये इस विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए मंत्री जी इस विधेयक की परिधि बढ़ाकर प्रवर समिति में भेज दें और जो व्यापारी खरीदारी में गडबड़ करते है उसको रोकने के लिए, इसमें उपाय करे । इस संशोधन की मंशा यह है कि इसकी सीमा बढ़ाई जाय और सरकार को जो अब तक अधिकार हैं उनसे अधिकार और अधिक दिये जांय और अधिक बड़ी सीमायें उनकी मुकर्रर की जांय । इसके लिए कोई रुकावट नहीं है । इस समाजवाद सरकार के बजट भाषण की तरह सिद्धान्तों, कल्पनाओं और कविता में नहीं आता । यह तभी हो सकता है जबकि उससे किसानों का लाभ हो इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दिया जाय जो एक सप्ताह की अवधि के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे दे । यह समय इतना थोड़ा है कि इससे सरकार के कार्य में कोई बाधा नहीं पड़ने वाली है ।

श्री राज बहादुर चन्द (जिला बस्ती)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हाल में जो असमायकि वर्षा हुयी और उससे जो किसानों का गल्ला सड़ा और इस जल्दी में उन्होंने जो सराहनीय कार्य किया, उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते हैं राज्य के खाद्य मंत्री जी हर केन्द्र में गये और उन्होंने स्वयं सब कुछ देखा । हर गल्ले के गोदामों पर बहुत से किसानों की भीड देखी । किसान का गल्ला सड़ रहा है वे उसे तुरन्त बेचना चाहते हैं । ऐसी स्थिति में इस विधेयक को रोकना उनके हित में न होगा और इसे जितनी जल्दी पास किया जाय उतना ही ठीक होगा । जो किसान है वह खेती करता है, गल्ला खरीदता है और बेचता है, उसको पता है । हम लोग भी किसान हैं, हम जानते हैं कि खेती किस ढंग से होती है । किसानों को जो राहत मिली , ऐसे समय में, वह सराहनीय है । ऐसी स्थिति में इसे पास करने में जरा भी देरी नहीं करना चाहिये । अगर देरी होगी तो किसानों को अपना गेहूं ३०-४० रुपए प्रति क्विन्टल के हिसाब से बेचना पड़ेगा । इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय सदस्य इस शुभ कार्य में रोड़ा न अटकायें और इसे शीघ्र पास होने दें और अपना संशोधन का प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री सतीश चन्द्र (जिला एटा)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार इस विधेयक को प्रवर समिति में बिना विचार कराये क्यों जल्दी में पास कराना चाहती है । मैं समझता हूं कि यह सदन

और प्रवर समिति के सदस्य इसलिए ह कि वे किसी विषय पर जितना ज्यादा विचार हो सके, उसे करें। हमारे शास्त्री जी ने कहा कि गल्ले की खरीद के कारण इतनी समस्या पैदा हो गयी है कि बीच व्यापारी वर्ग है। वह कमर कस कर खड़ा हो गया है। हमारे इलाके में मैनपुरी, फर्रुखाबाद और एटा में सीधे किसानों से गल्ला नहीं खरीदा जाता है इसलिए भी वहां के किसानों को पूरी कीमत नहीं मिलती है और बहुत सी अनियमितताएं पैदा हो जाती हैं। जो भीगा हुआ गल्ला है वह नहीं लिया जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति में अवश्य भेजा जाय जो एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट पेश कर दे, इस अवधि में कोई सरकार का नुक्सान भी नहीं होगा।

जहां तक भांडारों का सम्बन्ध है, उनको किराये पर लेने के लिए सरकार को कोई रोकता नहीं है। इसलिए मैं पुनः यह कह कर कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय, अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गिरिजा शंकर तिवारी (जिला बाराबंकी)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के पक्ष में खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी को जो जल्दी कर रहे हैं इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि इसे गल्ले की खरीदारी में जो गोलमाल और गड़बड़घोटाला हुआ है उसको वे जल्दी में साफ कर देना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ गेहूं की किस्में गीली पड़ी हैं, कुछ भीगी हैं कुछ सूखी हैं। उनको रखने के लिये कहां-कहां और कैसे-कैसे रखा जाय। किन-किन लोगों का गोदाम सरकार अपने कब्जे में ले इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि खरीदारी जितनी आवश्यक है उतना ही यह भी आवश्यक है कि वह ठीक से रखा जाय। अगर इन भवनों को अपने कब्जे में करने से पहले ठीक से सरकार विचार नहीं करती है तो मैं समझता हूं कि जितना गल्ला खरीदा गया है, अगर इस पर हमने ध्यान नहीं दिया तो हम नुक्सान उठा सकते हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि प्रवर समिति को सौंप कर इस पर पुनः विचार किया जाय

श्री लक्ष्मण स्वरूप (जिला मेरठ)--

कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

कोरम है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से संविधान की धारा २१३ का उपखंड २ पढ़ना चाहता हूं।

"An ordinance promulgated under this article shall have the same force and effect as an Act of the Legislature of the State assented to by the Governor."

मान्यवर, जब कोई अध्यादेश होता है तो उसका वही फोर्स होता है जो लेजिस्लचर के कानून का। इसमें आप का कहना कि प्रवर समिति को भेज देने से रोक हो जायेगी मेरे विचार में इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी एक हफ्ते के अन्दर रिपोर्ट मंगा लेने में क्योंकि कानून पहले से ही है। यह असेम्बली में आने से ६ हफ्ते तक यह इस संविधान की धारा के अनुसार चलेगा। माननीय मंत्री जी हमारी राय से सहमत होंगे और इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे। जल्दबाजी करने में जहां गल्ला सड़ गया, बनियों ने लूट लिया, ठगी हो गई, करोड़ों किसान प्रभावित हैं इसलिये विधेयक के बनाने में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिये। लेजिस्लेचर की यह भी ड्यूटी है कि जब वह विधेयक बनाये तो यह देखें कि कानून सभी रूपों में सही है क्योंकि कानून तो हमेशा के लिये होता है, टैम्पोरेरी कानून बना नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को स्वीकार कर प्रवर समिति को भेज दें।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)--

श्री उपाध्यक्ष जी, जितनी हमारे मित्रों की बातें आई हैं सदन में इससे तो मेरी बहुत बड़ी सहानुभूति है। गल्ले की वसूलयाबी के सम्बन्ध में जो गलतियां हुईं या जो खराबियां हुईं उनके सम्बन्ध में तो मैं अपने मित्र के साथ हूं और ख्याल करता हूं कि मेरे मित्रों की बात सही है। मैं ही नहीं बल्कि सरकार ने भी इस चीज को स्वीकार किया और इसीलिए उसके बारे में जैसा कि मेरे माननीय मित्रों को स्वयं ज्ञात है उन्होंने भी एक इन्क्वायरी कमेटी आदि की स्थापना की है। लेकिन मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि मेरे मित्रों को कई मित्र तो खासतौर से यादव जी और शास्त्री जी और इधर भी कई मित्र बैठे हैं और सरकार में रहे हैं, ज्ञात है कि इन गोदामों के सिलसिले में कितनी अधिक कठिनाई सरकार के सामने रहती है और गोदाम न होने की वजह से यह जो गल्ले की वसूलयाबी होती है इसमें भी कितनी कठिनाइयां निरन्तर होती रहीं। केवल एक चीज मैं माननीय मित्रों से कहना चाहता हूं मेरे मित्र कृपाकर यह बता दें कि आखिर कौन सी चीज है जिसके लिए वह इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजना चाहते हैं। अगर वाकई कोई चीज है तो इसे प्रवर समिति में भेज दीजिए। लेकिन एक-दो चीज कृपाकर मेरे मित्र बता तो दें।

हमारे मित्र यादव जी ने संविधान का अनुच्छेद २१३ पढ़ा। ठीक उसी के नीचे २१३ (२) का "ए" है जिसमें लिखा है--

"shall be laid before the Legislative Assembly of the State, or where there is a Legislative Council in the State, before both the Houses, and shall cease to operate at the expiration of six weeks from the re-assembly of the legislature....."

तो इसे यहां आज न रखा जाय और छः सप्ताह के अन्दर अधिनियम में न परिवर्तित किया जाय तो वह बेकार हो जाएगा।

(व्यवधान)

मेरा तो केवल एक निवेदन है कि कृपाकर कुछ बातें बता दें जिसके लिए प्रवर समिति में ले जाना चाहते हैं। यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मेरे मित्र अभी सुझाव दे दें, कदाचित इसे अभी सरकार स्वीकार कर ले। मैंने भी इस विषय पर विचार करने की कोशिश की। मैं आपको बताऊं सचमुच गोदामों की कमी से बहुत बड़ा नुक्सान इस प्रदेश का होता रहा है। आज जो केन्द्र से गल्ले की खरीदारी होती है इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य यह है कि इसलिए भी खरीदारी होती है कि राज्य के पास इतने गोदाम नहीं हैं जितने कि होने चाहिए। मेरा निवेदन है कि इसको स्वीकार कर ले।

खाद्य तथा रसद मन्त्री (श्री बेनीसिंह)--

उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन कल्पनाथ सिंह जी ने पेश किया है अगर वह उपस्थित होते तो मुझे यकीन है कि वह वापस ले लेते। मैंने उनसे बात भी की कि क्यों संशोधन रख दिया तो उन्होंने कहा कि बस रख दिया। अब यह पेश हो गया तो इसे मंजूर तो मैं नहीं कर पाऊंगा। वसूलन सब चाहते हैं कि यह अधिकार सरकार को मिलना चाहिए। हम केवल यही तो चाहते हैं कि जून, १९७१ में यह खत्म हो गया है, इसे १९७६ तक बढ़ा दिया जाय। अगर आपको सुझाव देना है तो आप दे दें। प्रवर समिति में बहुत देर लग जाएगी। अब तक जितने भाषण हुए वह खाद्यान्न की खरीद में क्या कमियां रहीं इसके बारे में हुए हैं। यह सब चीजें तो आगे आयेंगी। जो सुझाव आप देंगे उन पर अमल होगा। लेकिन यह तो बिल्कुल साधारण सी चीज है। हमने एक ऐक्ट बना रखा है, उसको बराबर बढ़ाते आए हैं और चाहते हैं कि वह ७६ तक हो लागू जाये। हम कोशिश यह भी कर रहे हैं कि हम गोदाम बनावें, एफ० सी० आई० भी गोदाम बनाएं हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पी० सी० एफ०, वेयर हाउजिंग आदि भी गोदाम बनवायें। हमको इसकी आवश्यकता है। अगर हमको जरूरत पड़ जाय और किसी का गोदाम है और वह हमसे बड़ा लम्बा चौड़ा किराया मांगता है तो हमको यह

अधिकार हो कि हम उसको कानूनी तौर से ले सकें और वह हमको मिल जाय। यह चीज लागू है। हम तो सिर्फ ७१ के बजाय ७६ करवाना चाहते हैं। यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप इसको प्रवर समिति के सम्मुख भेजें। आप पुराने ऐक्ट को देख लें। उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। उस में भी पावर आफ रिक्वीजीशन है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें किसी का कोई विरोधाभास हो। अगर आप के कोई सुझाव हैं तो आप उसको दीजिय। अगर कोई चीज होती है तो हम उसमें फिर से एमेन्डमेंट करेंगे और आप के सामने ला देंगे। मैं तो आप से यही दरख्वास्त करूंगा कि मेहरबानी करके इसको वापस ले लें ताकि काय आगे चले।

श्री बसन्तलाल शर्मा—

मैंने मन्त्री जी का भाषण सुना और साथियों के भी बिचार इस पर जाने। मुझे केवल दो बातें कहनी हैं। हमारे मित्र आचार्य जी तो कानून के पंडित हैं परन्तु उनको इस अवसर पर कुछ बोलना था इस लिये बोले। श्री रियायत हुसेन को सुनकर आश्चय हुआ। उन्होंने भी सरकार की तरफ से दलील दे दी कि इसको वापस ले ल। मैं कहना चाहता हूं कि वापस ले लें कहन का अधिकार सरकार को है उनको नहीं है और न होना चाहिये। मालूम होता है कि उनकी टोपी के साथ ही साथ उनके चेहरे का रंग भी बदल गया है। हमारे आचार्य जी तो कानून के पंडित हैं और बोलने के लिये ही उन्होंने बोला है क्योंकि अब वह उधर चले गये हैं। उन्होंने कहा कि सुझाव दे दें और इसमें कोई चीज नहीं।

आज के पहले जो गल्ला खरीदा जाता था उस गल्ले को सड़ने का कम डर था परन्तु अब जो गल्ला है उसको आप चाहे दवाओं के प्रयोग से बचाना चाहें पर वह भीग जाने के कारण उसमें घुन लगने और सड़ने का बहुत अधिक डर हो गया है। इस साल प्रदेश की स्थिति यह रही है। गल्ला बहुत अधिक भीग गया उसमें से बदबू आ रही है। हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी के रहने वाले हमारे मंत्री जी स्वयं हैं। व्यापारी क्या क्या करते हैं और सरकारी मशीनरी क्या क्या करती है। यह किसी से छिपा नहीं है। हमारे जो अधिकारी हैं वे अपने लाभ के लिए अच्छे मकानों को छोड़ कर नमी और सीलनवाले घरों को ले लेते हैं जिससे हमारे गल्ले और धन दोनों का नुक्सान होता है। इन लोगों के खिलाफ भी कोई ऐसा ऐक्शन लिया जा सकता था। सरकार को चाहिये कि इन मशीनरीज को ठीक करें ओर उनके खिलाफ सख्त ऐक्शन लिया जा सके यह करना चाहिय। लेकिन वह इसको कर नहीं पाते ह। इस लिये इसको प्रवर समिति के पास भेजा जाना चाहिये, जहां पर इस पर विचार हो जाय। तो कहीं अच्छा होता। जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि सरकार अधिनियम में संशोधन ला सकती है। मुझको उनके कहने पर पूरा विश्वास है और उनकी बात को मैं मानता हूं और इसको वापस लेने के लिये तयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (जारी रखने का) विधेयक, १९७१ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर दे दे और जिसे विधयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भान्डार अधिग्रहण (जारी रखने का) विधेयक, १९७१ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २, ३, १ प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (जारी रखने का) विधेयक, १९७१

उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण अधिनियम, १९५५ को पांच वर्ष की अग्रेतर अवधि के दौरान जारी रखने की व्यवस्था करने के लिये।

विधेयक

भारतीय गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण (जारी रखने का) अधिनियम, १९७१ कहलायेगा।

(२) यह ३० जून, १९७० से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २१, १९५५ की धारा १ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण अधिनियम, १९५५ की धारा १ की उप-धारा (४) में अंक तथा शब्द "३० जून, १९७१" के स्थान पर अंक तथा शब्द "३० जून, १९७६" रख दिये जायं।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १२, १९७१ का निरसन

३—उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण (जारी रखने का) अध्यादेश, १९७१ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, खंड ३, खंड १ प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री यादवेन्द्र सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (जारी रखने का) विधेयक, १९७१ पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (जारी रखने का) विधेयक, १९७१ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम चार बजे तक के लिये उठते हैं और तब आप के अन्य कार्यक्रम लिये जायेंगे।

(इस समय ३ बजकर ५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और ४ बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कायवाही पुनः आरम्भ हुई।)

नियम ५१ तथा ५६ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम ५६ में कामरोको प्रस्ताव के दो आये हैं। एक श्री डूंगर सिंह विष्ट का है जिसमें यह है कि ११ जुलाई, १९७१ को राजकीय परिवहन विभाग, कुमायूं की एक यात्री बस का हलद्वानी से पद्मपुरी जाते समय भीमताल झील में तथा २८ जून, १९७१ को नैनीताल जिले में हलद्वानी से पहाड़पानी जाते समय समरफोर्ड के निकट खड्ड में गिरने के फलस्वरूप क्रमशः २० व तीन यात्रियों की मृत्यु से उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति। यह तो अकस्मात घटना हो गई। इसमें गवर्नमन्ट से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसको मैंने नियम ५१ में स्वीकार कर लिया है। आपने १६ तारीख को उत्तर चाहा था अब आप १९ तारीख चाहते हैं। मैंने १९ तारीख के लिए कर दिया है।

नियम ५१ में मैंने, जो श्री सुखपाल पान्डेय और श्री रामरकन सिंह जी का है, स्वीकार किया है। यह हरिद्वार आयुर्वेदिक कालेज के छात्रों द्वारा बोर्ड की परीक्षा का बहिष्कार करने के बारे में है। उनका यह आक्षेप कि एक आर्डिनेन्स निकाला गया कि उन्हें किसी यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध कर दिया जाय तो सम्बद्ध करने का आर्डिनेन्स निकल गया है।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

एक कार्य-स्थगन का प्रस्ताव जो हरिजनों से सम्बन्धित था नियम ५६ के अन्तर्गत हमारी पार्टी के आदमियों के हस्ताक्षर से दिया है। उसको आपने पढ़ा नहीं।

श्री अध्यक्ष—

वह अविलम्ब महत्व का नहीं है। उनका आज का सवाल नहीं है। इसलिए इसको नहीं लिया गया।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

अगर आप उसको कामरोको में नहीं ले सकते तो उसके लोकमहत्व को देखते हुए नियम ५२ में कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ में नहीं, ५१ में कर सकता हूं।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, यह लोक महत्व का भी है और अविलम्ब महत्व का भी है। इसको आप नियम ५२ में ही रख दें।

श्री अध्यक्ष—

आप नियम ५२ के अन्तर्गत दे दीजिये।

श्री मोहनलाल कपूर—

आप इसी को ५२ के अन्तर्गत रख दें।

श्री अध्यक्ष—

उसका आप नोटिस दें।

हरिद्वार का तो स्वीकार कर लिया है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

स्वायत्त शासन के कर्मचारियों का भी स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष--

एक स्वायत्त शासन कर्मचारियों के बारे में सर्वश्री प्यारेलाल, अनीसुर्रहमान, सुरेन्द्र विक्रम, मोहन लाल कपूर आदि कई माननीय सदस्यों की तरफ से आया है जिसको मैंने नियम ५१ में स्वीकार किया है । (व्यवधान) इस पर कल वक्तव्य होगा । वैसे वे आज भी तैयारी कर रहे थे, मगर वह तैयार नहीं हो पाये ।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री प्रेम चन्द्र शर्मा)--

आयुर्वेदिक कालेज के संबंध में जो था उसका क्या हुआ उस पर आपने क्या निर्णय किया.....

(व्यवधान)

श्री मोहन लाल कपूर--

परीक्षाओं के संबंध में मैंने एक दिया था.....

श्री अध्यक्ष--

वह अविलम्बनीय नहीं था ।

एक सर्वश्री हरिनाथ तिवारी, कृष्ण स्वरूप वैश्य व अन्य माननीय सदस्यों का है कि नैनीताल जिले की रुद्रपुर नगर महापालिका के नव निर्वाचित जनसंघी अध्यक्ष, श्री सुभाष चतुर्वेदी पर गुन्डों द्वारा प्राणघातक आक्रमण किया गया है । इसको भी मैंने वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)--

वहां पर एक बाबा आमरण अनशन कर रहे हैं । केवल वक्तव्य से काम नहीं चलेगा । आप आदेश दें कि यह सरकार पुलिस कप्तान और जिलाधीश को आदेश दे कि हत्यारा पकड़ा जाय .....

श्री अध्यक्ष--

और आप से भी यह कहूं कि आप उसे पकड़वाने में मदद करें ।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य--

वहां डी० वाइ-एस० पी० खुले आम हत्यारे को शय दे रहे हैं, पुलिस हत्यारे को पकड़ नहीं रही है .....

(व्यवधान)

एक सदस्य--

एफ० आइ० आर० में नाम तक बताये गये हैं । सरकार को कोई उचित कदम उठाना चाहिये इस संबंध में ।

श्री अध्यक्ष--

मैं सरकार को इस संबंध में कोई आज्ञा नहीं दे सकता ।

अब एक और श्री शिव महेन्द्र सिंह का है—पाकिस्तानी नागरिक, श्री अमीरुद्दीन उर्फ बादशाह, पुत्र श्री हाजी करीमुद्दीन अस्थायी निवासी, चांदपुर जिला बिजनौर का भारत में अवैध रूप से रखा जाना—इस संबंध में है। इसके ऊपर मुकदमा भी चला है, मगर वह हार गये, हाई कोर्ट में भी मुकदमा गया, वहां भी वह हार गये इस पर यह आक्षेप है कि पाकिस्तानी होते हुए यहां रह रहा है। ऐसी अवस्था में जिस वक्त कि उसको परमिशन न होते हुए, हाई कोर्ट में जाने के बाद भी जबरदस्ती रह रहा है। यह भी सूचना मिली है कि वह पाकिस्तानी म्युनिसिपैलिटी का मेम्बर भी हो गया है।

कुंवर शिव महेन्द्र सिंह (जिला बिजनौर)—

हाई कोर्ट के जजमेंन्ट की कापी लगायी है। तीन दफा गवर्नमेन्ट आफ इंडिया द्वारा पाकिस्तान भेजा गया, फिर लौट कर किसी बहाने से आ जाता है। उसकी मीयाद खत्म हो गयी। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा कर रहा है। सारा वातावरण बड़ा दूषित है।

श्री अध्यक्ष—

ध्यान आकृष्ट कर दिया आपने। वक्तव्य हो जायेगा। सरकार उसको निकाल देगी।

इसके बाद एक स्वीकार किया है वक्तव्य के लिये श्री गोविन्द सिंह नेगीका। जिला बाराबंकी में बुढ़वल चीनी मिल पर १९६८ से किसानों के बकाये के फलस्वरूप मिल के गेट पर क्रमिक भूख हड़ताल हो रही है। ५४ लाख रुपया बाकी था। अब उसको फायदा हुआ है तो १४ लाख उसमें से रोक लिया है। इसको भी वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लिया है।

श्री विजय बहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)—

अध्यक्ष महोदय, एक नियम ५१ में ध्यान आकर्षण के लिये दिया गया है, मिर्जापुर में २४ जून को नाव दुर्घटना में.....

श्री अध्यक्ष—

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न कर लें।

श्री विजय बहादुर सिंह—

उससे काम हल नहीं होगा। २४ जून को ५० आदमी नाव दुर्घटना में खत्म हो गये। वहां पर स्टीमर चलते थे वह भी नहीं चल रहे हैं। पीपे का पुल टूट गया। अभियन्ता निर्माण विभाग ने कोई भी कार्यवाही नही की। जहां पर बीस पचीस हजार आदमी प्रतिदिन आते जाते हैं, वहां नाव दुर्घटना हो, स्टीमर न हो।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

वहां पर स्टीमर का प्रबन्ध नहीं है एक नाव डूब गयी। आज तक स्टीमर नहीं चलता। वहां आना-जाना बन्द है। मुझे लगता है कि सरकार को इसका पता ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

उसमें नहीं लिखा था कि कोई रुकावट है। इसको वक्तव्य के लिये कर देता हूं।

सीतापुर में पी०ए०सी० के सूबेदार की पुत्री, मंजूलता के अपहरण के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--

अब सीतापुर जिले में पी० ए० सी० के सूबेदार की लड़की, कुमारी मंजूलता के अपहरण के सम्बन्ध में श्री रामलाल राही तथा श्री कृष्ण कान्त अवस्थी द्वारा नियम ५१ के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर गृह मंत्री का वक्तव्य होगा।

गृह उप मंत्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)--

पी० ए० सी० के एक सूबेदार ने दिनांक ९-२-१९७१ को कोतवाली सीतापुर में एक रिपोर्ट इस आशय की लिखाई कि उनकी १६ वर्षीय पुत्री, कुमारी मंजुलता दिनांक ४-२-७१ को प्रातः ३ बजे रुष्ट होकर नादानी में कही चली गई। इस पर जो जांच की गई उससे यह विदित हुआ कि मंजुलता वास्तव में २/३ फरवरी, १९७१ की रात में ही घर छोड़ कर चली गई और उस समय उसकी माता ने पुलिस तथा पी० ए० सी० के अधिकारियों को कोई सूचना नहीं दी। दिनांक ४-२-७१ को सीतापुर वापस आने पर मंजुलता के पिता स्वयं ही चुपचाप उसकी तलाश करते रहे।

दिनांक २१-५-७१ को कोतवाली सीतापुर में उक्त सूबेदार ने दो अल्पसंख्यक व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट लिखाई जिसमें उन व्यक्तियों द्वारा वादी की पुत्री को भगाने तथा छिपा रखने का उल्लेख किया गया। इस सूचना पर मुकदमा ३६३/३६८ भा० दं० वि० के अन्तर्गत दर्ज कर के विवेचना प्रारम्भ की गई। नामजद व्यक्तियों तथा अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के घरों की तलाशी ली गई परन्तु मंजुलता का कुछ पता नहीं चल पाया। सुरागरसी व विवेचना से नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण उनकी गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं समझी गई। पुलिस के भरसक प्रयत्नों के बावजूद अभी तक वास्तविक अभियुक्तों का अथवा मंजुलता का कोई पता नहीं चल सका है। विवेचना जारी है।

इस घटना के संबंध में छपे पर्चे बटवाये गये तथा कुछ समाचार-पत्रों में भी समाचार प्रकाशित हुआ। इस घटना को लेकर साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न होने की कोई सूचना शासन को जिला प्रशासन से नहीं मिली है।

श्री राम लाल राही (जिला सीतापुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उन्होंने जो वक्तव्य यहां पर दिया है कि जिन दो अल्पसंख्यक व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट लिखाई वे वहां की प्लाइउड फैक्टरी के चीफ इन्जीनियर के सुपुत्र हैं। क्या माननीय गृह मंत्री जी को इसकी जानकारी है?

श्री राम कृष्ण द्विवेदी--

फैक्टरी में जो चीफ इंजीनियर हैं उनका कुमारी मंजुलता की माता से सम्बन्ध बताया जाता है। तथा कथित व्यक्तियों का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है। उनके कहने पर वहां पर तलाशी ली गई और तलाशी के बाद कोई ऐसी वस्तु नहीं पायी गई जिससे कि इस लड़की का पता चल सके।

श्री राम लाल राही--

मान्यवर, मैंने तो यह पूछा था कि प्लाइउड फैक्टरी के जो चीफ इंजीनियर हैं उनके दो लड़के हैं अनवर और अहमद, उनके सम्बन्ध में माननीय गृह मन्त्री जी को जानकारी है?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

मान्यवर, जो २१–५–७१ को रिपोर्ट लिखाई गई है, क्या उसको माननीय मंत्री जी सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

मान्यवर, इसकी जानकारी मुझे है और वह मेरे पास है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसको सदन के समक्ष पढ़ दूं।

एक सदस्य—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने अपने वक्तव्य में यह कहा है कि इस घटना के सम्बन्ध में कुछ परचे भी बंटवाये गये तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसे किसी परचे को सदन में पढ़ कर सुनायेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री राम लाल राही—

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। मेरे प्रश्न का अभी तक उत्तर नहीं आया है। पहले मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाना चाहिये बाद में दूसरे प्रश्न का उत्तर मंत्री महोदय बाद में दें....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

एक एफ० आई० आर० की रिपोर्ट मेरे पास भी है। यदि माननीय गृह मंत्री जी के पास वह रिपोर्ट न हो तो मैं पढ़ कर सदन को सुना दूं।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

माननीय सदस्य से कहा जाय कि वे अपने प्रश्न को फिर से दुहरा लें।

श्री कृष्णानन्द राय—

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से ही कहा जाय कि वे पढ़कर रिपोर्ट सुना दें।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

इस समय श्री शिवनाथ सिंह, पी० सी० जे० के० ११ बटा० पी० ए० सी०, सीतापुर उपस्थित थाना आकर एक किता तहरीर हिन्दी की दाखिल किया जिसकी नकल की जाती है। श्रीमान् थानाध्यक्ष महोदय, कोतवाली सीतापुर, सेवा में सविनय निवेदन है कि मेरी पुत्री कुमारी मंजुलता सिंह चौहान, उम्र करीबन १६ वर्ष, दिनांक ४–२–७१ सुबह अनुमानतः ०३.०० को घर से सुबह रुष्ट होकर नादानी में कहीं चली गई है, खो जाने पर अभी तक पता नहीं चला है साथ में सफेद ब्लाउज, साड़ी टैरीकाट रंग हल्का बादामी, रंगीन स्कर्ट कुर्ता गुलाबी साथ में लिये है जिसमें सफेद दो हरी चैन लगी हैं व दूसरा कुर्ता रंगीन छपा हुआ है।

हुलिया सांवला रंग छोटा कद करीबन ४ फुट ९ इंच है, दोहरा बदन, गोल चेहरा भरा हुआ। बड़ी आंखें, नाक दोनों तरफ छिदी है, दाहिनी हाथ की तर्जनी अंगुली में गांठ जख्म है और ऊपर हाथ में सूजन आ गयी है। उम्र १६ वर्ष है। सफेद पाजामा चूड़ीदार, कोट ऊनी, सफेद हाफ कुर्ता एक उपरोक्त में से पहने हैं सफेद दुपट्टा जाली का है। जिसमें किनारों पर सफेद चेन है। चप्पल बाटा के सफेद चमड़े के पहने हैं। हाथ में केमी घड़ी गोल, सुनहरा

[श्री रामकृष्ण द्विवेदी]

काला पट्टा है। बायें हाथ में पीतल की अंगूठी है व गले में सोने की जंजीर डाईकट वजन एक तोला की है। शिक्षा १२ वें तक प्राप्त की है। जाने वाली गाड़ी से अनुमान है कि नैनीताल से लखनऊ की ओर गयी है। रिपोर्ट अंकित की जाय और तलाश कराई जाय। प्रार्थी शिवनाथ सिंह, पी०सी०जे०के० ११ बटा० पी० ए० सी०, सीतापुर, दिनांक ९-२-७१ जाब्ता कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। तलाश होगी अरिंदा वापस किया गया। हिदायत मुनासिब की गयी तहरीर हमरिस्ता जी० डी० हैं। लेखक यच० सी० शेषमणि त्रिपाठी।

श्री रामलाल राही--

यह रिपोर्ट तो ९ फरवरी की है। एक रिपोर्ट जो २१ मई को दी गयी है उसको कृपा करके और पढ़वा दिया जाय।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

२१-५-७१ की रिपोर्ट इस प्रकार है--"सेवा में श्रीमान् इन्सपेक्टर साहब, इंचार्ज कोतवाली, सीतापुर। महोदय, मैंने एक रिपोर्ट तारीख ९-२-७१ को कोतवाली में अपनी नाबालिग लड़की मंजुलता, उम्र १६ वर्ष के बारे में दर्ज कराई है, मैं तब से पता लगाता रहा। अब मुझे यह मालूम हुआ कि एक लड़की प्लाईवुड फैक्ट्री की कालोनी में भगा कर रखी गयी थी तो मैं वहां गया तो मुझे मालूम हुआ कि मेरी लड़की को असगर व अनवर, असिस्टेंट इंजीनियर प्लाईवुड फैक्ट्री के यहां छिपाकर ८-१० रोज रखी गयी। मैंने असगर से पूछा तो उन्होंने बताया कि आप क्यों परेशान हो? लड़की को जब आना होगा तब आ जावेगी। मैंने असगर से फिर कहा कि लड़की इस समय कहां है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इससे क्या करना? असगर ने मुझसे यह भी कहा कि चुप होकर बैठो वरना लड़की कभी नहीं मिलेगी। मैंने असगर से कहा कि तुम्हारी बीबी नुसरत मेरी लड़की के साथ पढ़ती थी। उस मेल मुलाकात के कारण तुमने मेरी इज्जत पर हमला कर दिया। इस पर असगर ने मुझे धमकी दी कि यहां से ट्रांसफर करा कर चले जाओ वरना नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। मैं असगर के घर से चला आया। मैंने इसकी शिकायत प्लाईवुड फैक्ट्री के अधिकारी व कई लोगों से की जिसका कोई परिणाम नहीं निकला। अब श्रीमान जी को इत्तला कर रहा हूं कि मेरी नाबालिग लड़की मंजुलता को असगर व अनवर जो असगर का सगा भाई है, दोनों ने भगाया है और उसे कहीं छिपा कर रखे हुए हैं। मेरी लड़की की इज्जत व जिन्दगी खतरे में है। मेरी रिपोर्ट लिखकर उचित कार्यवाही की जाय। प्रार्थी शिवनाथ सिंह, पी०एस०जे० कंपनी, ११ बटा० सीतापुर, दिनांक २१-५-७१। नोट तस्दीकी एच० एम० शेषमणि त्रिपाठी, २१-५-७१।

श्री रामलाल राही--

मैं माननीय गृह मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि एक तो रिपोर्ट हुई ९ फरवरी, ७१ को और दूसरी रिपोर्ट हुई २१-५-७१ को, तो पुलिस ने ९ फरवरी की रिपोर्ट की तो जांच की लेकिन २१ मई, ७१ को जो रिपोर्ट लिखाई गयी उसकी जांच की गयी या नहीं? इसी के साथ तीसरा सवाल यह है कि तलाशी लेते समय नामजद व्यक्तियों को भी बुलाया गया था, और उस समय वहां पर कौन-कौन गवाह मौके पर मौजूद थे? तलाशी लेते वक्त मुद्दई को बुलाया गया था या नहीं?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

दोनों रिपोर्ट के सम्बन्ध में तलाशी हुई। पुलिस सतर्कता के साथ जांच कर रही है। अब वहां पर तलाशी के वक्त कौन-कौन था, इतनी डिटेल रिपोर्ट तो हमारे पास आती नहीं। परन्तु कोई साक्ष्य नहीं मिला, कोई गवाही नहीं मिली जिससे कि किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही की जाती।

श्री रामलाल राही—

तलाशी लेने के समय पुलिस गवाहों को बुला कर पहले अपनी तलाशी देती है फिर तलाशी करती है, तो मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस ने अपने इस कर्त्तव्य का पालन किया या नहीं ? यदि नहीं किया, तो ऐसे पुलिस कर्मचारियों को सरकार दंड देगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

यह मैं नहीं कह सकता कि किसी को साथ लिया या नहीं, इतनी डिटेल रिपोर्ट हमारे पास नहीं आती। कौन गवाह थे, कौन थे, कौन नहीं थे, यह मुझे नहीं मालूम लेकिन इतना मैं विश्वास दिलाता हूं कि पुलिस ने बिलकुल सही तौर पर जांच की है। जब कोई साक्ष्य नहीं मिला तो कैसे नामजद व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जाती या उनको गिरफ्तार किया जाता ?

श्री रामलाल राही—

किस तारीख में जांच की गयी ? किस तारीख में पुलिस ने मुल्जिमों के घर की तलाशी ली, यह आप बतला देंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री कृष्णानन्द राय—

अध्यक्ष महोदय, यह देखते हुये कि यह एक बड़ा गम्भीर मामला है, जिसमें एक पुलिस सूबेदार जो कि सरकारी ड्यूटी पर बनारस गया हुआ था और उसकी गैर मौजूदगी में उसकी लड़की को भगाने में कुछ बड़े आदमी इंजीनियर वगैरह का हाथ था। लोकल पुलिस उस लड़की को बरामद करने में असफल हुई और किसी मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे इस मामले को सी० आई० डी० या इंटेलिजेंस के हाथ में दे देंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

पुलिस इसकी जांच कर रही है। अगर माननीय सदस्य की यह राय है कि सी० आई० डी० को इस मामले को दे दिया जाय तो हम सी० आई० डी० को दे देंगे।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, रिपोर्ट में बतलाया गया है कि लड़की नाबालिग है, अगर बालिग होती तो रजामन्दी की बात देखी जाती, साथ ही जब कि यह नामजद रिपोर्ट है और लड़की नाबालिग है तो फिर इसमें तलाशी लेने की क्या जरूरत है ? इसमें तो पुलिस को उनको बन्द कर देना चाहिये था और उसके बाद सारी कार्यवाही करनी चाहिये थी ?

श्री अध्यक्ष—

यहां पर कानूनी बहस नहीं कर रहे हैं। क्या कार्यवाही करनी चाहिये थी इस पर आप अलग से सवाल पूछ लें।

श्री राममूर्ति अंचल (जिला शाहजहांपुर)—

गृह मंत्री जी ने अभी कहा कि रिपोर्ट में लड़की के पिता ने यह लिखाया कि मेरी लड़की की मित्र उनकी पत्नी, श्रीमती नुसरत बेगम थी। तो क्या नुसरत बेगम से इस बात की जानकारी हासिल की गई कि वह लड़की तुम्हारी मित्र थी या नहीं ? यह प्रश्न बड़ा मौलिक है चूंकि स्त्री की मित्रता के द्वारा वह वहां ले जायी गयी। इसलिये उस स्त्री से उस लड़की के संबंध में जानकारी की गई या नहीं ?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

जो भी आरोप लगाये गये उन सब की पुलिस ने अच्छी तरह से छानबीन की है और जितने संबंधित व्यक्ति थे उन सब से जांच की गई मगर कोई ऐसा ठोस साक्ष्य नहीं मिला जिससे उनकी गिरफ्तारी वगैरह की जाती ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

इस प्रश्नोत्तर को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि स्थानीय पुलिस इस मामले में ढिलाई कर रही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मुख्य मंत्री जी ने उन सभी पुलिस अधिकारियों का जिन्हें इस कार्य में सतर्कता बरतनी चाहिये थी और मुल्जिमान की गिरफ्तारी करनी चाहिये थी, अविलम्ब ट्रांसफर करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

अब तो मैंने सी० आई० डी० की जांच····

श्री कल्पनाथ सिंह---

मेरा मतलब यह है कि पुलिस जो इस मामले में लीपापोती कर रही है उन अधिकारियों का ट्रांसफर कर के दूसरी एजेन्सी से जांच करायेंगे या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

अगर यह मालूम हो जाय कि जांच-पड़ताल में लीतापोती की गई है तो सिर्फ ट्रांसफर से तो काम चलेगा नहीं । तब आप की ही राय होगी कि कुछ और कार्यवाही उनके खिलाफ की जाय । तो एक प्रारम्भिक जांच हो जाने दीजिये जिससे यह मालूम पड़े कि पुलिस ने लीपापोती की । आज तक तो आपके प्रश्न के उत्तर में जो कार्यवाही हुई वह आपके सामने रखी गयी । उन्होंने जांच पड़ताल की । कोई साक्ष्य उनको नहीं मिला इसलिये उन्होंने किसी की गिरफ्तारी नहीं की । यदि लीपा पोती हुई है तो ट्रांसफर ही नहीं और भी सख्त कार्यवाही उनके खिलाफ होनी चाहिये, ऐसा मैं समझता हूं ।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)---

माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात को अभी कबूल किया है कि अगर सदस्यों की राय है कि इसकी जांच सी० आई० डी० से करायी जाय तो सी० आई० डी० से जांच करा लेंगे । मैं यह जानना चाहता हूं कि पुलिस ने जो रिपोर्ट दी है उससे क्या आपको भी इस बात का एहसास हुआ या नहीं कि पुलिस की नेगलीजेन्स रही ? अगर आप ऐसा समझते हैं तो आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मुझे एहसास हो या न हो लेकिन जब माननीय सदस्य यह समझते हैं कि इसमें नेगलीजेन्स की गई है तो मैं जरूर इन्क्वायरी करा दूंगा और यदि नेगलीजेन्स साबित हो जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायगी ।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)---

जिस धारा में यह रिपोर्ट पेश की गई है वह कागनीजेबिल आफेन्स है और कागनीजेबिल आफेन्स में केवल शक के ऊपर गिरफ्तार करने की पावर दी गयी है । तो जब दोनों का नाम था और शक उनके ऊपर हो गया था तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया और क्या मुख्य मंत्री जी इसके लिये उनको दंडित करने के बारे में सोचेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

गिरफ्तार करना लाजिमी है या नहीं, यह एक कानूनी प्रश्न है। यह डाउटफुल चीज है। यह कानूनी प्रश्न है। इसमें अन्याय हो सकता है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)---

क्या मुख्य मंत्री जी इस बात को बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बात को देखते हुये कि जो रिपोर्ट दर्ज की गई उसमें यह स्वीकार किया है कि लड़की गुमशुदा है और फरवरी से अब तक लड़की बरामद नहीं हुई। तो क्या यह काफी नहीं है कि पुलिस अधिकारियों को वहां पर दंडित किया जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

उन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट में यह लिखाया है कि लड़की नाराज होकर चली गई है, उसकी उमर १६ साल की है और यह भी पता नहीं है कि वह बालिग है या १६ साल की है। अगर नाराज होकर गई है जैसा कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है तो फिर यह देखने की बात होगी कि वास्तव में वह भगाई गई है या स्वेच्छा से चली गई है। अब इसकी जांच करा लेता हूं और सी० आई० डी० की जांच होगी। मैं स्वयं भी इसको देख लेता हूं। अगर ऐसा अन्दाजा होता है जैसा माननीय सदस्यों की समझ में आ रहा है कि लीपा-पोती हुई है तो मैं निवेदन करूंगा कि कार्यवाही की जायगी।

श्री रामलाल राही---

मैं मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो नामजद अभियुक्त हैं उनका सम्बन्ध पाकिस्तान से है तो ऐसी सम्भावना हो सकती है कि वह लड़की पाकिस्तान भेज दी जाय। तो इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या गृह मंत्री जी सतर्कता बरतेंगे कि वह लड़की पाकिस्तान न जाने पाये ?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

इस पर सतर्कता बरती जायगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, जो पहली रिपोर्ट लिखी गई उसमें किसी का नाम नहीं है लेकिन जो दूसरी रिपोर्ट लिखाई गई उसमें नामजद किये हैं जो इस बात को पुष्ट करते हैं कि जब सूबेदार साहब मुतमइन हो गये तभी उन्होंने नामजद किया और पुलिस अधिकारी नामजद करने में सतर्कता बरतते हैं। फिर भी पुलिस मुलजिमान के स्टेटस को देखते हुये उन पर हाथ नहीं डाल रही है इसमें कोई शक नहीं रह जाता है कि पुलिस की अभियुक्तों के प्रति नरमी है। इस चीज को ध्यान में रख कर आप को क्या एतराज है कि तुरन्त इस मामले को स्थानीय पुलिस से निकालकर दूसरे को सौंपा जाय।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, कुछ ऐसी ही कार्यवाही करेंगे जैसा आप कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

अब प्रश्न से बिगाड़िये नहीं, उन्होंने यह कह दिया कि उचित कार्यवाही होगी।

नोटिस आफिस के द्वार खुलवाने तथा एक व्यक्ति द्वारा विधान भवन के सामने अनशन करने के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

अध्यक्ष जी, बाहर अनजुमने अनहार का एक आदमी बा र अनशन कर रहा है। १२ तारीख से। उस पर मेहरबानी करके बहस करा दें और मंत्री जी का वक्तव्य दिला दें। मेरा मतलब यह है कि वह भूख हड़ताल या मरण व्रत किये हुये कौंसिल हाउस के बाहर बैठा है, मेरी जबान उर्दू है, मैं हिन्दी का ठीक से उच्चारण नहीं कर पाता हूं मुझे आप माफ करें। मेरे इस बारे में दफा ५१ के नोटिस के बारे में आपने क्या किया ? उसको एडमिट करके आप वक्तव्य दिला दें।

श्री अध्यक्ष--

उसको देख लें, अभी तो पहले इसको समाप्त किया जाय।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हमारी सहूलियत के लिये पहले उधर के दरवाजे बन्द कराये गय थे और उस वक्त इसका कारण यह था कि बहुत से बाहर के लोग अन्दर लाबीज में आ जाते थे। लेकिन इस प्रबन्ध से तो पहला ही प्रबन्ध अच्छा था, जब हम लोग यहां से आत-जाते हैं तो भीड़ में सुबह-शाम को निकलना कठिन हो जाता है। या तो इधर से शाम को भीड़ के निकलने पर पाबन्दी कर दी जाय या उधर के दरवाजे खुलवा दिये जायं।

श्री अध्यक्ष---

भीड़ तो इतनी रहती है कि मैं खुद धक्के खाता हुआ अन्दर आता हूं, आप अपनी कहते हैं।

(व्यवधान)

कई सदस्य---

इसकी व्यवस्था की जाय।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

इसीलिये मैं कह रहा हूं कि उधर के दरवाजे खोल दिये जायं।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

यह बहुत दुःख की बात है कि आपको यह कष्ट होता है।

श्री अध्यक्ष---

मैं कल उस दूसरी लिफ्ट से आया, वहां उस समय पुलिस कोई नहीं थी, नतीजा यह हुआ कि मुझे भी धक्के लगे।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

श्रीमन्, इस भीड़ का कारण यह है कि यहां आजकल सारे प्रदेश के लोग इकट्ठे हो गये हैं क्योंकि सरकार ने बड़े पैमाने पर ट्रान्सफर आफिसर्स के किये हैं, सारे लोग उसी सिलसिले में यहां जमा हैं और इसी वास्ते आप को और हमें धक्के खाने पड़ रहे हैं। इसलिये अब उचित यही होगा कि आप और हम दोनों मिल कर सरकार को धक्का दे दें।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष--

यह तो गवर्नमेंट की पापुलेरिटी की निशानी है।

(हंसी)

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ४२ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१४ जुलाई, १९७१।

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत ता० प्र० १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२१ पर]

सूची

(क) वाराणसी जिले में अल्प सिंचाई योजना के अन्तर्गत संशोधित चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में निम्न कार्य प्रस्तावित हैं :—

		संख्या
(१)	सिंचाई के कूप	१०,०००
(२)	बोरिंग	९,६००
(३)	रहट	१,२००
(४)	पम्पिंग सेट	९,५००
(५)	व्यक्तिगत नलकूप	५००
(६)	बंधी निर्माण	१,०१२ हेक्टर
(७)	कुओं की मरम्मत करना	२५० संख्या

(ख) उक्त जिले में राजकीय सिंचाई कार्यों के अन्तर्गत चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में निम्नलिखित योजनायें प्रस्तावित हैं :—

(१) भोपाली पम्प नहर,
(२) नारायनपुर पम्प नहर,
(३) राजकीय नलकूप,
(४) लघु डाल सिंचाई प्रायोजनायें,
(५) रूरल वर्क्स प्रोग्राम के अन्तर्गत प्रस्तावित योजनायें।

———

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत ता० प्र० २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२१ पर]

गोरखपुर के लक्ष्मीपुर तथा नौतनवा विकास क्षेत्र में नलकूपों के लिये चयन किये गये स्थान की सूची

लक्ष्मीपुर विकास क्षेत्र—

१—इलाहाबाद, २—पोखरी भिन्डा, ३—सोन चिरइया, ४—बड़गांव।

नौतनवा विकास क्षेत्र—

१—बरगदवा उर्फ गनवरिया, २—लक्ष्मीपुर, ३—बारा, ४—रतनपु
५—नित निहा, ६—परसाटीकर, ७—बरगदवा, ८—मरजादपुर।

उत्तर प्रदेश विधानसभा

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत ता० प्र० ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२१ पर]

विवरण

जिला बहराइच---इस जिले में ८०९.२०७ एकड़ भूमि का ६,८०,८९०.८६ रुपया मुआवजा भूस्वामियों को दे दिया गया है तथा १,०६८.६७४ एकड़ भूमि का मुआवजा देना बाकी है। स्थायी भूमि के मुआवजे की औसत दर १,८०० रुपये प्रति एकड़ आंकी गई है। इस जिले में ८९०.००२ एकड़ अस्थायी भूमि ३ वर्ष के लिये ली गई है। अध्याप्त की गई भूमि का लगान माफ किये जाने की कार्यवाही की जा चुकी है, किन्तु अब भी लगान लिया जा रहा है। निकट भविष्य में सभी भूस्वामियों को लगान वापस करने की कार्यवाही पूर्ण हो जाने की आशा है। शेष भूमि का मुआवजा शीघ्र दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है।

जिला गोंडा---इस जिले में ली गई भूमि का मुआवजा अभी तक नहीं दिया जा सका है। पूरी भूमि के मुआवजे के नक्शे अभी तैयार न होने के कारण यह बताना सम्भव नहीं है कि मुआवजा किस रेट से दिया जायगा। इस जिले में ४९०.० एकड़ अस्थायी भूमि सड़क निर्माण काल के लिए ली गई है। ली गई भूमि के लगान की वसूली रोक दी गई है। मुआवजा शीघ्र ही दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

जिला बस्ती:---इस जिले में ली गई भूमि का मुआवजा अभी तक नहीं दिया जा सका है। स्थायी भूमि के मुआवजे की औसत दर लगभग ७०० रुपये प्रति एकड़ आंकी गई है। इस जिले में ५५३.१०२ एकड़ अस्थायी भूमि ३ वर्ष के लिये ली गई थी और उसे मुक्त भी कर दिया गया है। इस जिले में आठ ग्रामों को छोड़कर, शेष ग्रामों में लगान माफी की कार्यवाही कर दी गई है और शेष ८ ग्रामों में भी शीघ्र ही कार्यवाही की जायगी। मुआवजा शीघ्र दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

जिला गोरखपुर---इस जिले में १८ ग्रामों में इस परियोजना के लिये भूमि ली गई है, जिसमें से ५ ग्रामों में ली गई भूमि के मुआवजे का २,८२,४२२.४० रुपये का अवार्ड घोषित कर दिया गया है, जिसमें से २,७०,७५१.६७ रुपये का वितरण कर दिया गया है, १०,६७०.३५ रुपये रेवेन्यू डिपाजिट में काश्तकारों के नाम से जमा कर दिए गये हैं तथा १०००.३८ रुपये का वितरण करना शेष है। शेष १३ ग्रामों में मुआवजे का अवार्ड घोषित करने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है। स्थायी भूमि के मुआविजे की औसत दर २,१७१ रुपये से ३,७०४ रुपये प्रति एकड़ है। इस जिले में १६५.९३ एकड़ अस्थायी भूमि ३ वर्ष के लिये ली गई है। ३ ग्रामों में जो लगान लिया गया है उसे मुजरा करने के आदेश हो गए हैं, तथा शष १५ गांवों में इसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। शेष मुआवजा शीघ्र दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

जिला देवरिया---इस जिले में ३३८.९९ एकड़ भूमि के मुआवजे का ४,६६,८७१.२९ रुपये का अवार्ड घोषित कर दिया गया है, जिसमें से ४,५९,२८६.१० रुपये भूस्वामियों को दे दिये गये हैं। मुआवजे की औसत दर १,५९० रुपये प्रति एकड़ आई है किन्तु एक गोडाउन के लिये ली गई भूमि की दर १६,१३७ रुपये प्रति एकड़ है। शेष २४.४४ एकड़ भूमि के मुआवजे के नक्शे बनाये जा रहे हैं। इस जिले में कुल १७६.७१ एकड़ अस्थायी भूमि १ से ३ वर्ष के लिये ली गई है। ली गई भूमि का लगान नहीं लिया जा रहा है। शेष भूमि का मुआवजा शीघ्र दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

नत्थी 'घ'

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत ता० प्र० ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२३ पर]

उन सब ठेकेदारों का नाम व पता जिन्होंने खिरोला नहर का निर्माण कार्य किया

संख्या	ठेकेदार का नाम		पता
१	श्री किशन सिंह मेहता	..	ग्राम बिलासपुर, पोस्ट भीमताल, नैनीताल
२	श्री हरीश चन्द्र दुम्का	..	ग्राम व पोस्ट नौलाधारा, जिला नैनीताल
३	श्री लच्छी लाल वर्मा	..	तल्लीताल पोस्ट आफिस भीमताल, जिला नैनीताल
४	श्री देवकी नन्दन कर्नाटक	..	ग्राम सिलौटी, पोस्ट आफिस नौलाधारा, जिला नैनीताल
५	श्री सुरेश चन्द्र भंडारी	..	रामपुर रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल
६	श्री भैरव दत्त जोशी	..	तदेव
७	श्री तेजा सिंह	..	तदेव
८	श्री फारुक शाह	..	बम्भोलपुरा, हल्द्वानी, जिला नैनीताल
९	श्री शिव दत्त	..	ग्राम सलडी, पोस्ट आफिस भीमताल, जिला नैनीताल।
१०	श्री वल्लभ शर्मा	..	ग्राम बिलौरा, पोस्ट आफिस नौलाधारा, जिला नैनीताल

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ङ'

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत ता० प्र० ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२४ पर]

१२ आफ रोड बसों का विवरण

मेक		बस	संख्या	कब से आफ रोड हैं	कितनी किलोमीटर चल चुकी हैं
लैण्ड	..	यू० पी० ए०	१८२१	३-५-१९७१	३,७९,४३४
,,	..	यू० पी० ए०	५९४९	६-५-१९७१	३,८०,२९५
,,	..	यू० पी० ए०	७३७०	१९-५-१९७१	४,२०,८५५
,,	..	यू० पी० ए०	८७५७	१४-११-१९७०	५,३७,१५१
,,	..	यू० पी० बी०	३४६३	२३-४-१९७०	२,७६,२७२
,,	..	यू० पी० ए०	७३७२	१६-११-१९७०	४,५४,७३२
,,	..	यू० पी० बी०	३८०९	५-७-१९७०	१,६६,२५६
,,	..	यू० पी० यू०	२१६७	१६-५-१९७०	३,३७,००६
,,	..	यू० पी० ए०	८६१९	६-५-१९७०	४,५६,५१९
,,	..	यू० पी० यू०	१९४८	३०-८-१९७०	३,१२,३४३
,,	..	यू० पी० यू०	६९८८	१२-९-१९६९	५,०२,३०१
,,	..	यू० पी० ए०	७३६५	१६-५-१९७०	४,२५,४०६

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

[देखिये ता० प्र० २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३० पर]

गोरखपुर जिले में नौतनवां ठूठीबारी सड़क निर्माण हेतु स्थायी भूमि के अध्याप्ति हेतु जिन गांवों की भूमि ली गयी, उनके नाम

क्रम-संख्या गांव का नाम

१—सेखुआनी
२—बेलसार
३—बरगदवा
४—परसा टीकर (मालिक)
५—तरैनी
६—पीपरी
७—ठीठीबारी
८—बभनी
९—महदेइया
१०—खेरहवा
११—रतनपुर
१२—परैनियां
१३—निपनियां
१४—विचखोंय
१५—कोहर गंड्डे
१६—परसासुमाली
१७—राजाबारी
१८—परियाताल

गोरखपुर जिले में नौतनवां ठूठीबारी सड़क निर्माण हेतु अस्थायी भूमि के अध्याप्ति हेतु ग्रामों की भूमि ली गयी है, उनके नाम

क्रम संख्या गांव का नाम

१—पीपरा
२—बेलमार
३—राजाबारी
४—परियाताल
५—निपनियां
६—बिसखोप
७—सेखुआनी
८—अमनी
९—महदेइया
१०—रतनपुर
११—जगनाथपुर
१२—परसा टीकर (मालिक)
१३—तरैनी
१४—खरहवा
१५—कन्सेरी उर्फ विशुनपुर
१६—परसाशुमाली
१७—बरगदवा
१८—असरना
१९—कोहरगड्डी
२०—कुरैनिया
२१—ठूठीबारी।

विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये ता० प्र० ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३५ पर)

जिला उन्नाव में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पक्की कराये जाने वाले मार्गों की सूची

क्र० सं०	मार्ग का नाम	लम्बाई (किलो मीटर में)	अनुमानित लागत (लाख रु० में)	प्रगति मार्च, १९७१ तक
	१—नवनिर्माण			
१	काली मिट्टी फतेहपुर चौरासी मार्ग।	१५.६	७.८५५	(१) मिट्टी का कार्य—२·५ किलो मीटर। (२) पुलियों का निर्माण—३ किलोमीटर। (३) प्रथम तह (सीलिंग) के लिए मिट्टी इकट्ठा करना—३ किलो मीटर। (४) अप्रैल, १९७१ तक व्यय—५,४३९ रु०।
२	उन्नाव-सिरौली सिकन्दर मार्ग	८.८	४.६९०	(१) मिट्टी का कार्य—१.० किलो मीटर। (२) पुलियों का निर्माण—१.० कि० मी०। (३) प्रथम तह (सीलिंग) के के लिए मिट्टी इकट्ठा करना—०·५ किलो मीटर। (४) दूसरी तह के लिए मिट्टी इकट्ठा करना—०.५ किलो मीटर। (५) अप्रैल, १९७१ तक व्यय—२०,१२५ रु०।
३	मौरावां-बिहार मार्ग ..	१८.०	११.३३०	इस कार्य को प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति शासन द्वारा २१ मई, १९७१ को प्रदान की गयी है। इसके एक पुनरीक्षित आगणन पर विचार किया जा रहा है।
४	हरिहरपुर—गंगाघाट मार्ग	३.५०	२.६४५	इस कार्य का विस्तृत आगणन बनाया जा रहा है जिसके बन जाने पर प्राविधिक स्वीकृति देकर कार्य आरम्भ किया जायगा।

१	२	३	४	५
५	टिकुर परिजार मार्ग का परिजार ग्राम तक विस्तार व (परिजार मार्ग)	१.०	१.०३	इस कार्य की प्रायिधिक स्वीकृति ०.७६१ लाख रु० की लागत पर दी जा चुकी है।
६	सफीपुर–मियागंज मार्ग	१६.०	१०	इस मार्ग का आगणन हाल ही में प्राप्त हुआ है तथा उस पर विचार किया जा रहा है।
७	अचलगंज–गंगा घाट मार्ग	६.५	८.५२	इस कार्य का आगणन हाल ही में प्राप्त हुआ है तथा उस पर विचार किया जा रहा है।
	२—सुधार तथा पुनर्निर्माण			
१	टिकौली—रावतपुर रेलवे फीडर मार्ग।	१.५०	२.५४	अभी इस कार्य का प्रारम्भिक आगणन प्राप्त नहीं हुआ है।
२	मोहन लाल गंज–गौरावा मार्ग	१८.५०	१३.२०	कार्य का विस्तृत आगणन बन गया है जिसकी जांच की जा रही है।
३	इलाहाबाद–उन्नाव मार्ग	११.५	७.७७	विस्तृत आगणन पर प्राविधिक स्वीकृति दी जा चुकी है। कार्य चालू करने का प्रबंध किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये ता० प्र० ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३७ पर)

आर० टी० ओ० कार्यालय-आगरा के कर्मचारियों का नाम जिनके स्थानान्तरण आदेश निरस्त किये गये

नाम	पद
१--श्री एम० ए० खान ..	सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक)
२--श्री लक्ष्मण सिंह	कनिष्ठ लिपिक
३--श्री रमन लाल	" "
४--श्री मदन गोपाल शर्मा ..	" "
५--श्री कन्हैयालाल	" "
६--श्री एस० बी० दीक्षित ..	" "
७--श्री गोपाल सिंह ..	ज्येष्ठ लिपिक
८--श्री सोबरन लाल शर्मा ..	कनिष्ठ लिपिक
९--श्री कृष्णस्वरूप ..	" "
१०--श्री पदम चन्द जैन ..	" "
११--श्री लाल निगम ..	रोकड़िया

विधान सभा सचिवालय प्रदेश उत्तर

नत्थी 'झ'

(देखिये ता० प्र० ८० का उत्तर, पीछे पृष्ठ ३४० पर)

सूची

जिला	बम्बई योजना के अनुसार मोटर-सड़कों का लक्ष्य (कि० मी०)	मार्च, १९७१ तक स्वीकृत कार्यों के पूर्ण होने पर मोटर सड़कों की लम्बाई (कि० मी०)	बम्बई योजना के अनुसार निर्धारित लक्ष्य का प्रतिशत
देहरादून ..	६७९	८३९.५	१२३.६
अल्मोड़ा	९३४	१,३२५.०	१४१.८
गढ़वाल	१,०६२	८७५.०	८२.४
नैनीताल	९०५	८७३.६	९६.५
टेहरी	६१२	६४६.०	१०५.६
चमोली	३३४	५६९.७	१६५.०
पिथौरागढ़	३९९	५०५.३	१२७.०
उत्तरकाशी ..	३७०	४७३.१	१२८.०
योग ..	५,२९५	६,१०७.२	११५.३

पी० एस० यू० पी० -ए० पी०-११७ एल० ए०--१९७१ -८४५।